


वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015



दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय-वस्तु

1.	भारतीय दूरसंचार क्षेत्र: एक परिदृश्य	1-8
2.	दूरसंचार आयोग	9
3.	दूरसंचार विभाग	11-37
3.1	बेतार आयोजना एवं समन्वय	38-44
3.2	दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र	45-47
3.3	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	48-54
3.4	संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय	55-60
3.5	सतर्कता संबंधी कार्यकलाप	61-63
3.6	दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और निगरानी	64-67
3.7	महिला सशक्तिकरण	68-73
3.8	भिन्न रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	74-75
3.9	नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	76-90
4.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	91-93
5.	दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय अधिकरण	95-97
6.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा-परीक्षा संबंधी टिप्पणियाँ	99
7.	टेलीमेटिक्स विकास केंद्र	101-107
8.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	109
8.1	भारत संचार निगम लिमिटेड	111-119
8.2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	121-126
8.3	आईटीआई लिमिटेड	127-132
8.4	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड	133-137
8.5	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	139-140
8.6	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	141
9.	सांख्यिकीय परिशिष्ट	143-146
10.	परिवर्णी-शब्द	147-150
11.	संगठनात्मक चार्ट	151
	अनुबंध	152-162



1. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र: एक परिदृश्य

एक उत्तरोत्तर ज्ञान सघन होते हुए विश्व में सामाजिक—आर्थिक विकास के लिए संचार एक आवश्यक बुनियादी सुविधा के रूप में विकसित हुआ है। देश के सभी भागों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच एक अभिनव और तकनीकी रूप से संचालित समाज के विकास का अभिन्न अंग है। अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि एक देश के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर का इंटरनेट तथा मोबाइल सेवाओं के साथ एक सकारात्मक संबंध है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किये गए ठोस उपायों के परिणाम के रूप में, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है तथा चीन के बाद यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है।


1. वर्तमान स्थिति

टेलीफोनों की संख्या वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 933.02 मिलियन से बढ़कर दिसम्बर, 2014 के अंत में 971.01 मिलियन हो गई है।

दूरसंचार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति (दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार)

- भारतीय दूरसंचार नेटवर्क चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है।
- देश में 944.01 मिलियन वायरलैस टेलीफोन कनेक्शनों समेत, 971.01 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन हैं।
- देश में समग्र टेलीघनत्व 77.59% है।
- शहरी टेलीघनत्व 147.75% है जबकि ग्रामीण टेलीघनत्व 46.14% है।
- कुल टेलीफोनों में वायरलैस टेलीफोनों का हिस्सा 97.22% है।
- कुल टेलीफोनों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 89.15% है।
- ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या 85.74 मिलियन है।

नीचे दिया गया चार्ट वर्ष 2014–15 के दौरान प्रत्येक माह के अंत में कनेक्शनों की संख्या को इंगित करता है।





2. वायरलाइन बनाम वायरलैस

जबकि वायरलैस वॉयस एवं डाटा सेवाओं में निरंतर वृद्धि होती रही, वहीं लैंडलाइन टेलीफोनों ने उच्च गति डाटा सेवाओं को उल्लेखनीय योगदान दिया। लैंडलाइन टेलीफोन की संख्या अब 27.00 मिलियन हो गई है तथा दिसम्बर, 2014 के अंत तक वायरलैस टेलीफोन की संख्या 944.01 मिलियन हो गई है। परिणामस्वरूप कुल सेवाओं में बेतार टेलीफोनों की भागीदारी 97.22 प्रतिशत हो गई है। बेतार सेवाओं की निरंतर बढ़ती मांग ने दूरसंचार क्षेत्र को ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लैंडलाइन उच्च गति सेवाओं को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए टिकाऊ संसाधन सृजित करने के लिए प्रेरित किया है।


3. सार्वजनिक बनाम निजी

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि निजी क्षेत्र के ऑपरेटरों के टेलीफोनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 2014 के अंत तक निजी क्षेत्र के टेलीफोनों की संख्या बढ़कर 865.68 मिलियन हो गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के टेलीफोनों की संख्या दूरसंचार क्षेत्र के आधार स्तंभ के रूप में 105.32 मिलियन रही। दिसम्बर, 2014 के अंत तक निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 89.15 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 10.85 प्रतिशत रहा। वर्तमान परिदृश्य में निजी क्षेत्र भारतीय दूरसंचार क्षेत्र (सारणी) पर हावी है।

सारणी : दूरसंचार विकास सूचक


क्र. सं.	मद		मार्च के अंत तक			
			मार्च,12	मार्च,13	मार्च,14	दिसम्बर,14
1	टेलीफोनों की संख्या (मिलियन में)	समग्र	951.35	898.02	933.02	971.01
2		वायर लाइन	32.17	30.21	28.50	27.00
3		वायर लैस	919.17	867.81	904.52	944.01
4		ग्रामीण	330.83	349.21	377.78	398.73
5		शहरी	620.52	548.80	555.23	572.28
6	टेलीघनत्व (टेलीफोन प्रति 100 व्यक्तियों)	समग्र	78.66	73.32	75.23	77.59
7		ग्रामीण	39.26	41.05	44.01	46.14
8		शहरी	169.17	146.64	145.46	147.75
9	% हिस्सेदारी	वायरलैस	96.62	96.64	96.95	97.22
10		सार्वजनिक	13.69	14.49	12.87	10.85
11		निजी	86.31	85.51	87.13	89.15
12	पिछले वर्ष की तुलना में कुल टेलीफोनों का वृद्धि %		12.41	(-)5.61	3.90	4.07*

* कुल टेलीफोनों में वृद्धि का प्रतिशत चालू वर्ष के 09 महीनों में



4. टेलीघनत्व

टेलीघनत्व, जो कि प्रति 100 जनसंख्या में टेलीफोनों की संख्या को दर्शाता है, देश में दूरसंचार प्रसार/टेलीफोनों की उपलब्धता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। टेलीघनत्व, जो कि 01 अप्रैल, 2014 को 75.23% था, दिसम्बर, 2014 के अंत तक 77.59% हो गया। इस अवधि के दौरान ग्रामीण टेलीघनत्व 44.01 प्रतिशत से बढ़कर 46.14 प्रतिशत हो गया। तथापि, शहरी टेलीघनत्व में इस अवधि के दौरान वृद्धि एवं गिरावट की प्रवृत्ति देखने में आई और बाद में इसमें 145.46 प्रतिशत से 147.75 प्रतिशत तक गति बनी रही। दूरसंचार सेवा क्षेत्रों में तमिलनाडु (116.96%) में सबसे अधिक टेलीघनत्व है उसके बाद हिमाचल प्रदेश (111.78%), पंजाब (105.13%), कर्नाटक (96.35%) और केरल (95.21%) हैं। दूसरी ओर बिहार (48.28%), असम (51.90%), उत्तर प्रदेश (58.65%), मध्य प्रदेश (58.77%), पश्चिम बंगाल (58.84%), ओडिशा (65.24%) तथा जम्मू एवं कश्मीर (73.67%) के साथ तुलनात्मक रूप से कम टेलीघनत्व वाले सेवा क्षेत्र हैं। तीन महानगरों में से दिल्ली का टेलीघनत्व (235.62%) सबसे अधिक है, उसके बाद कोलकाता (146.86%) और मुंबई (145.86%) का है। निम्नलिखित सारणी पिछले वर्षों के टेली घनत्व रुझान को इंगित करती है।



दूरसंचार से कनेक्ट किया गया ग्रामीण भारत



5. एकीकृत लाइसेंस

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सेवाओं तथा सेवा क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक लाइसेंस के सृजन हेतु एनटीपी-2012 के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से एकीकृत लाइसेंस पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार स्पेक्ट्रम का आबंटन लाइसेंस से है तथा निर्धारित प्रक्रियाओं यानि बोली प्रक्रियाओं के अनुसार पृथक रूप से प्राप्त किया जाना है। पूरे देश में सभी दूरसंचार सेवाओं हेतु केवल एक एकीकृत लाइसेंस आवश्यक है। इसके अलावा, विभिन्न सेवाओं [जैसे अभिगम सेवाओं, लम्बी दूरी की राष्ट्रीय सेवाओं, लम्बी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) सेवाओं] हेतु अलग से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होगा। एकीकृत लाइसेंस (सभी सेवाओं) की श्रेणी के लिए एकल प्राधिकार में आईएसपी(ख) तथा आईएसपी (ग) सेवाओं के अलावा सभी दूरसंचार सेवाएं शामिल होंगी। इस तरह के प्राधिकार का कार्यकाल एकीकृत लाइसेंस के साथ चलेगा। इसके अलावा, विभिन्न दूरसंचार सेवाओं हेतु प्रवेश शुल्क काफी कम कर दिया गया है।

6. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई)


एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करने तथा क्षेत्र को और अधिक आकर्षक तथा निवेशक अनुकूल बनाने हेतु सरकार ने दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है। इस उपाय से दूरसंचार लाइसेंसधारियों को इक्विटी मजबूत बनाने तथा बाजार से घरेलू और साथ ही विदेशी कर्ज जुटाने के लिए सुविधा होगी। दूरसंचार तथा दूरसंचार सेवाओं को अवसंरचना उप-क्षेत्र की संगत मास्टर सूची के तहत शामिल किया गया है तथा अवसंरचना को ऋण देने के लिए अर्हक बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी वाणिज्यिक ऊधारी (ईसीबी) का लाभ उठाने के उद्देश्य हेतु अवसंरचना क्षेत्र की मौजूदा परिभाषा का विस्तार किया है।

7. सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)

ग्रामीण टेलीफोनी को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु, जून, 2002, में सरकार ने एक अधिनियम द्वारा एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना की। तदुपरान्त, यूएसओएफ के दायरे को व्यापक बनाया गया था जिससे मोबाइल सेवाओं, ब्राडबैंड कनेक्टिविटी और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर जैसी अवसंरचना के निर्माण सहित टेलीग्राफ सेवाओं के सभी प्रकार के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए राज सहायता प्रदान की जा सके। इसलिए देश के ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु यूएसओएफ द्वारा विभिन्न स्कीमों को शुरू किया गया है। 2014-15 (सितम्बर, 2014 तक) यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यूएएल) संग्रह 1,869.68 करोड़ रु. था तथा उक्त अवधि के लिए वितरित की गई (दिसम्बर, 2014 तक) राजसहायता 1781.93 करोड़ रु. थी। 31 दिसम्बर, 2014 तक 26678.43 करोड़ रु. की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

8. राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)

ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रमुख रूप से राज्यों की राजधानियों, जिलों तथा ब्लॉकों तक पहुंच गया है। देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नामक एक परियोजना को मंजूरी दी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मोबाइल, इंटरनेट तथा केबल टीवी जैसी भेदभाव रहित नेटवर्क- पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना को एक वित्तीय प्रयोजन वाहन (एसपीवी) अर्थात् भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के द्वारा चलाया जा रहा है। अजमेर जिला (राजस्थान) के अरियन



ब्लॉक, उत्तरी त्रिपुरा के पाणिसागर ब्लॉक तथा विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश) के परावदा ब्लॉक की सभी 59 ग्राम पंचायतों को कवर करने हेतु तीन पायलेट परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा अब तक 86 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया जा चुका है। दिसम्बर, 2014 के अंत तक परियोजना के तहत वितरित राशि 2010.00 करोड़ रू. है। दिसम्बर, 2016 तक एनओएफएन परियोजना को पूरा किए जाने का लक्ष्य है।



प्रगति अधीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए खुदाई का कार्य

9. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाएं

सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में पहचाने गए 2199 स्थलों पर यूएसओएफ की वित्तीय सहायता से 3567.658 करोड़ रू. की अनुमानित लागत पर मोबाइल टावर संस्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव का दिनांक 20 अगस्त, 2014 को अनुमोदन किया और 31 दिसम्बर, 2014 तक इस परियोजना के लिए 596.51 करोड़ रू. वितरित किए गए। दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को यूएसओएफ और बीएसएनएल के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए तथा मार्च, 2015 तक 500 टॉवर संस्थापित किए जाने की संभावना है।

10. ग्रामीण वायर लाइन ब्रॉडबैंड योजना

ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में गांव स्तर तक वायर लाइन ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए, यूएसओएफ ने बीएसएनएल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम के तहत उपलब्ध मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना का स्तरोन्नयन करके तथा कापर लाइन नेटवर्क बिछा कर ग्रामीण और दूरदराज



के क्षेत्रों में वायरलाइन ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। प्रत्येक ब्राडबैंड कनेक्शन की गति कम से कम 512 केबीपीएस हो जाएगी। इस स्कीम के तहत, बीएसएनएल द्वारा व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को तथा सरकारी संस्थानों को वर्ष 2015 तक 8,88,832 वायर-लाइन ब्राडबैंड कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं तथा 28,672 कियोस्क स्थापित करने हैं। 9 वर्षों में अनुमानित 1500 करोड़ रु. की राज सहायता प्रदान की जानी है। 30.11.2014 तक ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में कुल 639572 ब्राडबैंड कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं तथा 14469 कियोस्क स्थापित किए जा चुके हैं। 31.12.14 तक वायर-लाइन ब्राडबैंड स्कीम के तहत 381.50 करोड़ रु. की राज सहायता वितरित कर दी गई है।

11. विनियामक रूपरेखा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हमेशा से नई दूरसंचार नीति, 2012 के उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में बेहतर गुणवत्ता तथा वहनीय कीमतों के साथ दूरसंचार क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। वर्ष 2014-15 के दौरान ट्राई द्वारा विभिन्न दूरसंचार मुद्दों पर अनेक सिफारिशों की गई थी। ट्राई ने बेसिक तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए तिमाही आधार पर उनके कार्य-निष्पादन की निगरानी करके तथा इंटरकनेक्शन संकुलन बिंदु (पीओआई) की मासिक आधार पर संवीक्षा करने के लिए कदम उठाए हैं। ट्राई द्वारा उठाए गए विनियामक उपायों ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के अतिरिक्त, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर तथा निवेश क्षमता में वृद्धि करके दूरसंचार क्षेत्र की नियोजित वृद्धि को आसान बना दिया है।


12. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

सी डॉट एक स्वायत्त निकाय है जो दूरसंचार विभाग की अनुसंधान एवं विकास शाखा है। यह निकाय लागत प्रभावी, स्वेदशी तौर पर विकसित और अद्यतन कुल दूरसंचार समाधान प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। सीडॉट दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनेक क्षेत्रों जैसे उपग्रह संचार, आईएन, एटीएम, डीडब्ल्यूडीएम, एनएमएस, वायरलैस ब्रॉडबैंड, जीपीओएन, एनजीएन और मोबाइल सेलुलर प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। सी-डॉट को कार्यनीतिक अनुप्रयोगों हेतु दूरसंचार सुरक्षा एवं सुरक्षित नेटवर्क हेतु केन्द्रीय निगरानी प्रणाली जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का कार्य भी सौंपा गया है।

13. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम हैं। ये उपक्रम हैं :

- (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)
- (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)
- (ग) आईटीआई लिमिटेड
- (घ) दूरसंचार परामर्शदाता इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)
- (ङ) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल)
- (च) हेमिसफयर प्रोपर्टीज इंडिया लि. (एचपीआईएल)



13.1 भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में **बीएसएनएल** का गठन अक्तूबर, 2000 में किया गया है। यह दिल्ली एवं मुंबई को छोड़कर देशभर में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बीएसएनएल सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं नामतः लैंडलाइन पर टेलीफोन सेवाएं, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम सेवाएं, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, पट्टाकृत सर्किट और लंबी दूरी की दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ग्रामीण टेलीफोनी, बीएसएनएल का एक विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बीएसएनएल पूर्वोत्तर तथा जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विकास पर भी विशेष बल देता है। बीएसएनएल ने वर्ष 2014–15 के दौरान (सितम्बर तक) 14125 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और 3786 करोड़ रुपए की हानि वहन की।

13.2 एमटीएनएल की 1986 में स्थापना की गई थी, यह एक नवरत्न पीएसयू है जोकि भारत के मुख्य महानगरों दिल्ली एवं मुंबई में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराता है। एमटीएनएल इन दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में फिक्स्ड लाइन टेलीफोन सेवाओं का मुख्य प्रदाता है और दिल्ली शहर समेत समीपवर्ती शहरों नोएडा, गुडगाँव, फरीदाबाद एवं गाजियाबाद तथा मुंबई शहर समेत मुंबई नगर निगम, नवी मुंबई निगम और थाणे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, जोकि इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं, में जीएसएम मोबाइल सेवाओं का मुख्य प्रदाता है। एमटीएनएल अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क में तीन प्रकार की सेवाएं यानी वॉयस, उच्च गति इंटरनेट और आईपीटीवी उपलब्ध करवा रहा है। फिलहाल, इसके 56.25% ईक्विटी शेयर भारत सरकार के पास हैं और शेष 43.75% शेयर एफआईआई, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्युचुअल फंड और व्यक्तिगत निवेशकों सहित अन्य के पास हैं। गत वर्ष (सितम्बर तक) के 1882.23 करोड़ रुपए के कारोबार की तुलना में एमटीएनएल का वर्ष 2014–15 (सितम्बर तक) का कारोबार 1811.64 करोड़ रुपए का था। एमटीएनएल ने वर्ष 2014–15 के दौरान (सितम्बर तक) 1567.46 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है।

13.3 आईटीआई लिमिटेड की स्थापना तत्कालीन दूरसंचार सेवा प्रदाता दूरसंचार विभाग को दूरसंचार उपस्करों की आपूर्ति करने के लिए वर्ष 1948 में की गई। आईटीआई ने वर्ष 1948 में अपने प्रचालन बंगलौर में प्रारंभ किए जिनका जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रायबरेली एवं मनकापुर और केरल में पलक्कड में निर्माण संयंत्र की स्थापना करके अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया। विभिन्न स्थानों पर ईंधन संयंत्रों की स्थापना का उद्देश्य न केवल निर्माण क्षमता को बढ़ाना था बल्कि सामाजिक अवसंरचना का विकास करना भी था। वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी का सकल कारोबार 255 करोड़ रुपए था और इसने 214 करोड़ रुपए की हानि वहन की।

13.4 टीसीआईएल की स्थापना वर्ष 1978 में की गई जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, समुचित विपणन कार्यनीतियाँ विकसित करके घरेलू बाजारों तथा विदेशों में इसके प्रचालनों में उत्कृष्टता प्राप्त करना और सतत आधार पर अद्यतन प्रौद्योगिकी प्राप्त करना था। टीसीआईएल एक लाभ कमाने वाला पीएसयू है। कंपनी ने वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसम्बर तक) अनंतिम रूप से 489.40 815 करोड़ रुपए का कारोबार किया जिसमें 9.12 (कर से पूर्व) करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया।

13.5 बीबीएनएल लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने हेतु सरकार द्वारा एनओएफएन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 25.02.2012 को एक विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात्, भारत ब्राडबैंड निगम लिमिटेड को प्रारंभ किया गया था।




13.6 एचपीआईएल दूरसंचार विभाग का छठा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है जो अधिशेष भूमि की बिक्री और खरीद सहित उसके निर्माण, अर्जन, धारण, प्रबंधन, विकास, प्रशासन, संरक्षण, अनुरक्षण करने और किसी अन्य रूप में जुड़े किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी है।

14. भावी नीति

दूरसंचार विभाग कहीं भी, कभी भी, तीव्र समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनीय और उच्च गुणवत्ता वाली अभिसारित दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूरसंचार विभाग समूचे देश में सुरक्षित, विश्वसनीय और वहनीय वायस तथा डाटा सेवाएँ उपलब्ध कराकर लोकहित को अधिकतम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है।

राष्ट्र को इसकी विशालता तथा विविधता के चलते हुए सेवाएँ प्रदान करने के लिए देश के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में आधुनिक दूरसंचार सुविधाएँ सुलभ कराई जाएंगी जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और पिछड़े राज्यों में अनुप्रयुक्त क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राष्ट्र को जोड़ने तथा प्रत्येक नागरिक को सरकारी सेवाएँ देने के लिए उच्च गति डिजीटल राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रावधान किए जाएंगे। अर्थव्यवस्था के तीव्र गति से विकास को सुनिश्चित करने तथा शिक्षा और रोजगार सृजन में चुनौतियों पर काबू पाने हेतु संचार के क्षेत्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। सहायक विधायी ढांचे तथा लाइसेंसिंग सिद्धांतों वाली हमारी वर्तमान नीति में तेजी से होने वाले तकनीकी परिवर्तनों के साथ समायोजन करने की तथा नव-परिवर्तनों की गति बढ़ाने की दृढ़ क्षमता है।





2. दूरसंचार आयोग

दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सहित दिनांक 11 अप्रैल, 1989 के संकल्प द्वारा दूरसंचार आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष और चार पूर्णकालिक सदस्य हैं जो कि दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव हैं। इनके अलावा, चार अंशकालिक सदस्य भी हैं जो कि संबंधित विभागों में भारत सरकार के सचिव हैं।

इस समय इस आयोग के अध्यक्ष तथा चार पूर्ण कालिक सदस्य निम्नवत् है:

पद	पदधारी व्यक्ति का नाम	किस (तिथि) से पद धारण किया है
अध्यक्ष	श्री राकेश गर्ग	17.07.2014
सदस्य (वित्त)	सुश्री एनी मोरेस	05.09.2013
सदस्य (उत्पादन)	रिक्त	—
सदस्य (सेवाएँ)	श्री राजीव अग्रवाल, सलाहकार (प्रचालन) सदस्य (एस) का कार्यभार संभाल रहे हैं	—
सदस्य (प्रौद्योगिकी)	श्री ए.के. भार्गव, सलाहकार (प्रौद्योगिकी), सदस्य (टी) का कार्यभार संभाल रहे हैं	—


इसके अंशकालिक सदस्य हैं:—

- (क) सचिव, इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
- (ख) सचिव, योजना आयोग
- (ग) सचिव, आर्थिक कार्य मामले विभाग
- (घ) सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

दूरसंचार आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं:

- सरकार के अनुमोदन हेतु दूरसंचार विभाग की नीति तैयार करना।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दूरसंचार विभाग का बजट तैयार करना और इसे सरकार से अनुमोदित करवाना।
- दूरसंचार विभाग से संबंधित सभी मामलों में सरकार की नीति को क्रियान्वित करना।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



3. दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग, नीति बनाने, कार्य निष्पादन समीक्षा, निगरानी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और विकास के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके फ्रीक्वेंसी आबंटन और रेडियो संचार के लिए प्रबंधन का कार्य भी करता है। यह विभाग बेतार विनियामक उपायों को लागू करने तथा देश में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार पारेषण पर निगरानी रखने के लिए भी जिम्मेदार है। सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से दिनांक 1 जून, 2002 से प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के कार्यालय की स्थापना की गई है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की वर्ष 2000 में स्थापना होने के बाद भारत सरकार (कार्य आबंटन), नियमावली, 1961 के अंतर्गत दूरसंचार विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:—

- (क) टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलैस, डाटा, फैंसिमाइल तथा टेलीमेटिक्स सेवाओं एवं संचार के अन्य समान साधनों के संबंध में नीति निर्धारण, लाइसेंसिंग तथा समन्वय संबंधी मामले।
- (ख) दूरसंचार से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (आईटीयू), इसका रेडियो रेगुलेशन बोर्ड (आरआरबी), रेडियो कम्यूनिकेशन सेक्टर (आईटीयू-आर) टेलीकम्यूनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर (आईटीयू-टी), डेवलपमेंट सेक्टर (आईटीयू-डी), इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन सेटलाइट आर्गेनाइजेशन (इंटलसेट), इंटरनेशनल मोबाइल सैटलाइट ऑर्गेनाइजेशन (आईएनएमएआरएसएटी), एशिया पेसिफिक टेलीकम्यूनिकेशन्स के मामलों सहित दूरसंचार से जुड़े मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
- (ग) दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना।
- (घ) दूरसंचार में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना।
- (ङ) संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा अध्ययन को बढ़ावा देने और दूरसंचार संबंधी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन हेतु वित्तीय सहायता जिसमें:
 - संस्थानों को सहायता, वैज्ञानिक संस्थानों को सहायता और वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली सहायता।
 - शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना और दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन हेतु विदेश जाने वाले छात्रों सहित अन्य व्यक्तियों को अन्य प्रकार की सहायता शामिल है।
- (च) दूरसंचार आयोग।
- (छ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
- (ज) दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण।
- (झ) इस सूची में उल्लिखित किन्हीं मामलों के संबंध में कानूनों का प्रशासन, नामतः
 - भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13)



- भारतीय बेटार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17)
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24)

(ज) भारतीय टेलीफोन उद्योग लि.

(ट) विनिवेश के बाद मैसर्स हिंदुस्तान टेलीप्रिन्टर्स से संबंधित मामले।

(ठ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

(ड) महानगर टेलीफोन निगम लि.

(ढ) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लि.

(ण) टाटा कम्यूनिकेशन्स लि. (टीसीएल) तथा टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेंट्स (इंडिया) लि.

(त) हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लि.

(थ) सी-डाट से संबंधित सभी मामले

(द) पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित शेष कार्य जिनमें निम्नलिखित से संबंधित मामले भी शामिल हैं—

- भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेसन होने तक समूह क और अन्य वर्गों के कार्मिकों के संवर्ग नियंत्रण संबंधी कार्य।
- प्रशासन तथा सीमान्त लाभों का भुगतान।

(ध) दूरसंचार विभाग के पूंजीगत बजट में डेबिट खाते में डाले जाने वाले निर्माण, खरीद और भूमि के अर्जन आदि कार्यों का निष्पादन।

1. लाइसेंस प्रदान करना


यह विभाग सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार विभिन्न शहरों एवं दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी और मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रचालकों को लाइसेंस प्रदान करता है।

1.1 एकीकृत लाइसेंस प्रदान करना

विभाग ने अप्रैल-सितम्बर, 2014 के दौरान तीन अन्य कम्पनियों अर्थात् मैसर्स सिफी टेक्नोलॉजिस लि., मैसर्स हयूजस कम्यूनिकेशन्स इंडिया लि. और मैसर्स सिंप्रट टेलीकॉम इंडिया प्रा. लि. को एकीकृत लाइसेंस प्रदान किए। दिनांक 16.10.2014 को मैसर्स भारती एयरटेल लि. को एक एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है। अतः दिनांक 16.10.2014 की स्थिति के अनुसार विभाग द्वारा 8 एकीकृत लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

1.2 राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एनएलडी) सेवा और अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा (आईएलडी) के लिए लाइसेंसिंग

अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी और राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिए जाने की घोषणा के बाद सरकार ने अब तक 27 आईएलडी लाइसेंस और 34 एनएलडी लाइसेंस (बीएसएनएल सहित) जारी किए हैं। एकीकृत लाइसेंस प्रणाली शुरू होने के बाद एनएलडी और आईएलडी सेवाओं के प्रचालन के लिए नए लाइसेंस



एकीकृत लाइसेंस के तहत प्राधिकार के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। एकीकृत लाइसेंस (यूएल) प्रणाली के तहत उपर्युक्त उल्लिखित लाइसेंसों के अतिरिक्त आईएलडी सेवाएं पेश करने के लिए 5 लाइसेंस धारकों को प्राधिकृत किया गया है और 6 लाइसेंसधारकों को एनएलडी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

एनएलडी/आईएलडी के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क दिनांक 31 अप्रैल, 2013 से समायोजित राजस्व के 8 प्रतिशत (यूएसओ अंशदान सहित) तक बढ़ाया गया है। एनएलडी प्रचालकों के लिए कोई अनिवार्य रॉल आउट दायित्व नहीं है। आईएलडी प्रचालकों के लिए रॉल-आउट दायित्व तीन वर्षों की अवधि में कम से कम एक आईएलडी गेटवे स्थापित करना है।



प्रगति अधीन टेलीफोन केबल बिछाने का कार्य

1.3 इंटरनेट और ब्राडबैंड सेवाएं

दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट सेवाओं के लिए 325 लाइसेंस प्राधिकृत किए गए हैं जिसमें श्रेणी 'क' के 84 लाइसेंस, श्रेणी 'ख' के 135 लाइसेंस और श्रेणी 'ग' के 106 लाइसेंस हैं।

इंटरनेट सेवाओं को एकीकृत लाइसेंस में शामिल किया गया है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए आईएसपी प्राधिकार सहित 118 एकीकृत लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसमें 9 श्रेणी 'क' आईएसपी प्राधिकार, 99 श्रेणी 'ख' आईएसपी प्राधिकार तथा 38 श्रेणी 'ग' आईएसपी प्राधिकार शामिल हैं।

1.4 वैरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वी सैट) सर्विसेज

भारत की क्षेत्रीय सीमा के अंदर इनसैट उपग्रह का उपयोग करते हुए वैरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वी सैट) के



लिए गैर-अनन्य आधार पर लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। वी सैट लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारक वी सैट एवं केन्द्रीय हब का उपयोग करते हुए पूरे भारत में फैली विभिन्न साइटों के बीच संवृत उपभोक्ता समूह (सीयूजी) के अंदर डाटा कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। वी सैट लाइसेंसों की दो श्रेणियां हैं:—

- (क) कैप्टिव सीयूजी वी सैट लाइसेंस, जिसमें लाइसेंसधारक कंपनी केवल अपने आंतरिक प्रयोग के लिए वी सैट नेटवर्क स्थापित कर सकती है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, कुल 27 कैप्टिव सीयूजी वी सैट लाइसेंस प्रभावी थे।
- (ख) वाणिज्यिक सीयूजी वी सैट लाइसेंस, जिसमें लाइसेंसधारक कंपनी वाणिज्यिक आधार पर अनेक सीयूजी के लिए सीयूजी वी सैट सेवा प्रदान कर सकती है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, वाणिज्यिक सीयूजी वी सैट सेवाओं के लिए 11 लाइसेंस थे। उपर्युक्त 9 लाइसेंसों के अतिरिक्त, एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू होने के बाद एकीकृत लाइसेंसों के तहत वीसेट सीयूजी सेवाओं के लिए 4 अखिल भारत प्राधिकार भी जारी किए गए हैं।

दूरसंचार विभाग संगठनों को कैप्टिव नेटवर्क के लिए अनुमति भी जारी करता है जिसमें अनुमति-धारक अपने आंतरिक प्रयोग के लिए कैप्टिव नेटवर्क स्थापित कर सकता है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार ऐसी चार अनुमतियां जारी की जा चुकी हैं।

1.5 अवसंरचना प्रदाता (श्रेणी- I) आईपी-1 का पंजीकरण प्रमाण-पत्र

आईपी-1। पंजीकरण के तहत कम्पनी लाइसेंसशुदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डार्क फाइबर, मार्गाधिकार, डक्ट स्पेस, टॉवर आदि प्रदान कर सकती है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार अवसंरचना प्रदाता श्रेणी- I में 490 कम्पनियों का पंजीकरण किया गया है।

1.6 वायस मेल/आडियोटेक्स/एकीकृत संदेश सेवा

वायस मेल/आडियोटेक्स/एकीकृत संदेश सेवा प्रदान करने के लिए दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार 30 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। वायस मेल/आडियोटेक्स/यूएमएस के लिए कोई प्रवेश शुल्क अथवा लाइसेंस शुल्क नहीं है।

1.7 पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रेकिंग सेवा


दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रेकिंग सेवा प्रदान करने के लिए 4 मैट्रो तथा 15 सर्किलों में 40 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

1.8 उपग्रह द्वारा वैश्विक मोबाइल वैयक्तिक संचार

उपग्रह द्वारा वैश्विक मोबाइल वैयक्तिक संचार (जीएमपीसीएस) लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ अंतरमंत्रालयी समिति जिसमें सचिव (टी) मंत्रिमंडल सचिवालय, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सचिव (अंतरिक्ष विभाग) एवं सचिव (आसूचना ब्यूरो) शामिल होते हैं, द्वारा सुरक्षा दृष्टि से अनापत्ति प्रस्ताव भी शामिल है। प्रक्रिया में सुरक्षा निगरानी जीएमपीसीएस भूमि स्टेशन (गेटवे) की स्थापना भी शामिल है। अभी तक कोई जीएमपीसीएस लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

2. पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में पूरे देश में एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी की परिकल्पना की गई



है। इस संबंध में विभाग ने ट्राई की सिफारिशों के अनुसार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लाइसेंस शर्तों तथा अन्य अनुदेशों में आवश्यक संशोधन किए हैं।

3. नेटवर्क तथा प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ (एनटी प्रकोष्ठ)

3.1 आईपीवी6 कार्यान्वयन स्थिति

'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड इंटरनेट से जोड़ना, ई-शासन को बढ़ावा देना और भारत को एक संपृक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इंटरनेट सामाजिक-आर्थिक विकास का वस्तुतः, प्रमुख प्रौद्योगिकी कर्ता है क्योंकि यह दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने का एक प्रभावी माध्यम है। इंटरनेट प्रोटोकाल वर्जन-4 (आईपीवी4) इंटरनेट का दोषपूर्ण प्रोटोकाल हो गया है क्योंकि इसकी अवधारणा और इंटरकनेक्शनों के लिए अरबों की संख्या में उपकरणों के लिए अपेक्षित भारी मात्रा में आईपी एड्रेसों की भी जरूरत पड़ती है। इस तथ्य के मद्देनजर कि आईपीवी4 एडेसेस लगभग अवशोषित हो चुके हैं, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में नेक्सट जेनरेशन इंटरनेट प्रोटोकाल वर्जन-6 (आईपीवी6) की भावी भूमिका को पहचाना गया है तथा इसका उद्देश्य देश में चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से आईपीवी6 में महत्वपूर्ण परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करना है।

दूरसंचार विभाग को देश में आईपीवी6 परिवर्तन के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। तदनुसार, दूरसंचार विभाग द्वारा जुलाई, 2010 में 'राष्ट्रीय आईपीवी6 डिप्लायमेंट रोडमैप (V-I) जारी किया गया। पहले रोडमैप में परिकल्पित महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद लाभों को समेकित करने तथा प्राप्त किए गए लक्ष्यों को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता थी। अतः मार्च, 2013 में दूरसंचार विभाग द्वारा 'राष्ट्रीय आईपीवी6 डिप्लायमेंट रोड मैप (V-II)' जारी किया गया। इस रोडमैप का एक मुख्य उद्देश्य अगला कदम और बढ़ाना था तथा चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से हमारे देश को आईपीवी6 में महत्वपूर्ण परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना था। रोडमैप V-II के अनुसार आईपीवी6 परिवर्तन हेतु सरकारी संगठनों को उनके चरणबद्ध प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए 'आईपीवी6 एडोप्शन माइलस्टोन' नामक एक 13 सूत्रीय प्रपत्र सभी सरकारी संगठनों को जारी किया गया। यह सभी केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हो गया है।

दूरसंचार विभाग, देशभर में सरकारी संगठनों में प्रमुख नीति निर्धारकों, सेवा प्रदाताओं, कन्टेन्ट तथा एप्लीकेशन्स प्रदाताओं, उपकरण विनिर्माताओं, शिक्षाविदों आदि सहित लगभग 10,000 पणधारियों को इसका लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम सभी पणधारियों में इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बना रहा है।

3.2 मशीन से मशीन (एम2एम) संचार


एम2एम नेटवर्कों के संचार पहलुओं के संबंध में एम2 एम नीति तथा विनियामक मुद्दों का समाधान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा दो स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। उच्च स्तरीय नीति एवं विनियामक समिति दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधियों से बनाई गई है ताकि सरकारी पक्ष की नीति एवं विनियामक पहलुओं को रेखांकित किया जा सके। उद्योग स्तर की परामर्शी समिति उद्योग जगत के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हुए प्रारूप नीति को रेखांकित करने के लिए बनाई गई है। मुद्दों की तथा उद्योग की आवश्यकताओं को बेहतर समझ/ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्योग परामर्श की नीति अपनाई गई। परामर्श के आधार पर एम2एम नीतियां एवं विनियम तैयार करने के लिए विचारार्थ विषय तैयार किए गए।



श्री ए.के. भार्गव, सदस्य (टी) की अध्यक्षता में 'बिजनेस केस ऑफ स्मार्ट सिटीज' के बारे में 'एचएएस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट', कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एमबीए छात्रों के साथ परस्पर बातचीत

4. दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

दूरसंचार क्षेत्र को देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए सबसे आकर्षक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। दूरसंचार क्षेत्र को निवेशकों के अधिक अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी है। दूरसंचार सेवाओं के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मौजूदा एफडीआई नीति जो लाइसेंसधारकों तथा निवेशकों द्वारा लाइसेंसिंग और सुरक्षा शर्तों का अनुपालन किए जाने के अधीन है, निम्नानुसार हैं:-




क्र० सं०	सेक्टर / कार्यकलाप	एफडीआई / इक्विटी की अधिकतम सीमा	प्रवेश रूट
1.	दूरसंचार सेवाएं (दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1 सहित) दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-सहित दूरसंचार सेवाएं, नामत(कोलन) बुनियादी, सेलुलर, एकीकृत अभिगम सेवाएं, एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवाएं) एकीकृत लाइसेंस, एकीकृत लाइसेंस, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी, वाणिज्यिक वी-सैट, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सेवाएं (पीएमआरटीएस), वैश्विक मोबाइल वैयक्तिक संचार सेवाएं, (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आईएसपी लाइसेंस, वॉयस मेल / ऑडियो टेक्स / यूएमएस, आईपीएलसी का पुन(कोलन) विक्रय, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाएं, अन्य सेवा प्रदाताओं को छोड़कर अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1। (डार्क फाइबर, मार्गाधिकार, डक्ट स्पेस, टावर उपलब्ध कराना।	100%	49% तक आटोमेटिक एफआईपीबी के माध्यम से 49% से अधिक
2.	दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण	100%	ऑटोमेटिक

अप्रैल 2000 से अगस्त 2014 तक दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई का वास्तविक अंतर्वाह 16,499 मिलियन अमेरिकी डालर है। गत चार वर्षों और चालू वर्ष का संचयी एफडीआई आंकड़ा निम्नानुसार है:-

वर्ष 2000 से दूरसंचार क्षेत्र में संचयी एफडीआई	
वर्ष समाप्त होने तक	संचयी एफडीआई (अमेरिकी डालर मिलियन में)
मार्च 11	10589
मार्च 12	12552
मार्च 13	12856
मार्च 14	14163
अगस्त, 2014 तक	16499



वर्ष 2000 से दूरसंचार क्षेत्र में संचयी एफडीआई (अमेरिकी डॉलर मिलियन में)




स्रोत: डीआईपीपी वेबसाइट

5. दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, आईपीआर सृजन, परीक्षण, मानकीकरण तथा विनिर्माण अर्थात् दूरसंचार उपकरणों के घरेलू उत्पादन की समग्र मूल्य श्रृंखला का संवर्धन करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए यह विभाग, इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (डीआईटीवाई) विभाग के समन्वय से कार्य कर रहा है और इस प्रकार सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित 4 दूरसंचार उत्पादों, जो सूचना प्रौद्योगिकी करार के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, पर 10 प्रतिशत मूलभूत सीमा शुल्क लगाया है:

- इंटरनेट प्रोटोकॉल उपकरण पर साफ्ट स्विच और वायस अर्थात् वीओआईपी फोन, मीडिया गेटवेज़, गेटवे कन्ट्रोलरर्स तथा सेशन बार्डर कन्ट्रोलरर्स;
- ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, एक अथवा अधिक पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट का संयोजन अथवा स्विच (पीओटीपी अथवा पीओटीएस)। ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ओटीएन) उत्पाद और आईपी रेडियो;
- कैरियर ईथरनेट स्विच, पैकेट ट्रांसपोर्ट नोड (पीटीएन) उत्पाद, मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल (एमपीएलएस-टीपी) उत्पाद;
- मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (एमआईपीओ) और लांग टर्म इवोल्यूशन (एल.टी.ई) उत्पाद।



सरकार ने घरेलू रूप से विनिर्मित वस्तुओं और आयातित वस्तुओं के बीच समानता लाने के उद्देश्य से आयातित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर शिक्षा उप-कर भी लगाया है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में 12वीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपत्ति अधिकार (आईपीआर) सृजन, उद्यमशीलता, निर्माण, वाणिज्यीकरण तथा अद्यतन दूरसंचार उत्पादों एवं सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक कोष सृजित करने का भी प्रस्ताव था। सरकार ने अब दिसंबर, 2014 में इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ) की स्थापना किए जाने की अनुशंसा कर दी है। ईडीएफ नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एवं निर्माण, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा दूरसंचार के क्षेत्र में प्रारंभिक चरण ऐंजल निधियों और वेंचर निधियों सहित पुत्री निधियों की मदद करना है। समर्थित पुत्री निधि से ईएसडीएम, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार सहित सूचना प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में देश के अंदर नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

सरकार ने केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत "दूरसंचार नेटवर्क" में इस्तेमाल हेतु माल की परिभाषा में सेट टॉप बॉक्स को भी शामिल किया है इससे फॉर्म 'ग' की सुविधा सेट टॉप बॉक्स को भी प्राप्त हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, अब स्थानीय निर्मित सेट टॉप बॉक्स की कीमत आयातित सेट टॉप बॉक्स के बराबर पड़ती है। इससे स्वदेशी सेट टॉप बॉक्स निर्माताओं को बड़े पैमाने पर अवसर मिलने लगे हैं। स्थानीय सेट टॉप बॉक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयातित सेट टॉप बॉक्सों पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत बढ़ा भी दिया है।

5.1 मोबाइल फोन, पुर्जों, सिम कार्ड और दूरसंचार केबल सहित दूरसंचार उपस्करों का आयात और निर्यात

वर्ष 2013-14 के दौरान मोबाइल फोन, पुर्जों और दूरसंचार केबल सहित 6,95,164 मिलियन रूपए राशि के दूरसंचार उपस्करों का आयात किया गया और अप्रैल, 2014 से अक्टूबर, 2014 के दौरान 5,23,105 मिलियन रूपए राशि के उपस्करों का आयात किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान मोबाइल फोन, पुर्जों और दूरसंचार केबल सहित 2,04,752 मिलियन रूपए राशि के दूरसंचार उपस्करों का निर्यात किया गया और अप्रैल, 2014 से अक्टूबर, 2014 के दौरान 52,630 मिलियन रूपए राशि के उपस्करों का निर्यात किया गया।

6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

सरकार ने अनुसंधान एवं विकास, आईपीआर, मानकीकरण, उत्पाद विकास और दूरसंचार उपस्करों का निर्माण तथा उनके निर्यात सहित सेवाओं को बढ़ावा देने के मद्देनजर निम्नलिखित सोसायटियों की स्थापना किए जाने को सरल बना दिया है:

- अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद विकास सहित आईपीआर सृजन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति में दूरसंचार उत्कृष्टता केन्द्र (टीसीओई), भारत।
- मानकीकरण हेतु दूरसंचार मानक विकास सोसायटी, भारत (टीएसडीएसआई)।
- दूरसंचार उपकरण एवं सेवाओं के निर्यात को सरल बनाने हेतु दूरसंचार उपस्कर एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद् (टीईपीसी)।



टीसीओई-इण्डिया



इन सोसायटियों की संक्षिप्त उपलब्धियाँ निम्नवत हैं:-

6.1 दूरसंचार उत्कृष्टता केन्द्र, भारत (टीसीओई)


दूरसंचार केन्द्र (डीओटी), भारत सरकार की पहल पर एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में दूरसंचार उत्कृष्टता केन्द्र, भारत (टीसीओई) की देश में दूरसंचार की वृद्धि की उच्च दर को बनाए रखने के लिए एक पारिस्थितिकी-प्रणाली के सृजन के लक्ष्य के साथ देश के 08 अग्रणी शैक्षिक संस्थानों में स्थापना की गई है। टीसीओई ने नवाचार, नवीन प्रौद्योगिकियों, आईपीआर के संबंध में भारत को दूरसंचार के क्षेत्र में विश्व का शीर्षतम देश बनाने के लिए सरकार, उद्योग एवं शैक्षिक जगत को एकजुट होकर मिलजुल कर कार्य करने के लिए एक मंच सृजित किया है जिससे वैश्विक मानकों, नीतिगत हिमायत और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

लक्ष्य

- (क) उद्योग के साथ संयुक्त रूप से प्रयोग उन्मुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार।
- (ख) "प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण" एवं "उद्यमशीलता विकास" की मार्फत क्षमता निर्माण।
- (ग) दूरसंचार क्षेत्र के अभिशासन एवं विनियमन के लिए नीतिगत हिमायत हेतु विचारशील कार्यविधियां।
- (घ) भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्विक मानकों को प्रभावित करना।

उपलब्धियाँ

1	प्रायोजकों द्वारा अनुमोदित विभिन्न प्रौद्योगिकियों की संकल्पना का साक्ष्य	40 (एच/डब्ल्यू=7, आवेदन=33)	- 89 मौजूदा परियोजनाओं में से
2	आईपीआर एवं पेटेंट्स	14 + 20	- 6 यूएस पेटेंट्स सहित
3	नीतिगत/प्रबंध संबंधी निर्णयों के समर्थन में अनुसंधान कागजात	41	- टीसीओई एवं आईआईएमए की वेबसाइट में प्रकाशित
4	प्रचालक नेटवर्क में प्रौद्योगिकी की शुरुआत	05	
	(क) डिजिटल किसान मंडी (ख) आटो ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म (ग) मोबाइल सोशल नेटवर्किंग मंच (घ) नेटवर्क ओपेक्स ऑप्टिमाइजेशन (ङ) लाइसेंसरहित बैंड रेडियो (यूबीआर)	बीएसएनएल + आईआईटी के आरकॉम.+ आईआईटीएम टीटीएल + आईआईटी बी टीटीएल + आईआईटी बी टीटीएल + आईआईटी बी	- हरियाणा एवं ओडिशा में प्रारंभ - वाणिज्यिकृत किया जा रहा है - टीटीएल के नेटवर्क में प्रारंभ किया गया - 10-15% ओपेक्स बचत प्रदर्शित की गई - कम लागत वाई-फाई + बहु उपयोग



5	निर्मित किए जा रहे उत्पाद	02	
	(क) ग्रामीण बीटीएस हेतु परिवर्ती चरण ऊर्जा संयंत्र (ख) लाइसेंसरहित बैंड रेडियो (यूबीआर)	वीएमसी + आईआईटी के प्रीमेटल + आईआईटी बी	– जेनसेट चलाए जाने में 25% कमी – कम लागत, उच्च निष्पादन, 1000 लिक्स प्रचालन
6	सिमुलेटर्स	02	
	(क) सेलुलर बेस स्टेशन को ऊर्जाक्षम बनाना (ख) ब्रॉडबैंड वायरलैस सिमुलेटर	आईआईटी एम सीईडब्ल्यूआईटी + आईआईटी एम + आईआईटीकेजीपी + आईआईटी बी + आईआईटीके	– ऊर्जा प्रबंधन हेतु – 4जी, एलटीई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण हेतु
7	आईपीवी6 परामर्शी एवं प्रशिक्षण	आईआईटी कानपुर	– बीएसएनएल एवं गृह मंत्रालय में किया गया
8	उद्यमशीलता	04 (आईआईटीएम: 2, आईआईटीएम: 2)	– वर्ष 2013 में आईआईटी बी से इंक्यूबेटिड पंचशील अनुसंधान प्रा. लि. एवं डीएसपी वर्क्स लि.

6.2 टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड्स विकास सोसायटी, भारत (टीएसडीएसआई)

टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड्स विकास सोसायटी, भारत (टीएसडीएसआई) भारत उन्मुख आवश्यकताओं हेतु मानकीकृत समाधान विकसित, संवर्धित एवं उसे बनाए रखने के लक्ष्य के साथ भारत का दूरसंचार स्टैंडर्ड्स विकास संगठन है। टीएसडीएसआई का आशय वैश्विक दूरसंचार मानकीकरण प्रक्रिया में अपने कार्य से योगदान करना है तथा यह भारतीय उपग्रह में डिजाइन के स्थानीय विकास एवं निर्माण में विशेषज्ञता के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने **अक्टूबर, 2013** में टीएसडीएसआई की उपविधियों और नियमों तथा विनियमों को अनुमोदित किया।

टीएसडीएसआई को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के सांविधिक दर्जे के साथ दिनांक **7 जनवरी, 2014** को नई दिल्ली, भारत में पंजीकृत किया गया है। यह एक कॉमन मंच पर भारतीय दूरसंचार क्षेत्र नामतः सरकार, सेवा प्रदाता, विनिर्माण कंपनियों, तकनीकी सेवाओं से संबंधित कंपनियों, अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं शैक्षिक संस्थानों के सभी स्टेकधारकों का प्रतिनिधित्व करता है। टीएसडीएसआई मानक तैयार करने के लिए, जो कि भारतीय उपभोक्ताओं की विशेष आवश्यकताओं का समाधान करते हैं और उपस्कर निर्माताओं तथा प्रचालकों की आवश्यकताओं को उन तरीकों से पूरा करने में मदद करते हैं जोकि दोनों ही के लिए लाभदायक हों, जानकारी साझा करने, परामर्श एवं आमराय बनाने के लिए श्रेष्ठ प्रथाओं का अनुपालन करने का प्रयास करता है।



अन्य मानक विकास संगठनों के साथ हस्ताक्षरित सहयोग करार

- (क) रेडियो उद्योग एवं कारोबार संघ (एआरआईबी)—जापान,
- (ख) दूरसंचार उद्योग समाधान मैत्री (एटीआईएस)—अमरीका,
- (ग) चीन संचार मानक संघ (सीसीएसए),
- (घ) यूरोपियन दूरसंचार मानक संस्थान (ईटीएसआई),
- (ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी संघ (टीटीए)—कोरिया,
- (च) दूरसंचार प्रौद्योगिकी समिति (टीटीसी)—जापान

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी—जीएससी, 3जीपीपी एवं एक एम2एम

टीएसडीएसआई को सोफिया एंटीपोलिस, फ्रांस में दिनांक 22–23 जुलाई, 2014 के दौरान आयोजित जीएससी की 18वीं बैठक के दौरान, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कोलाबोरेशंस (जीएससी) के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। टीएसडीएसआई की सदस्यता को, यह दर्शाते हुए रिकॉर्ड समय में अनुमोदित किया गया कि विश्व समुदाय भारत के एसडीओ संबंधी प्रयासों को महत्व दे रहा है।


टीएसडीएसआई को 3जीपीपी के सातवें भागीदार सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है अब यह एकएम2एम की टाइप 1 सदस्यता का आकांक्षी है।

6.3 दूरसंचार उपस्कर एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद् (टीईपीसी)

दूरसंचार उपस्कर एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद् (टीईपीसी) देश से दूरसंचार निर्यातों को बढ़ाने में एक परिषद् के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह अपनी सदस्य कंपनियों को अपने निर्यातों को सुगम बनाने में सहायता करता है। परिषद् दूरसंचार हार्डवेयर निर्माताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार सॉफ्टवेयर विक्रेताओं और परामर्शकों समेत संपूर्ण दूरसंचार परिवेश तंत्र को पूरा करता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान टीईपीसी की उपलब्धियां

- (क) फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस) सार्वजनिक नोटिस संख्या: 53(आरई 2013)/2009–14 दिनांक 27 फरवरी 2014 की 5% ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के अंतर्गत दूरसंचार उत्पादों को शामिल करना।
- (ख) टीईपीसी ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में निर्यातक इमदादी भागीदारी को सुगम बनाया:—
 - i. सीईबीआईटी 2014, ऑस्ट्रेलिया: सिडनी ऑस्ट्रेलिया (5–7 मई 14)
 - ii. इस्राइल नवाचार सम्मेलन 2014, इस्राइल (20–22 मई 14)
 - iii. कम्युनिकएशिया 2014: सिंगापुर (17–20 जून 14)
 - iv. पूर्व अफ्रीकाकॉम प्रदर्शनी, नौरोबी, कीनिया (8–9 सितंबर 14)
 - v. के.एल. कन्वर्जिस : मलेशिया (17–19 सितंबर 14)
 - vi. जीटैक्स 2014: दुबई (12–16 अक्टूबर 14)
 - vii. फ्यूचरकॉम 2014: ब्राजील (13–16 अक्टूबर 14)
 - viii. अफ्रीकाकॉम 2014: केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका (11–13 नवंबर 14)



7. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

वर्ष 2014–2015 दूरसंचार विभाग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्यविधियों और दौरों से भरपूर रहा।

आईटीयू, एपीटी और आईटीएसओ इत्यादि जैसे अंतरसरकारी संगठनों के साथ बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यकलाप हुए। भारतीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने द्विपक्षीय संबंधों और प्रौद्योगिकीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए दूसरे देशों का दौरा किया तथा अनेक विदेशी हस्तियों ने भी भारत की बढ़ती साख को दर्शाते हुए भारत का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में कार्यकलापों को निम्नवत श्रेणीबद्ध किया गया है:—

- (क) द्विपक्षीय सहयोग पर कार्यकलाप।
- (ख) अंतरसरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बहुपक्षीय सहयोग एवं सम्मेलनों संबंधी कार्यकलाप।
- (ग) अध्ययन समूह की बैठकें।
- (घ) आईटीयू/एपीटी एवं आईटीयू-टी अध्ययन समूह की बैठकों के साथ क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- (ङ) समारोह—अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां और प्रचारात्मक समारोह।

7.1 द्विपक्षीय सहयोग

क) विदेशी दौरे पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल

दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधियों ने दिनांक 20–22 मई 2014 के दौरान तेल अबीब में आयोजित प्रथम इस्राइल नवाचार MIXII सम्मेलन 2014 में भाग लिया।

ख) भारत के दौरे पर विदेशी प्रतिनिधिमंडल

जापानी मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया। जापान के आंतरिक मामले एवं संचार उपमंत्री श्री यासुओ साकामोटो ने दिनांक 3 दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आगामी वर्षों में दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनो देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हरित आईसीटी, साइबर सुरक्षा सहयोग, आपदा प्रबंधन हेतु आईसीटी (आईसीटी4डीएम), सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों हेतु आईसीटी प्रयोग के क्षेत्रों में चार संयुक्त कालदल बनाने की योजना बनाई गई है।

7.2 बहुपक्षीय सहयोग

क) माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 8–11 सितंबर, 2014 के दौरान एशिया-प्रशांत दूरसंचार समुदाय (एपीटी) मंत्री सम्मेलन एवं तैयारी बैठक में भाग लिया। माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आईसीटी की मार्फत सुरक्षित एवं रक्षित सोसायटी संबंधी सत्र में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान नवाचारपरक अर्थव्यवस्था हेतु एक बनाए रखने योग्य आईसीटी परिवेशप्रणाली को सक्षम बनाने के लिए सत्र की अध्यक्षता भी की।



ख) आईटीयू प्लेनिपोटेंशियरी (पीपी-14) सम्मेलन एवं प्लेनिपोटेंशियरी सम्मेलन हेतु तैयारी बैठकें

दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया और बैंकॉक में आयोजित एपीटी तृतीय एवं चतुर्थ पीपी तैयारी बैठकों में भाग लिया। अक्टूबर 2014 में बुसान (दक्षिण कोरिया) में अंतिम सम्मेलन में इस तैयारी प्रक्रिया की समाप्ति हुई।

प्लेनिपोटेंशियरी सम्मेलन एक मुख्य समारोह है जिसमें आईटीयू सदस्य देश संगठन की भावी भूमिका निर्धारित करके विश्वभर में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के विकास को प्रभावित करने में संगठन की सामर्थ्य को निर्धारित करते हैं। प्लेनिपोटेंशियरी सम्मेलन आईटीयू का एक शीर्षस्थ नीति निर्धारक निकाय है जिसकी बैठक हर चार साल में होती है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, दूरसंचार सचिव एवं उपमहानिदेशक (आईआर) द्वारा किया गया। उपमहानिदेशक (आईआर) ने पीपी सम्मेलन की दौरान सुरक्षित सूचना सोसायटी तैयार करने में आईटीयू की भूमिका पर टिप्पणी की। इस सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों की संगतता को स्वीकार किया गया।

ग) आईटीयू अभिशासन परिषद् सदस्य के रूप में भारत

भारत ने 2015-18 की अवधि के दौरान आईटीयू अभिशासन परिषद् की सदस्यता प्राप्त की। भारत ने आईटीयू चुनाव लड़ने के परिपेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के लिए भारतीय रात्रि का आयोजन भी किया।

घ) आईटीयू विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन (डब्ल्यूटीडीसी-2014)

29 मार्च से 7 अप्रैल, 2014 की अवधि के दौरान सचिव (दूरसंचार), सदस्य (दूरसंचार), सदस्य (वित्त), वरिष्ठ उपमहानिदेशक, टीईआरएम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दुबई में आईटीयू डब्ल्यूटीडीसी के सम्मेलन में भाग लिया। आईटीयू-डी क्षेत्र में डब्ल्यूटीडीसी शीर्ष स्तर का सम्मेलन है। आईटीयू रणनीतिक योजना और अन्य संगत क्षेत्रों में भारत की ओर से अनेक प्रकार से योगदान किया गया।

ङ) निदेशक (टीएसबी) आईटीयू एवं इलेक्ट डीएसजी, आईटीयू का दौरा


दूरसंचार मानकीकरण ब्यूरो (टीएसबी), आईटीयू निदेशक श्री मेल्कॉम जॉनसन दिनांक 9-10 दिसंबर, 2014 के दौरान भारत के अपने सरकारी दौरे पर थे। उन्होंने इस दौरान माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा दूरसंचार सचिव के साथ साथ दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने उद्योग जगत के उद्यमियों से भी मुलाकात की।

च) ईटीएसआई

दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधियों ने दिनांक 21-23 जुलाई, 2014 के दौरान फ्रांस में आयोजित 18वीं ग्लोबल मानक सहयोग बैठक में भाग लिया।

छ) 9वें आईजीएफ (इंटरनेट अभिशासन मंच)

दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधियों ने दिनांक 2-5 सितंबर, 2014 के दौरान इस्तानबुल में आयोजित 9वें इंटरनेट अभिशासन मंच में भाग लिया।



ज) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन (आईटीएसओ) के सदस्यों की 36वीं सभा

सदस्य (दूरसंचार) की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने मई, 2014 में वाशिंगटन, अमरीका में आयोजित उच्च स्तरीय समारोह में भाग लिया। भारत को आईटीएसओ सलाहकार परिषद् का एक सदस्य चुना गया है।

झ) टीडीएजी (दूरसंचार विकास सलाहकार दल) की बैठक

दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने 29 सितम्बर से 01 अक्टूबर, 2014 के दौरान आईटीयू मुख्यालय में टीडीएजी की बैठक में भाग लिया। भारत टीडीएजी ब्यूरो का एक सदस्य है।



ब्रुनई, दारुस्सलाम में दिनांक 10-11 सितम्बर, 2014 को आयोजित "आईसीटी की मार्फत स्मार्ट डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण" पर एशिया-प्रशांत आईसीटी मंत्रीस्तरीय बैठक

7.3 अध्ययन दल (एसजी) की बैठकें

आईटीयू अध्ययन दल की बैठकों का लक्ष्य आईसीटी वृद्धि हेतु क्षमता निर्माण एवं मानकों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए योगदान, श्रेष्ठ प्रथाओं और जानकारी को साझा करना है। इन बैठकों में चर्चा किए गए मुद्दे आईसीटीपरिवेश प्रणाली को विकसित करने और चुनौतियों एवं मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा मंचों तक ले जाने हेतु एक उदयीमान देश के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।



भारत द्वारा कोची में आईटीयू-टी एसजी 5 की बैठक का आयोजन

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 8-19 दिसंबर, 2014 के दौरान कोची में पर्यावरण एवं मौसम परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण आईटीयू-टी एसजी 5 की बैठक का आयोजन किया। दूरसंचार सचिव ने दिनांक 14 दिसंबर को कोची में इस समारोह एवं आईटीयू संगोष्ठी का उदघाटन किया। इस समारोह में उद्योग जगत के अनेक सदस्यों और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया तथा इसमें आईटीयू अध्ययन दल की भावी बैठकों के बारे में जानकारी देने के संबंध में अवसर प्राप्त हुआ।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने अलग-अलग क्षेत्रों में आईटीयू अध्ययन दलों को निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:-

- क) जुलाई, 2014 में जेनेवा में आईटीयू-टी अध्ययन दल 5 की बैठक।
- ख) एनआईएसटी (राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान) कार्यशाला: उपमहानिदेशक (सुरक्षा), उपमहानिदेशक (टीटीएससी) एवं उपमहानिदेशक (एनजीएन) ने दिनांक 15-19 सितंबर, 2014 के दौरान अमरीका में आयोजित की गई इस कार्यशाला में भाग लिया।
- ग) नवम्बर, 2014 में जेनेवा में आईटीयू-टी अध्ययन दल 15 की बैठक।


7.4 प्रशिक्षण

दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने आईटीयू, एपीटी आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में विदेशों में आयोजित किए गए क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों में भाग लिया:-

- क) दूरसंचार क्षेत्र में वृहद डाटा और क्लाउड सेवाएं।
- ख) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ब्रॉडबैंड नेटवर्कों को बढ़ावा देने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकीय प्रवृत्ति, आयोजना पद्धतियां एवं मानकीकरण।
- ग) परियात, अभिगम एवं गृह हेतु नेटवर्क्स, प्रौद्योगिकियां एवं अवसंरचनाएं।
- घ) ब्रॉडबैंड वायरलेस नेटवर्क एकीकरण तथा 5जी में अंतरण।
- ङ) अगली पीढ़ी की मोबाइल दूरसंचार प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग।
- च) आईसीटी विकास हेतु फ्रेमवर्क्स को सक्षम बनाना।
- छ) स्मार्ट सिटी।
- ज) व्यावहारिक प्रौद्योगिकियां और ग्रामीण क्षेत्र (तकनीकी व्यवहार के साथ) हेतु लघु पैमाने पर दूरसंचार के लिए उनका कार्यान्वयन।
- झ) मोबाइल दूरसंचार प्रौद्योगिकियां और सेवाएं।
- ञ) एलटीई और अनुप्रयोग।

7.5 समारोह

दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रौद्योगिकी और उत्पादों के संबंध में आईसीटी क्षेत्र में भारत में निवेश, उन्नयन, अवसरों के संदर्भ में विदेशों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण समारोहों में भाग लिया:-



- क) मई, 2014 में सिडनी, आस्ट्रेलिया में आयोजित सीईबीआईटी 2014 प्रदर्शनी।
- ख) जून, 2014 में सिंगापुर में 5वीं अंतर्राष्ट्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी एवं सम्मेलन, कम्युनिकएशिया, 2014
- ग) सितंबर, 2014 में मलेशिया में केएल कन्वर्ज समारोह।
- घ) सितम्बर, 2014 में तुर्की में इंटरनेट अभिशासन मंच।
- ङ) सितम्बर, 2014 में कीनिया में ईस्ट अफ्रीकाकॉम, 2014।
- च) नवम्बर, 2014 में दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकाकॉम-2014।

8. राजभाषा (हिन्दी) प्रभाग

8.1 संरचना

राजभाषा प्रभाग उपमहानिदेशक (सी एंड ए) के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। फिलहाल, यह उपनिदेशक के नियंत्रण में कार्य कर रहा है जिनकी सहायता के लिए एक सहायक निदेशक, अनुवादक और अन्य सहायक स्टाफ हैं।

8.2 कार्यकलाप

वर्ष 2014-15 (अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014) के दौरान, राजभाषा प्रभाग द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए:-

भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी अनुभागों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान अपने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उनके तहत जारी अनुदेशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। दूरसंचार विभाग में, संबद्ध और अधीनस्थ इकाइयों और इसके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई और सुधारात्मक उपाय अपनाने के संबंध में अपेक्षित अनुदेश जारी किए गए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का पूर्णतया अनुपालन किया गया।

संघ सरकार की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी में दूरसंचार विभाग को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कारों से संबंधित तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किए गए समारोह में माननीय राष्ट्रपतिजी द्वारा दूरसंचार सचिव को प्रदान किया गया।

8.3 निगरानी और निरीक्षण

दूरसंचार विभाग के राजभाषा प्रभाग ने संसदीय राजभाषा समिति (सीपीओएल) की दूसरी उप समिति द्वारा



विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों/निगम कार्यालयों के किए गए राजभाषा निरीक्षणों के दौरान समन्वयक के रूप में कार्य किया। संसदीय समिति के इन निरीक्षणों में दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधित्व उपमहानिदेशक (सी एंड ए) और राजभाषा प्रभाग के एक अधिकारी द्वारा किया गया। समीक्षाधीन इस अवधि के दौरान दिनांक 30.12.2014 को टेलीकॉम कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), नई दिल्ली और दिनांक 31.12.2014 को महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) कार्यालय का निरीक्षण किया गया। संसदीय समिति द्वारा दिनांक 17.01.2015 को महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, गोवा कार्यालय का निरीक्षण किया गया। महाप्रबंधक (प्रशासन), एमटीएनएल, दिल्ली और जीएमटीडी, बीएसएनएल, तंजावुर (तमिलनाडु) कार्यालयों के निरीक्षण वर्ष 2014-15 की शेष अवधि यानी जनवरी-मार्च, 2015 के दौरान किए जाने नियत हैं।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार दूरसंचार विभाग मुख्यालय द्वारा अपने 25 प्रतिशत नियंत्रणाधीन कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जाना अनिवार्य हैं। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन और इसके विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए समय-समय पर दूरसंचार विभाग और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों का निरीक्षण करती है। इस निरीक्षण के दौरान संसदीय उपसमिति इस बात पर जोर देती है क्योंकि समिति का मानना है कि अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंत्रालय/मुख्यालय द्वारा राजभाषा संबंधी निरीक्षण किए जाने आवश्यक हैं।


इस संबंध में, दिसंबर, 2014 तक इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दूरसंचार विभाग के देश भर में फैले कार्यालयों के 24 राजभाषा संबंधी निरीक्षण किए गए और दिल्ली स्थित कार्यालयों के 09 राजभाषा निरीक्षण किए गए। इन कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी की स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी अनुपालन हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश जारी किए गए। वर्ष 2014-15 की शेष अवधि यानी जनवरी-मार्च, 2015 के दौरान 10 राजभाषा निरीक्षण किए जाने हैं।

8.4 हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलेखन का प्रशिक्षण

इस अवधि के दौरान हिन्दी स्टेनाग्राफी के प्रशिक्षण हेतु पाँच स्टेनाग्राफरों को नामांकित किया गया। वर्ष 2014-15 की शेष अवधि यानी जनवरी-मार्च, 2015 के दौरान पाँच अन्य स्टेनाग्राफरों और दस एमटीएस कर्मचारियों को उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जा रहा है।

8.5 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की तिमाही बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं जिनमें राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है। मौजूदा वर्ष के दौरान दिनांक 02.05.2014, 21.08.2014 और 05.12.2014 को ये बैठकें आयोजित की गईं। इसकी अगली बैठक फरवरी, 2015 में आयोजित की जानी है।



8.6 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संघ की राजभाषा नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में दूरसंचार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए दिनांक 14.07.2014 को एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक अन्य कार्यशाला के फरवरी-मार्च, 2015 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

8.7 'हिन्दी पखवाड़े' का आयोजन

विभाग में दिनांक 15.09.2014 से 29.09.2014 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। विभाग में राजभाषा को बढ़ावा देने के मद्देनजर तेरह प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 217 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया जिनमें से 103 अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कारों एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने के लिए सफल घोषित किया गया। दिनांक 30.10.2014 को आयोजित किए गए पुरस्कार वितरण समारोह में दूरसंचार सचिव द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

8.8 हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

दूरसंचार विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की अवधि दिनांक 20.10.2013 को समाप्त होने के बाद इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है।

8.9 अनुवाद कार्य

समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्थायी समिति/अनुदान मांग/संसदीय आश्वासनों एवं अन्य संसदीय कार्य तथा सामान्य प्रकृति के कार्यों आदि से संबंधित अनेक दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिन्दी और विलोमतः अनुवाद किया गया। हिन्दी प्रभाग द्वारा दूरसंचार विभाग की वेबसाइट का हिन्दी अनुवाद किया गया। सामान्य प्रकृति के अनुवाद कार्य के अलावा, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात/दस्तावेजों समेत निर्धारित किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अनुवाद किया गया और उन्हें द्विभाषिक रूप में तैयार किया गया।

8.10 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के तहत कार्यालयों को अधिसूचित किया जाना

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 3 कार्यालयों नामतः (क) दूरसंचार जिला प्रबंधक, बूंदी (राजस्थान) (ख) महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड, मल्लापुरम (केरल) और (ग) महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड भटिंडा (पंजाब) को राजभाषा (संघ के सरकारी उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त) नियम, 1976 के नियम 10 (4) के तहत अधिसूचित किया गया। इनमें 80 प्रतिशत से अधिक स्टाफ को राजभाषा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

9. कर्मचारी कल्याण तथा खेलकूद संबंधी कार्यकलाप

कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत, दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के स्कूल/कालेजों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, बुक अवार्ड और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को वाहन भत्ता/छात्रावास राज-सहायता भी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में विपत्तिग्रस्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और मनोरंजन भ्रमण यात्राओं आदि के



लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना भी शामिल है। अप्रैल, 2014 से सितंबर, 2014 के दौरान कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :

- क) दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को बुक अवार्ड के रूप में 74,500 (चौहत्तर हजार पांच सौ) रूपए की राशि वितरित की गई जिसमें से 33,400 (तेतीस हजार चार सौ) रूपए की राशि लड़कियों को और 25,900 (पच्चीस हजार नौ सौ) रूपए की राशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्रदान की गई। दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में 1,12,400 (एक लाख बारह हजार चार सौ) रूपए की राशि वितरित की गई जिसमें से 29,600 (उनतीस हजार छ सौ) रूपए की राशि बालिकाओं को वितरित की गई तथा 34,800 (चौतीस हजार आठ सौ) रूपए की राशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्रदान की गई। दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में 12,300 (बारह हजार तीन सौ) रूपए की राशि वितरित की गई जिसमें से 8100 रूपए की राशि बालिकाओं को वितरित की गई। दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को स्कॉलरशिप एवं सवारी भत्ते/होस्टल सहायता के रूप में 14,600 (चौदह हजार छ सौ) रूपए की राशि प्रदान की गई।
- ख) दूरसंचार विभाग ने मार्च, 2014 में आयोजित की गई खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। इस सांस्कृतिक समारोह के आयोजन में 1,52,105 (एक लाख बावन हजार एक सौ पांच) रूपए की राशि व्यय की गई।

9.1 मार्च, 2015 की समाप्ति तक प्रत्याशित उपलब्धियां


- क) दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के प्रतिभाशाली बच्चों को गत वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2013 से मार्च, 2013 के दौरान 13,59,800 (तेरह लाख उनसठ हजार आठ सौ) रूपए के बुक अवार्ड, 1106000 (ग्यारह लाख छ हजार) रूपए की स्कॉलरशिप और 1,92,200 (एक लाख ब्यानवे हजार दो सौ) रूपए के प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। अभी तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इतनी ही राशि के व्यय किए जाने की संभावना है।
- ख) दूरसंचार विभाग में प्रतिवर्ष महिला दिवस का आयोजन किया जाता है और इसके आयोजन पर इस वर्ष 20,000 रूपए की राशि व्यय की गई। चालू वर्ष के दौरान लगभग इतनी ही राशि के व्यय किए जाने की संभावना है।
- ग) एक खेलकूद प्रतियोगिता, सीमित ओवर का क्रिकेट मैच, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके बाद एक सांस्कृतिक समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा।

10. प्रशिक्षण

10.1 राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति-2012

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2012 के कार्यान्वयन में निहित मुख्य कार्य बिंदु निम्नवत हैं:-

- क) प्रशिक्षण प्रबंधक की नियुक्ति और प्रशिक्षण प्रबंधक की सहायता के लिए मानव संसाधन और क्षमता निर्माण व्यावसायिकों के साथ एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का सृजन किया जाना।



- ख) स्पष्ट कार्य विवरण और अपेक्षित क्षमता के साथ सभी पदों का वर्गीकरण।
- ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंत्रालयों/विभागों या उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अंतर्गत सभी संवर्ग अपनी सक्षमता का विकास करने के लिए स्कीमें तैयार करें, अपेक्षित योग्यता और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आधार पर संवर्ग प्रशिक्षण योजनाओं (सीटीपी) का विकास।
- घ) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों समेत मंत्रालयों/विभागों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों हेतु वार्षिक प्रशिक्षण योजना (एटीपी) का विकास। इन कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण, मध्य करियर प्रशिक्षण, अल्पकालिक/दीर्घकालिक प्रशिक्षण, ओरियंटेशन प्रशिक्षण और कार्यशालाएं/सम्मेलन, संगोष्ठियां शामिल होनी चाहिए।
- ङ) उत्कृष्टता के केन्द्रों में मंत्रालयों/विभागों के तहत प्रशिक्षण संस्थान विकसित करना।
- च) प्रशिक्षण के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करना।

10.2 की गई कार्रवाई

उपरोक्त दिशानिर्देशों के आधार पर अभी तक निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

- क) इस विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ख) विभाग के सभी संवर्गों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर (2014-15) तैयार किया गया है।
- ग) आईपी एवं टीएफएस अधिकारियों के लिए मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कार्रवाई की जा रही है।
- घ) आईटीएस हेतु मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु रोड-मैप तैयार किया गया है।
- ङ) एनटीआईपीआरआईटी को सुदृढ़ करने, आईटीएस हेतु प्रशिक्षण संस्थान के लिए एक प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया गया है।
- च) आईआरआरएस के विशेषीकृत तकनीकी संवर्ग होने के कारण, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल विदेशों में स्थित संस्थानों में उपलब्ध हैं। तदनुसार, कुछ संस्थानों का चयन किया गया है और आईआरआरएस अधिकारियों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की प्रक्रिया को तैयार करने लिए इनसे संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत तथा विदेशों से विशेषज्ञों को आमंत्रित करके भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के संचालन हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है।
- छ) सभी संवर्गों से उनके संवर्ग के अंदर सक्षमता तंत्र को कार्यान्वित करने लिए एक कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है।
- ज) राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ) द्वारा आयोजित कार्यशाला में दूरसंचार विभाग के मुख्य जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) आरटीआई कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया।
- झ) प्रशिक्षण के उद्देश्य से लेखा/वित्त शाखा में अलग से एक बजट शीर्ष खोलने के लिए एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

11. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी)

दूरसंचार विभाग ने विभाग के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में वर्ष 2010 में राष्ट्रीय दूरसंचार एकादमी (एनटीए) की स्थापना की। इसके कार्यक्षेत्र में आईसीटी में नीति अनुसंधान एवं नवाचार को शामिल करके इसके कार्यकलापों



के क्षेत्र को शीघ्र बढ़ा दिया गया; जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2011 में इस संस्थान का नाम राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी) कर दिया गया। तब से ही एनटीआईपीआरआईटी ने बहुत विकास किया है और अब यह संस्थान एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई) है जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ सूचीबद्ध किया गया है। एनटीआईपीआरआईटी, फिलहाल, बीएसएनएल के गाज़ियाबाद स्थित एडवांस्ड लेवल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र (एएलटीटीसी) के परिसर से कार्य कर रहा है।

11.1 संस्थान के मौजूदा कार्यकलाप

प्रशिक्षण: फिलहाल, यह संस्थान मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है:

- क) भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) समूह 'क' और बिल्डिंग वर्क्स सर्विस (बीडब्ल्यूएस)—सिविल, इलैक्ट्रिकल एवं आर्किटेक्चर समूह 'क' अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण।
- ख) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी समूह 'ख' स्तर का प्रारंभिक प्रशिक्षण।
- ग) दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम: इनमें दूरसंचार एवं आईसीटी-प्रौद्योगिकियों, नीति एवं लाइसेंसिंग तथा सतर्कता जागरूकता, आरटीआई अधिनियम आदि से संबंधित विभिन्न शीर्षकों पर पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- घ) दूरसंचार एवं आईसीटी संबंधी अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सतर्कता एजेंसियों एवं विधि प्रवर्तन एजेंसियों हेतु कस्टमीकृत प्रशिक्षण।


11.2 संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनटीआईपीआरआईटी द्वारा अप्रैल-दिसंबर 2014 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए:—

क्र. सं.	पाठ्यक्रमों के प्रकार	संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या	उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण दिवसों की संख्या
1	आईटीएस एवं बीडब्ल्यूएस समूह क अधिकारियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण	37	89	1539
2	दूरसंचार विभाग के अधिकारियों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण	9	111	326
3	कार्यशाला/सम्मेलन	5	84	119
4	अन्य सेवा विभागों/एजेंसियों हेतु पाठ्यक्रम	3	33	129
	कुल	54	317	2113

11.3 एनटीआईपीआरआईटी संकाय को दिया गया प्रशिक्षण

प्रशिक्षणार्थियों को और प्रशिक्षण देने के लिए संकाय के सदस्यों को भी भारत और विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया।



11.4 नीति अनुसंधान

“दूरसंचार विभाग में क्षेत्रीय साइबर आपातकालीन प्रत्युत्तर दल का सृजन” पर एनटीआईपीआरआईटी और टीईसी द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन संचालित किया गया और इसकी रिपोर्ट दूरसंचार मुख्यालय को प्रस्तुत की गई।

11.5 नवाचार

“दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार—अवसर और चुनौतियां” विषय पर भारतीय दूरसंचार उपस्कर निर्माता संघ (टीईएमए) द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में हमारे दूरसंचार नेटवर्क में और स्वदेशी उपस्कर शामिल करने की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया। उद्योग जगत और सरकारी पक्ष के प्रतिनिधियों ने संबोधन दिए और भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार हेतु अवसर और चुनौतियों के बारे में व्यापक स्तर पर परिचर्चाएं आयोजित की गईं।



श्री राकेश गर्ग, दूरसंचार सचिव दिनांक 2 दिसंबर, 2014 को भारत संचार भवन नई दिल्ली में एनटीआईपीआरआईटी, गाजियाबाद द्वारा आयोजित “दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार—अवसर और चुनौतियां” विषय पर आयोजित किए गए सम्मेलन में श्रोताओं को संबोधित करते हुए

12. जेंडर बजटिंग

दूरसंचार विभाग में नवम्बर 2006 से जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। विभाग का सामान्य बजटिंग प्रकोष्ठ सरकार की जेंडर बजटिंग पहल के बारे में और वह तरीका जिसमें दूरसंचार विभाग इस क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों



को तैयार करने और आयोजना के स्तर पर मुख्य धारा जेंडर विचारधारा में एक भूमिका निभा सकता है, के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है।

वर्ष 2014-15 (बजट अनुमान), 2014-15 (संशोधित अनुमान) और 2015-16 के दौरान महिलाओं के फायदे हेतु योजना और योजनेत्तर शीर्षों के तहत धनराशियों का आवंटन नीचे दिया गया है:-

100% महिला उन्मुख कार्यक्रम

(करोड़ रूपए में)

स्कीम का विवरण	बजट अनुमान 2014-15		संशोधित अनुमान 2014-15		बजट अनुमान 2015-16	
	योजना	योजनेत्तर	योजना	योजनेत्तर	योजना	योजनेत्तर
स्टाफ को सुविधाएं	-	0.25	-	0.30	-	0.33
सार्वभौम सेवा दायित्व स्कीम	1.50	-	1.75	-	1.50	-

13. स्पैक्ट्रम प्रभार एकत्र करना (लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी)


स्पैक्ट्रम प्रभार का एकत्रण निम्नवत रहा:-

(करोड़ रूपए में)

सेवा की श्रेणी	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान वास्तव में एकत्रित स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार	जनवरी, 2015 से मार्च 2015 के दौरान स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार की प्रत्याशित राशि
जीएसएम	4683	1639
सीडीएमए	196	62
अन्य संचार सेवाएं	310	327
एककालिक स्पैक्ट्रम प्रभार (ओटीएससी)*	0	*10043
वर्ष 2014-15 के दौरान 900 एवं 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में नीलामी से प्राप्त अनुमानित राशि**	0	**14355
कुल प्राप्ति	5189	26426

* ओटीएससी की अनन्तिम मांगें न्यायाधीन हैं। अक्टूबर, 2014 से मार्च, 2015 की अवधि के दौरान ओटीएससी एकत्र करना माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के मद्देनजर है।

** नीलामी की राशि में रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पैक्ट्रम छोड़े जाने के मद्देनजर, 3जी स्पैक्ट्रम की नीलामी से प्राप्त 5000 करोड़ रूपए की राशि शामिल है।



13.1 लाइसेंस शुल्क का आकलन

वित्तीय वर्ष के अंत में लाइसेंस शुल्क का आकलन कंपनी के लेखापरीक्षित खातों में मौजूद राजस्व आंकड़ों पर आधारित है। कंपनी को अपने कुल राजस्व में से पात्र/हकदार सेवा प्रदाताओं को अंतरित पीएसटीएन प्रभार, रोमिंग प्रभारों और राज्य/केन्द्र सरकार को अंतरित बिक्रीकर/सेवाकर को वसूल करने की अनुमति है। इन कटौतियों के बाद शेष बची राशि को समायोजित सकल राजस्व कहा जाता है। उसके बाद, इस समायोजित सकल राजस्व पर 8 प्रतिशत की दर से लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है।

लाइसेंस शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाहियों में देय है। किसी वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान लाइसेंस शुल्क की तिमाही किश्त का उस तिमाही के पूरा होने के बाद 15 दिनों के अंदर-अंदर करना होता है। तथापि, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के संबंध में लाइसेंस शुल्क का तिमाही के प्रत्याशित राजस्व के आधार पर 25 मार्च तक भुगतान करना होता है।

गृहित प्रयोग हेतु लाइसेंसीकृत दूरसंचार नेटवर्क और सीएमआरटीएस लाइसेंसों के लिए लाइसेंस शुल्क टर्मिनलों, चैनलों की संख्या और/या नेटवर्क की पूंजीगत लागत के आधार पर निर्धारित दरों पर लगाया जाता है।

13.2 लाइसेंस शुल्क एकत्रण की प्रवृत्तियां

गत पांच वर्षों के दौरान लाइसेंस शुल्क एकत्रण की प्रवृत्ति नीचे दी गई है:-

(करोड़ रूपए में)

वर्ष के दौरान लाइसेंस शुल्क एकत्रण				
2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
10122	10297	11386	11442	12909

14. सूचना का अधिकार अधिनियम

दूरसंचार विभाग में एक पृथक आरटीआई एकक स्थापित किया गया है और यह 1 जनवरी, 2007 से कार्य कर रहा है। विभाग का आरटीआई एकक के प्रभारी अनुभाग अधिकारी हैं और यह उपसचिव और नोडल अधिकारी (आरटीआई) के पर्यवेक्षण में कार्य कर रहा है। आरटीआई आवेदनों/अपीलों को शीघ्र निपटान करने के लिए 70 सीपीआईओ और 30 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कार्य कर रहे हैं।

इस विभाग की आरटीआई इकाई सूचना का अधिकारी अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी दिशानिर्देशों को कड़ाई से अनुपालन करके जनता की संतुष्टि हेतु आरटीआई आवेदनों के निपटान की प्रणाली की सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में लगातार कार्यरत है।

ऑनलाइन आरटीआई आवेदन/अपील प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए दूरसंचार विभाग में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के वेबपोर्टल पर दिनांक 23.08.2013 से यह सुविधा प्रदान की गई है। इससे आरटीआई आवेदनों और अपीलों के शीघ्र निपटान की प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है।



15. लोक शिकायत और उनका निवारण

दूरसंचार विभाग अपने लोक शिकायत प्रकोष्ठ में माननीय प्रधानमंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यालय, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, अध्यक्ष के कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीएंडजी) तथा जनता से सीधे शिकायतें प्राप्त करता है। दूरसंचार विभाग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ अपने शीघ्र और सामायिक निपटान हेतु शिकायतों की निगरानी करता है। वर्ष 2014-15 (दिनांक 31.12.2014 तक) निपटाए गए मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

दिनांक, 01 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार आरंभिक शेष	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान दर्ज की गई शिकायतें	कुल	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	दिनांक 1.1.2015 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले
3571	72774	76345	72852	3493

16. परिणाम फ्रेमवर्क कागज़ात

16.1 परिदृश्य


तीव्र समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कभी भी, कहीं भी सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनी और उच्च गुणवत्ता वाली अभिसारित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना।

16.2 मिशन

डिजिटल अंतराल को भरने के लिए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए निर्बाध कवरेज प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ और सुरक्षित अद्यतन दूरसंचार नेटवर्क उपलब्ध कराना और उसके द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास को सुगम बनाना; देशभर में वहनीय तथा उच्च स्तर की ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार की मार्फत एक समावेशी जानकार समाज का सृजन करना; नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक अधिकारिता के लिए एक उपस्कर के रूप में मोबाइल उपकरण को प्रयोग करना; दूरसंचार उपस्कर निर्माण के लिए भारत को वैश्विक कारोबार केन्द्र बनाना; राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए मानकों के विकास को बढ़ावा देना; घरेलू एवं विदेशी आकर्षक निवेश तथा नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देना।

16.3 लक्ष्य

1. ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए दूरसंचार सेवाओं के तीव्र विस्तार को सुगम बनाना।
2. स्पैक्ट्रम के दक्ष प्रबंधन और लाइसेंसिंग कार्य-पद्धति का सरलीकरण।
3. दूरसंचार सेवाओं के ग्राहकों को अधिकार प्रदान करना, लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों को सुदृढ़ बनाना।
5. दूरसंचार क्षेत्र में दक्षता और मानव संसाधनों का विकास।
6. हरित दूरसंचार को बढ़ावा देना और अवसंरचना विकास।
7. स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, मानकीकरण और निर्माण को बढ़ावा देना।
8. नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।



9. दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं हेतु पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना।
10. दूरसंचार क्षेत्र में नीति और अभिशासन हेतु विधायी प्रस्ताव।

मुख्य सफलता सूचकों में परस्पर प्राथमिकता दर्शाते हुए सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनीय और परिणाम फ्रेमवर्क कागजात उपलब्ध कराना तथा इसके लक्ष्य **अनुबंध-1** में दिए गए हैं।



दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं



डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत केरल के इडुक्की जिले में बीबीएनएल द्वारा भारत के प्रथम उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत

— ★ ★ ★ ★ ★ —



3.1 बेतार आयोजना एवं समन्वय

दूरसंचार विभाग का बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध स्पेक्ट्रम प्रबंधन, बेतार लाइसेंसिंग, फ्रीक्वेंसी आबंटन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय तथा रेडियो संचार प्रणालियों के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 (आईटीए, 1885) और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 (आईडब्ल्यूटीए, 1933) के प्रशासन का कार्य देखता है।

1. राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना (एनएफएपी)

राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना एक नीतिगत दस्तावेज है जो सरकारी व गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए देश में विकास, विनिर्माण और स्पेक्ट्रम उपयोग-कार्यकलापों के लिए आधार प्रदान करता है। राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना (एनएफएपी) को सामान्यतया प्रत्येक दो वर्ष में संशोधित किया जाता है। फिलहाल एनएफएपी-2011 को आईटीयू रेडियो विनियम (आर आर) की समग्र संरचना के भीतर लाने के लिए इसकी समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है।

2. स्पैक्ट्रम की नीलामी

900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम की नीलामी फरवरी, 2014 के दौरान आयोजित की गई और इस संबंध में आशय-पत्र और फ्रीक्वेंसी आवंटन पत्र जारी किए जा चुके हैं। 800, 900, 1800, और 2100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पैक्ट्रम की नीलामी 4 मार्च, 2015 से शुरू किया जाना निर्धारित है।

3. साक्फा (एसएसीएफए) अवस्थल संबंधी अनापत्ति


आवृत्ति आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (साक्फा) द्वारा स्थिर बेतार स्टेशनों के लिए अनापत्ति प्रदान की जाती है जिसे प्रदान करते समय विमानों की आवाजाही से संबंधित बाधाओं, हस्तक्षेप रहित प्रचालन और दृश्य-बाधाओं की सीमा को ध्यान में रखा जाता है। एसएसीएफए द्वारा नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि जैसे स्थानीय निकायों की लागू उप-विधियों, नियमों और विनियमों के संबंध में बिना किसी भेदभाव के स्थल संबंधी अनुमोदन दिए जाते हैं।

4. उपग्रह प्रणाली समन्वयन

आई.टी.यू के रेडियो विनियम (आर.आर.) के प्रावधानों के अनुसार उपग्रह प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय किया जाना अपेक्षित है। किसी एक उपग्रह नेटवर्क के लिए अन्य प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्क के साथ आवृत्ति नियतन का समन्वय आवश्यक है ताकि इन नेटवर्कों का सह-अस्तित्व और हस्तक्षेप रहित प्रचालन संभव हो सके।

4.1 अन्य प्रशासनों के साथ उपग्रह समन्वय

भारत के उपग्रह नेटवर्क की इन्सेट-एनएवीआर सिरीज हेतु साइप्रस, चीन, मिश्र, इजरायल, कोरिया, लाओ,



लक्जमबर्ग, मलेशिया, नाइजीरिया, पीएनजी, रूस, सिंगापुर, टर्की, टोंगा, यूएई, नीदरलैण्ड, थाइलैण्ड और फ्रांस प्रशासनों के साथ समन्वय स्थापित किया गया।

भारतीय उपग्रह प्रणाली के मंगल अभियान के लिए जर्मनी और यूएसए प्रशासनों के साथ समन्वय स्थापित किया गया।

भारत के उपग्रह नेटवर्क से संबंधित इण्डोनेशिया के उपग्रह नेटवर्क 'इण्डोस्टार' के लिए इण्डोनेशिया प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया गया।

55ई, 74ई, 83ई और 93.5ई कक्षा स्थानों में इन्सेट-टीटीसी सिरीज के लिए चीन, साइप्रस, नीदरलैण्ड, लक्जमबर्ग, मलेशिया, रूस, सिंगापुर, टोंगा, टर्की और यूएई प्रशासनों के साथ समन्वय स्थापित किया गया।

भारत के उपग्रह नेटवर्क इन्सेट-एनएवी (55) के लिए नीदरलैण्ड, रूस, मलेशिया, चीन, थाइलैण्ड और टर्की प्रशासनों के साथ समन्वय स्थापित किया गया।

82ई कक्षा स्थिति में इन्सेट-टीटीसी (82) उपग्रह नेटवर्क के लिए जापान, थाइलैण्ड और यूएसए प्रशासनों के उपग्रह नेटवर्क के साथ समन्वय हेतु समन्वय प्रस्ताव भेजे गए थे।



सैटिलाइट अर्थ स्टेशन



4.2 अन्य प्रशासनों के साथ समन्वय बैठक

जापान के उपग्रह नेटवर्क के साथ इन्सेट उपग्रह नेटवर्क समन्वय हेतु 15–19 सितम्बर, 2014 के दौरान बंगलुरु में भारत और जापान के बीच प्रशासनिक स्तर की समन्वय बैठक आयोजित की गई।

4.3 आईटीयू के साथ समन्वय

इन्सेट-एनएवी (55), इन्सेट-एमईटी 82 टी डब्ल्यूएसएटी (एनजीएसओ) उपग्रह नेटवर्क के लिए फ्रीक्वेन्सी आवंटन पार्ट-I-S के लिए नोटिस को आईटीयू के बीआर आईएफआईसी (इन्टरनेशनल फ्रीक्वेन्सी इन्फारमेशन सर्कुलर) के संबंधित विशेष खंड में प्रकाशित किया गया है।

5. सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और एशिया प्रशान्त टेलिकम्युनिटी (एपीटी) के तत्वावधान में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी, भागीदारी और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की गई ताकि विशेषकर स्पैक्ट्रम प्रबंधन तथा रेडियो संचार से संबंधित मामलों के संदर्भ में राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके।

5.1 विश्व रेडियो संचार सम्मेलन, 2015 (डब्ल्यूआरसी15)


डब्ल्यूआरसी 15 की विभिन्न कार्यसूची मदों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने के लिए स्टेकधारकों के साथ समन्वय करने तथा उनके विचारों को शामिल करते हुए डब्ल्यूआरसी-15 के लिए राष्ट्रीय तैयारी समिति का गठन किया गया है। फिक्स्ड उपग्रह सेवा, मोबाइल उपग्रह सेवा, फिक्स्ड सेवा, अन्तर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) सेवा आदि के लिए अतिरिक्त स्पैक्ट्रम आवंटन से संबंधित मुद्दे आदि जैसी विभिन्न रेडियो संचार सेवाओं आदि से संबद्ध स्पैक्ट्रम को कवर करने के लिए विभिन्न कार्यसूची मदों पर सामान्य भारतीय प्रस्ताव/विचार विकसित करने के लिए एनपीसी ने अनेक बैठकों के लिए राष्ट्रीय तैयारी समिति का गठन किया गया है। डब्ल्यूआरसी 15 की विभिन्न कार्यवृत्त मदों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने के लिए एनपीसी स्टेकधारकों के विचारों का समन्वय व उसका सुमेलन करेगी।

6. परियोजना कार्यान्वयन

राष्ट्रीय रेडियो स्पेक्ट्रम प्रबंधन और मानीटरिंग प्रणाली (एनआरएसएमएमएस) की परियोजना डिजाइन आपूर्ति, संस्थापन और उनकी शुरुआत का कार्य डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत स्पेक्ट्रम प्रबंधन और निगरानी कार्यों को आटोमेटेड किया गया है ताकि इन गतिविधियों को प्रभावी और दक्ष बनाया जा सके।

आटोमेटेड स्पैक्ट्रम प्रबंधन प्रणाली साफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए वार्षिक रख-रखाव संविदा कार्य नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेन्टर (एनआईसी) को पहले ही सौंपा जा चुका है। एनआईसी द्वारा डब्ल्यूपीसी स्कंध को दो नए सर्वर प्रदान किए गए हैं।

मैसर्स एचएफसीएल, भारत डब्ल्यूपीसी स्कंध और दूरसंचार विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एनआरएसएमएमएस परियोजना विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता अभिकरण स्थापित किया गया। मध्यस्थता अधिकरण कार्यविधियां जारी हैं।



**01.04.2014 से 30.09.2014 के दौरान वास्तविक उपलब्धि और 01.10.2014 से
31.03.2015 के दौरान अनुमानित उपलब्धि**

विवरण	01 अप्रैल 2014 से 30 सितंबर 2014 के दौरान वास्तविक उपलब्धि	01 अक्टूबर, 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान अनुमानित उपलब्धि
1.1 रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रबंधन		
● विभिन्न प्रयोक्ताओं को प्राधिकृत नई रेडियो फ्रीक्वेंसी	1912	2000
● पंजीकरण हेतु आईटीयू के रेडियो संचार ब्यूरो को सूचित फ्रीक्वेंसी आबंटन	363	400
● अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे के लिए आबंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी	28	30
● एसएसीएफए (फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) की आयोजित बैठकें	01	01
● आयोजित अंतर-विभागीय बैठक	12	12
● नए बेतार केन्द्रों हेतु स्वीकृत स्थल	72,943	80,000
1.2 जारी किए गए बेतार लाइसेंस		
● जारी किए गए आयात लाइसेंसों की संख्या	1618	2000
● नए बेतार केन्द्रों को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	57,480	60,000
● नवीकृत लाइसेंसों (बेतार केन्द्रों हेतु) की संख्या	26,023	30,000
1.3 प्रवीणता प्रमाण-पत्र (सीओपी) परीक्षा / लाइसेंस		
● आयोजित प्रवीणता प्रमाण-पत्र परीक्षाओं की संख्या	33	33
● दाखिल किए गए उम्मीदवारों की संख्या	4,563	4,600
● जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	1315	1350
● नवीकृत लाइसेंसों की संख्या	2412	2450
● नए रेडियो अव्यवसायी केंद्रों को जारी लाइसेंसों की संख्या	244	250
● पुराने रेडियो अव्यवसायी केंद्रों हेतु नवीकृत लाइसेंसों की संख्या	240	250




7. बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ)

बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ) 3जी, बीडब्ल्यूए इत्यादि जैसी नई सेवाएं प्रारंभ करने के लिए डब्ल्यूपीसी स्कंध को आवश्यक तकनीकी डाटा प्रदान करने के साथ-साथ बाधा रहित बेतार सेवाएं सतत रूप से प्रदान कर रहा है। डब्ल्यूएमओ की 01.04.2014 से 30.09.2014 के दौरान वास्तविक उपलब्धि तथा 01.10.2014 से 31.03.2015 के दौरान अनुमानित उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	विवरण	01.04.2014 से 30.09.2014 के दौरान वास्तविक उपलब्धि	01.10. 2014 से 31.03. 2015 के दौरान अनुमानित उपलब्धि
1.	निपटाए गए मॉनीटरिंग कार्य	5357	6400
2.	मॉनीटर किए गए बेतार पारिषणों की संख्या	59,112	70,930
3.	विनिर्दिष्ट मानकों के भीतर अपना प्रचालन बनाए रखने के लिए दी गई तकनीकी सहायता	477	580
4.	सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु विभिन्न बेतार प्रयोक्ता को सूचित अतिलंघनों की संख्या	1652	2000
5.	रेडियो मॉनीटरिंग हेतु प्रयुक्त चैनल दिवस	2754	3300
6.	निरीक्षण किए गए बेतार केंद्रों की संख्या	2535	3050
7.	रेडियो नोयस मापकों की संख्या	65125	62000
8.	निपटाई गई अति प्राथमिकता व्यतिकरण संबंधी शिकायतों की संख्या	40	50
9.	निपटाई गई मानक व्यतिकरण संबंधी शिकायतों की संख्या	15	25
10.	उच्च स्तरीय तकनीकी कार्य हेतु श्रम दिवसों की संख्या	120	150
11.	आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या	00	04
12.	प्रशिक्षण हेतु श्रम दिवसों की संख्या	00	40

7.1 रेडियो मॉनीटरिंग-एक विनियामक और संधिपरक अपेक्षा

रेडियो मॉनीटरिंग सेवा, एक विनियामक और संधिपरक अपेक्षा का क्रियान्वयन बेतार अनुश्रवण संगठन, बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध (डब्ल्यूपीसी विंग), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। यह अनिवार्यतः तकनीकी प्रकृति का कार्य है और इसके प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संधिपरक दस्तावेज़ अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रेडियो विनियमन से लिए गए हैं।



7.2 बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यूएमओ) के प्रमुख कार्य

डब्ल्यूएमओ के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं—

- क) खतरनाक व्यतिकरण का समाधान;
- ख) नई सेवाएं प्रारंभ करने और/या मौजूदा सेवाओं हेतु अतिरिक्त आवंटन के लिए फ्रीक्वेंसी सबबैंड की पहचान की मॉनीटरिंग;
- ग) प्राधिकृत एजेंसियों से अप्रयुक्त/कमप्रयुक्त फ्रीक्वेंसी के संबंध में स्पेक्ट्रम की वापसी के लिए मॉनीटरिंग;
- घ) लाइसेंसिंग शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग;
- ङ) साझा अध्ययनों के लिए मानीटरिंग/ मापन;
- च) घरेलू बेतार प्रयोक्ताओं को सहायता;
- छ) विदेशी प्रशासन को सहायता;
- ज) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विशेष मॉनीटरिंग अभियानों में भागीदारी;
- झ) नए रेडियो संचार मानकों के लागू किए जाने की संभावना और साथ ही प्रस्तावित नए अधिष्ठापनों की ईएमसी अनुरूपता का अध्ययन करने के लिए रेडियो उत्सर्जनों (इरादतन और गैर-ईरादतन) मापन;
- ञ) लाइसेंसीकृत अधिष्ठापनों का निरीक्षण; और
- ट) प्राधिकृत उपग्रह पारेषणों की रक्षा के लिए आकाशीय उत्सर्जनों की मॉनीटरिंग।

7.3 डब्ल्यूएमओ के समक्ष चुनौतियां


बेतार संचार पर समाज (सरकार और जनता) की बढ़ती निर्भरता डब्ल्यूएमओ से बाधामुक्त रेडियो संचार वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर देता है। अतः डब्ल्यूएमओ का ध्यान फिलहाल प्राथमिक रूप से सार्वजनिक मोबाइल रेडियो संचार सेवाओं, सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं और जीवन-सुरक्षा सेवाओं पर है। डब्ल्यूएमओ बाधा रहित वातावरण में इन सेवाओं का सतत प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों यथा जन-शक्ति और मशीनी-शक्ति पर गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहा है। इन सेवाओं के बाधा रहित प्रचालन का प्राथमिक कारण समग्र समाज को अत्यधिक महत्व देने में निहित है। सार्वजनिक मोबाइल सेल्युलर सेवा के संबंध में, डब्ल्यूएमओ के दो उद्देश्य हैं—

- क) विभिन्न कारणों की वजह से होने वाली बाधा के स्रोतों को पहचानना और उन्हें दूर करना और
- ख) मौजूदा 2जी सेवाओं के विस्तार और 3जी सेवाओं की शुरुआत के लिए अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना।



डब्ल्यूएमओ सतत रूप से संकुलित हो रहे रेडियो फ्रीक्वेन्सी स्पैक्ट्रम से उत्पन्न होने वाली नई मानिट्रिंग संबंधी चुनौतियों का प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण ढंग से समाधान करता है, इसके लिए डब्ल्यूएमओ ने नई प्रौद्योगिकियों को पेश करने और क्षमतावर्धन हेतु कदम उठाए हैं। जहां तक नई प्रौद्योगिकी का संबंध है, साफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रापण पहले ही शुरू हो चुका है और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए एक रीयल-टाइम एनालाइजर को हाल ही में खरीदा गया है। मानिट्रिंग प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में व्यापक प्रशिक्षण क्षमता वर्धन पर लक्षित है। इन दोनों पहलुओं की देखरेख संयुक्त रूप से निगरानी मुख्यालय और निगरानी प्रशिक्षण और विकास केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा की जा रही है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



3.2 दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी)

दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र, दूरसंचार विभाग का तकनीकी स्कंध है। टीईसी विश्वस्तरीय दूरसंचार नेटवर्क का विकास करने तथा अलग-अलग नेटवर्क का सहज इन्टरकनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए भारत में दूरसंचार क्षेत्र हेतु मानक विकसित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। यह परीक्षण और प्रमाणन के रूप में अपने प्रकार्यों का निर्वहन करता है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं:

- क) भारतीय दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए सार्वजनिक तथा प्राइवेट क्षेत्र के प्रचालकों हेतु मानक और विशिष्टाएं तैयार करना।
- ख) उपस्कर और सेवाओं का मूल्यांकन करना।
- ग) उपस्कर, प्रौद्योगिकी और सेवाओं हेतु अनुमोदन देना।
- घ) नई प्रौद्योगिकी और सेवाओं का अध्ययन करना तथा भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में इन्हें लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
- ङ) दूरसंचार विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- च) दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर ट्राई, टीडीएसएटी, यूएसओएफ, बीएसएनएल और एमटीएनएल को तकनीकी सलाह देना।
- छ) दूरसंचार विभाग की मूलभूत तकनीकी योजनाएं तैयार करना।
- ज) दूरसंचार विभाग के माध्यम से एपीटी, ईटीएसआई और आईटीयू आदि जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से तालमेल करना।
- झ) एमआरए के लक्ष्यों का विस्तार करने के लिए सुविधाओं का सृजन करना।
- ञ) अनुसंधान और विकास के परिणामों तथा अद्यतन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आवश्यक दक्षता विकसित करना।
- ट) दूरसंचार विभाग स्तर पर नीति नियोजन हेतु, दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकासों से संबंधित ब्यौरे प्रदान करने के लिए सीडॉट के साथ समन्वय करना।

1. उपलब्धियां

1.1 निम्नलिखित नए जीआर/आईआर जारी किए गए हैं:

- क) उपग्रह नेटवर्क के लिए डब्ल्यूएएन इष्टतमीकरण के लिए जीआर
- ख) ईथरनेट स्विचों पर जीआर
- ग) यूटीपी से आप्टिकल कनवर्टर पर जीआर
- घ) फायरवाल पर जीआर

1.2 निम्नलिखित जीआर/आईआर को संशोधित किया गया है:

- क) 6 गीगाहर्ट्ज अल्ट्रा हाई परफारमेंस एन्टीना पर जीआर
- ख) आप्टिकल फाइबर जम्पर और एडाप्टर के स्थान पर आप्टिकल टाक सेट पर जीआर




- ग) एनएलडी/आईएलडी अनुप्रयोग के लिए आईपी आधारित एकीकृत मीडिया गेटवे पर जीआर
- घ) यूटीपी से ऑप्टिकल कन्वर्टर पर जीआर
- ङ) वैरिबल एटेनुएटर पर जीआर
- च) फिक्स्ड एटेनुएटर पर जीआर
- छ) सेट टाप बाक्स पर आईआर
- ज) जी.703 कन्वर्टर से डाटा इन्टरफेस पर जीआर
- झ) 2048 किलोबाइट/इन्टरफेस सहित डिजिटल एक्सचेंज पर आईआर
- ञ) एसटीएम-1 पर नेटवर्क से नेटवर्क सहित स्विचिंग नोड पर आईआर

2. परीक्षण/प्रमाणीकरण/फील्ड परीक्षण

- क) इन्टरफेस अनुमोदन/प्रमाणीकरण के लिए बंगलुरु में एचपी रूटर (6 अलग माडल) का परीक्षण।
- ख) सी-डॉट कैम्पस में सीएमएस प्रमाणीकरण किया जाता है।
- ग) सी-डॉट कैम्पस में सी-डॉट द्वारा विकसित जीपीओएन का संशोधित प्रौद्योगिकी अनुमोदन प्रमाणन।
- घ) सी-डॉट कैम्पस में मिनी ओएलटी का पर्यावरण परीक्षण किया जाता है।
- ङ) ईटीटीएल लैब दिल्ली को सीएबी (कंफर्मिटी असेसमेंट बाडी) के रूप में पदनामित किया गया है।
- च) बंगलुरु में मैसर्स वी लिंक सिस्टम चेन्नै के पीएबीएक्स माडल आईओएनआईएक्स के लिए इन्टरफेस अनुमोदन और प्रमाणन का परीक्षण।
- छ) मेसर्स एमआरओ टीईके बंगलोर के हाईस्पीड लाइन ड्राइवर उत्पाद के लिए इन्टरफेस अनुमोदन और प्रमाणन का परीक्षण।
- ज) सी-डॉट द्वारा विकसित जीपीओएन के डब्ल्यूडीएम कपलर का फील्ड परीक्षण किया गया।
- झ) एचपी लेजरजेट सिरीज के परीक्षण के बाद एचपी को आईपीवी 6 रेडी लोगो प्रमाण पत्र जारी किया गया।
- ञ) एनजीएन प्रयोगशाला, टीईसी में एचपी और सिस्को का परीक्षण किया गया।
- ट) सी-डॉट के लिए एनजीएन प्रयोगशाला में आईपीवी 6 रेडी लोगो कार्यक्रम शुरू हुआ।
- ठ) अजमेर में जीपीओएन उपस्कर पर आधारित मिनी ओएलटी का फील्ड परीक्षण।

3. तैयार अध्ययन पत्र

- क) व्याप्ति परीक्षण प्रक्रिया
- ख) एचएसपीए+
- ग) सप्लीमेंटरी डाउनलिक



- घ) सिम के सुरक्षा मान्यकरण
ड) वाई-फाई हाटस्पॉट और हाटजोन सहित ऑफलोडिंग 3जी/4जी ऑफलोडिंग
च) भारत के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार/आईसीटी सुविधा।

4. दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र में तकनीकी प्रस्तुतीकरण

एफ ए प्रभाग टीईसी द्वारा ई-कचरा की जांच और इसे अंतिम रूप देने, आर प्रभाग टीईसी द्वारा मोबाइल डाटा आफलोड और वाई-फाई आफलोड, टीडब्ल्यूए प्रभाग टीईसी द्वारा सप्लीमेंट्री डाउनलिक, हाईस्पीड पैकेट अभिगम (एचएसपीए), सिम में सुरक्षा प्रमाणन स्कीम और डिजिटल चेतावनी सिस्टम तथा "प्रत्युत्तर और रिकवरी" में तैनात व्यक्तियों की कालों की प्राथमिकता आधार पर रूटिंग, एफए प्रभाग टीईसी द्वारा ऊर्जा भण्डारण प्लेटफार्म, आर प्रभाग टीईसी द्वारा एस-यू एमटीएस: यूएमटीएस का उपग्रह संघटक, मैसर्स निक्सन द्वारा सुरक्षा परीक्षण यंत्र, मैसर्स ओरेकल द्वारा इंजीनियरिंग प्रणाली, मैसर्स सिस्को द्वारा सॉफ्टवेयर नेटवर्क, मैसर्स स्टरलाईट द्वारा, एमआईपीवी 6, मैसर्स मेमोटेक द्वारा डब्ल्यूएएन इष्टतमीकरण, मैसर्स एसटी माइक्रो द्वारा ई-हेल्थ और इन्डस्ट्री डिजिटल इंडिया द्वारा डीएवी ऑडिट तौर-तरीकों का पीएमए तथा टीईएमए/टीडीएसडीएम द्वारा टीईसी की भूमिका, मैसर्स भारत कनेक्ट द्वारा वाई-फाई प्रौद्योगिकी और इसके विकास की चुनौतियां, टीईसी अधिकारियों तथा दूरसंचार उद्योग के अपडेशन के लिए टीईसी में वेंडरों द्वारा सुरक्षित संचार एवं आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी नेटवर्क आदि जैसे विभिन्न बिन्दुओं पर तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिया गया।

5. एनडब्ल्यूजी की बैठकें आयोजित करना

टीईसी में आईटीयू-टी समूह की नियमित बैठकें आयोजित की गईं और विभिन्न अध्ययनों में 7 बिन्दुओं पर लेख प्रस्तुत किए गए।

6. परीक्षण और प्रमाणन

इंटरफेस अनुमोदन	56
किस्म अनुमोदन	04
अनुमोदन प्रमाण पत्र	14
राजस्व	61,30,850/- रुपए

— ★ ★ ★ ★ ★ —



3.3 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों की जनता को वहनीय और उपयुक्त कीमतों पर “बुनियादी” तार सेवाएं प्रदान करने के मूल उद्देश्य से की गई थी। तदनंतर, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ओ.एफ.सी. जैसी अवसंरचना के सृजन सहित सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं तक अभिगम्यता प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान के लिए इसके दायरे को और बढ़ाया गया। नियमावली के अनुसार इस निधि से निम्नलिखित सेवाओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी:

सार्वभौमिक सेवा प्रदाता का चयन “पात्र प्रचालकों” अर्थात् दूरसंचार सेवाएं अथवा अवसंरचना प्रदान करने के लिए वैध लाइसेंस प्राप्त अथवा पंजीकृत अथवा केन्द्र सरकार/दूरसंचार विभाग से प्राधिकार प्राप्त कंपनी या केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य कंपनी के बीच खुली बोली के आधार पर किया जाएगा।

1. यूएसओएफ द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की प्रगति

1.1 राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)

एनओएफएन परियोजना की योजना देश में सभी ग्राम पंचायतों (2.5 लाख अनुमानतः) को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामतः बीएसएनएल, रेलटेल और पावर ग्रिड के मौजूदा फाइबर का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने तथा ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच कनेक्टिविटी अंतर को पूरा के लिए जहां कहीं आवश्यक है, वहां विस्तारित फाइबर बिछाने की है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ उपलब्ध कराई जाएगी। सभी श्रेणियों के सेवा प्रदाताओं के बिना किसी भेदभाव के नेटवर्क की अभिगम्यता प्रदान की जाएगी।

एनओएफएन परियोजना की परिकल्पना केन्द्र-राज्य के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई है। राज्यों सरकारों से उम्मीद की जाती है वे कोई मार्गाधिकार प्रभार न लगा कर अपना योगदान करें और इस प्रकार इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों और बीबीएनएल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। तमिलनाडु और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।


अजमेर जिला (राजस्थान) में अरेन ब्लॉक, उत्तरी त्रिपुरा में पाणिसागर ब्लॉक (त्रिपुरा), विशाखापट्टनम जिला (आंध्र प्रदेश) में परवदा ब्लॉक में 59 ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए तीन पायलट परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। आज की स्थिति के अनुसार कुल 86 ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया गया है।

यह परियोजना दिनांक 31.12.2016 तक चरणबद्ध रूप में पूरी हो जाएगी। इसका विवरण निम्नानुसार है:

चरण-I	50,000 ग्राम पंचायतें	31.03.2015 तक
चरण-II	अन्य 1,00,000 ग्राम पंचायतें	31.03.2016 तक
चरण-III	शेष 100,000 ग्राम पंचायतें	31.12.2016 तक

भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्राडबैंड नेटवर्क केरल के इडुकी जिले में दिनांक 12.01.2015 को शुरू किया गया है

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) शुरू होने के साथ ही केरल का इडुकी जिला पहला ऐसा जिला



बन गया जिसके सभी क्षेत्रों को उच्च गति ब्राडबैंड से कनेक्ट किया गया है। फिलहाल जिले में 8 ब्लॉक कार्यालय तथा 53 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें से 8 ब्लॉक कार्यालयों तथा 52 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट किया जा चुका है। एक ग्राम पंचायत नामतः एडमालाकुडी को वीएसएटी के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। एडमालाकुडी जो एक जनजातीय ग्राम पंचायत है जिसमें 26 जनजातीय गांव हैं, की जनसंख्या लगभग 2200 है। यह पेटीमुडी, अंतिम स्थान जहां वाहन से पहुंचा जा सकता है, से लगभग 18 कि.मी. दूर स्थित है। बीएसएनएल ने इस ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए अप्रतिम प्रयास किया है और वहां पर अब ब्राडबैंड इंटरनेट के साथ-साथ मोबाइल सेवाएं भी उपलब्ध हैं। पहली बार इस पंचायत के अधीन सभी ग्राम पंचायतों को मोबाइल फोन और इंटरनेट से जोड़ा गया है।

एनओएफएन की स्थापना से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और केबल आपरेटरों, कंटेन्ट प्रदाताओं आदि जैसे अभिगम सेवा प्रदाताओं को नई पीढ़ी की सेवाएं शुरू करने तथा प्रमुख तौर पर स्थानीय रोजगार अवसर सृजन में वृद्धि करने के लिए नये क्षेत्र खुलेंगे।

1.2 सामान्य अवसंरचना संवर्धन

यह स्कीम ओएफसी नेटवर्क को सुदृढ़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में अभिगम नेटवर्क से उनके कोर नेटवर्क तक वॉयस और डाटा ट्रैफिक को एकीकृत करने के लिए पर्याप्त बैंक हॉल क्षमता प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। तदनुसार, इस स्कीम की शुरुआत में ब्लॉक मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों के बीच ओएफसी नेटवर्क संवर्धन पर विचार किया जाएगा। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु चुना गया है।

यह ओएफसी स्कीम बीओओ मॉडल अर्थात् निर्माण, प्रचालन एवं स्वामित्व के आधार पर चलाई जाती है और तदनुसार स्कीम का कार्यान्वयन करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता इस स्कीम में कार्यान्वयन के लिए सभी उपस्करों/अवसंरचना को सृजित, संचालित और प्रबंधित करेंगे।

सभी स्थानों को डीएचक्यू नोड सहित ओएफसी नोड से कनेक्ट किया जाएगा जिसमें सभी विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में वायस, डाटा और सिग्नल को एकीकृत करने के लिए टीडीएम, आईपी, फ्रेम रिले सहित विभिन्न प्रोटोकाल को दक्षता पूर्वक ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता के साथ कम से कम 2.5 जीबीपीएस की केबल रूट विविधता और रिंग क्षमता सुनिश्चित की जाती है।



सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूसओ निधि)
योजनाओं की ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच



निम्नलिखित ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीम शुरू की गई हैं:-

1.3 असम में अंतरा-जिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क का संवर्धन, सृजन और प्रबंधन

संक्षेप और पृष्ठभूमि नोट: असम राज्य को कार्यान्वयन के लिए पहले चुना गया है। असम में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निविदा परिणामों के अनुसार बीएसएनएल को 98.89 करोड़ रु. की राजसहायता राशि पर सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया गया है और तदुपरांत इस संबंध में दिनांक 12.02.2010 को उनके बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

इस ओएफसी स्कीम में करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से लगभग 58 महीनों में अर्थात् दिसंबर, 2014 तक असम के 27 जिलों में कुल 354 स्थलों को कनेक्ट किया जाएगा। यह करार लागू होने की तारीख से 10 वर्षों के लिए वैध होगा।

इस स्कीम के अंतर्गत सृजित सहायता प्राप्त बैंडविड्थ क्षमता का कम से कम 70 प्रतिशत भागीदारी मौजूदा ट्राई के उच्चतम प्रशुल्कों के 26.22 प्रतिशत से अनधिक की दर पर असम के क्षेत्र में लाइसेंसकृत सेवा प्रदाताओं के साथ की जाएगी।

वर्तमान स्थिति: नवंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार कुल 354 नोड में से 303 नोड को संस्थापित किया जा चुका है। विभिन्न कारणों नामतः नोड की अनुलिपिकरण, ओएफसी के व्यवहार्य न होने आदि के आलोक में 37 ओएफसी नोड ड्राप करने के लिए बीएसएनएल से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बीएसएनएल ने असम के दो जिलों (उत्तरी काकर और कार्वी अंगलॉग) में शेष 14 नोड शुरू करने के लिए 31.12.2015 तक एक वर्ष के और रॉल आउट विस्तार का अनुरोध किया है।


1.4 पूर्वात्तर-। (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों सहित) क्षेत्र में अंतरा-जिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क का संवर्धन, सृजन और प्रबंधन

संक्षेप और पृष्ठभूमि नोट: मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को इस स्कीम में ओएफसी संवर्धन के लिए चुना गया है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए निविदा परिणामों के अनुसार मैसर्स रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया को 89.50 करोड़ रुपये की राजसहायता राशि पर सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया गया है।

इस ओएफसी स्कीम में करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से लगभग 36 महीनों में अर्थात् 15.01.2015 तक 19 जिलों के 188 स्थलों को कनेक्ट किया जाएगा। यह करार लागू होने की तारीख यथा 16.01.2012 से 8 वर्षों के लिए वैध होगा।

इस स्कीम के अंतर्गत सृजित सहायता प्राप्त बैंडविड्थ क्षमता का कम से कम 70 प्रतिशत भागीदारी मौजूदा ट्राई की उच्चतम प्रशुल्कों के 12 प्रतिशत से अनधिक की दर पर क्षेत्र में लाइसेंसकृत सेवा प्रदाताओं के साथ की जाएगी।

वर्तमान स्थिति: मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में 23 जिलों में से 20 जिलों के संबंध में ट्रैचिंग और केबल बिछाने का कार्य सौंपा जा चुका है जबकि मिजोरम के शेष तीन जिलों के लिए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य चल रहा है। 978 कि.मी. डक्ट बिछाया जा चुका है जबकि 483 कि.मी. ओएफसी बिछाई जा चुकी है। दिनांक 31.12.2014 को त्रिपुरा में 24 नोड को कनेक्ट किया जा चुका है।



1.5 पूर्वोत्तर-॥ (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों सहित) क्षेत्र में अंतरा-जिला एसडीएचक्यू-डीएचक्यू ओएफसी नेटवर्क का संवर्धन, सृजन और प्रबंधन

संक्षिप्त और पृष्ठभूमि नोट: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड को इस स्कीम में ओएफसी संवर्धन के लिए चुना गया है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए निविदा परिणामों के अनुसार मैसर्स रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया को 298.50 करोड़ रुपये की राजसहायता राशि पर सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया गया है।

इस ओएफसी स्कीम में करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से लगभग 42 महीनों में अर्थात् 15.07.2015 तक 30 जिलों के 407 स्थलों को कनेक्ट किया जाएगा। यह करार लागू होने की तारीख 16.01.2012 से 8 वर्षों के लिए वैध होगा।

इस स्कीम के अंतर्गत सृजित सहायता प्राप्त बैंडविड्थ क्षमता का कम से कम 70 प्रतिशत भागीदारी मौजूदा ट्राई की उच्चतम प्रशुल्कों के 27 प्रतिशत से अनधिक की दर पर असम के क्षेत्र में लाइसेंसीकृत सेवा प्रदाताओं के साथ की जाएगी।

वर्तमान स्थिति: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में 36 जिलों में से 18 जिलों के संबंध में ट्रेडिंग और बिछाने का कार्य सौंपा जा चुका है जबकि इन राज्यों के शेष 18 जिलों के लिए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य चल रहा है। 675 कि.मी. डक्ट बिछाया जा चुका है जबकि 13 कि.मी. ओएफसी बिछाई जा चुकी है। पूर्वोत्तर-॥ दूरसंचार क्षेत्र में नेटवर्क रॉल आउट कार्य शुरू होना है।

1.6 ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम

इस स्कीम के अंतर्गत बीएसएनएल मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना और कॉपर वायरलाइन नेटवर्क का उपयोग करके ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों को वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

इस स्कीम के अंतर्गत बीएसएनएल अलग-अलग प्रयोक्ताओं और सरकारी संस्थाओं को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करेगा और 6 वर्षों अर्थात् 2015 तक (पहले से निर्धारित जनवरी, 2014 के लक्ष्य से एक और वर्ष तक विस्तारित) के दौरान 28,672 कियोस्क स्थापित करेगा। राज-सहायता का संवितरण (i) ब्रॉडबैंड कनेक्शन, उपभोक्ता भवन उपकरण (सीपीई), कम्प्यूटर/कम्प्यूटिंग उपकरण (ii) ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए लोक अभिगम हेतु कियोस्क स्थापित करने के लिए किया जाएगा। 9 वर्षों के समय में 1500 करोड़ रुपए की राज-सहायता दिए जाने का अनुमान है।

दिनांक 30 नवंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कुल 6,39,572 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और 14,469 कियोस्क स्थापित किए गए हैं।

1.7 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाएं

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 20.08.2014 को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में यूएसओएफ द्वारा वित्तपोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित 2199 स्थानों (1836 नए स्थल और बीएसएनएल द्वारा पहले से संस्थापित 363 स्थल) पर मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की परियोजना को अनुमोदित किया है। इन क्षेत्रों में नेटवर्क का संस्थापन और इसका रॉलआउट करने का लक्ष्य 12 महीनों में पूरा किया जाना है। यूएसओएफ और बीएसएनएल के बीच करार



पर दिनांक 30.09.2014 को हस्ताक्षर किए गए कार्य प्रगतिशील है। मार्च, 2015 तक 500 टावर संस्थापित हो जाने की संभावना है।

1.8 सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन


दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार देश के आबाद **5,93,601 गांवों में से 5,81,288 गांवों** (अर्थात् 97.93 प्रतिशत) को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के दायरे में लाया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निर्धारित कवर न किए गए नए गांवों में वीपीटी की चालू यूएसओएफ स्कीम के माध्यम से शेष आबाद कवर न किए गए गांवों में वीपीटी सुविधा प्रदान की जा रही है।



ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

1.9 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, कवर न किए गए और नए अभिनिर्धारित ग्रामों में वीपीटी का प्रावधान करने की यूएसओएफ स्कीम

मौजूदा वीपीटी और भारत निर्माण योजना के तहत प्रदान किए गए वीपीटी को ध्यान में रखकर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आबाद गांवों में कार्य कर रहे वीपीटी का मिलान किया गया था। इस स्कीम के तहत यूएसओएफ से राजसहायता प्राप्त करके वीपीटी का प्रावधान करने के लिए दिनांक 01.10.2007 की स्थिति के अनुसार और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शेष सभी गांवों को इनकी जनसंख्या, दूरी, सुलभता और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दिए बिना शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में बीएसएनएल के साथ दिनांक 27.02.2009 को करार किया गया है। बीएसएनएल ने बताया है कि मार्च, 2015 तक शेष आबाद गांवों में वीपीटी सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। लगभग 3700 वीपीटी को मार्च, 2015 तक संस्थापित हो जाने की संभावना है।



2. आगामी यूएसओएफ स्कीमों का ब्यौरा

2.1 कवर न किए गए गांवों में मोबाइल संचार सेवाओं के लिए स्कीम

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कवर न किए ऐसे गांवों को निर्धारित करने के लिए प्रयास किया गया था जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। मैसर्स टीसीआईएल की सहायता लेकर सभी सेवा प्रदाताओं से टॉवर लोकेशन डाटा और गांव के कवरेज का डाटा प्राप्त किया गया तथा कनेक्टिविटी में विद्यमान गैप का निर्धारण किया गया है। कवर न किए गांवों में चरणबद्ध रूप में मोबाइल कवरेज प्रदान की जाएगी। हिमालयी राज्य (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) तथा सीमावर्ती राज्य (राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा) को पहले चरण में कवर किया जाएगा।

2.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार योजना

दिनांक 10.09.2014 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना कार्यान्वित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस परियोजना में निर्धारित और कवर न किए गए 8621 गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 321 मोबाइल टॉवर संस्थापित करना और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है।


3. विभिन्न यूएसओएफ कार्यक्रमों के लिए निधि व्यवस्था की स्थिति और संवितरण के आंकड़े

- वर्ष 2014–15 (दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तक) में सार्वभौमिक अभिगम प्रभार का संग्रह 1,869.68 करोड़ रुपए है और 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान राज-सहायता का संवितरण 1,781.93 करोड़ रुपए है।
- दिनांक 31.12.2014 तक यूएसओएफ के माध्यम से 19,729.79 करोड़ रुपए की राज-सहायता का संवितरण किया जा चुका है और उपलब्ध शेष राशि प्राप्त करने के लिए ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने के लिए वर्ष 2002–03 से 2005–06 तक की अवधि के लिए 6,948.64 करोड़ रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा।
- इस प्रकार दिनांक 31.12.2014 तक यूएसओएफ के 26,678.43 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया गया है।
- ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम के अंतर्गत दिनांक 31.12.2014 तक 381.50 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।
- दिनांक 31.12.2014 तक वीपीटी स्कीम (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) के अंतर्गत 114.91 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।
- 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का वित्तपोषण यूएसओएफ द्वारा किया जा रहा है जिसकी अनुमानित लागत 20,100 करोड़ रुपए है। एनओएफएन परियोजना के अंतर्गत दिनांक 31.12.2014 तक 2,010 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।
- गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में यूएसओएफ की वित्तीय सहायता के माध्यम से मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी जिसके लिए अनुमानित लागत 3567.58 करोड़ रुपए है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना के अंतर्गत 596 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।
- शेष धनराशि का उपयोग यूएसओएफ की चालू और आगामी स्कीमों का कार्यान्वयन करने के लिए किया जाएगा।



सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के तहत चालू परियोजनाए

— ★ ★ ★ ★ ★ —



3.4 संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय

1. संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय

पूरे देश में संचार लेखा नियंत्रक के 26 कार्यालय हैं इनकी स्थापना का आरंभिक उद्देश्य दूरसंचार एवं बीएसएनएल कर्मचारियों के पेंशन एवं सेवांत हित लाभों का भुगतान करना था, परंतु अब प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक दूरसंचार विभाग और इसके विभिन्न पणधारकों के बीच एक महत्वपूर्ण इन्टरफेस के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वह भूमिका ग्राउण्ड लेवल पर लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार प्रबंधन, यूएसओ निधि प्रबंधन, यूएसओ क्रियाकलापों की प्रगति समीक्षा आदि जैसे विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर अदा की जाती है। अल्प अवधि में सीसीए कार्यालय ने दूरसंचार विभाग के विभिन्न पणधारकों (दूरसंचार सेवा प्रदाता और विशेष रूप से बीएसएनएल कर्मचारियों) की सेवा करके और उनके व्यावसायिक कार्य के साथ उन्हें दूरसंचार विभाग के साथ जोड़कर अपने लिए एक अलग स्थान बनाया है।

2. सेवा के अंत में मिलने वाले लाभों का संवितरण

- **पेंशन:** केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के नियम 37 (क) के प्रख्यापन हो जाने से भारत संचार निगम लि0 में आमेलित पूर्ववर्ती सरकारी सेवकों के पेंशन के भुगतान में सरकार की अहम भूमिका है। सीसीए यूनिट पेंशन संबंधी व्यय का बजट बनाने और सीडीए और आईडीए वेतनमान के आधार पर सेवानिवृत्ति हितलाभों को प्राधिकृत करने के लिए जिम्मेदार है। इस समय, सीसीए कार्यालय दो लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पेंशन का संवितरण कर रहे हैं। अद्यतन आंकड़े निम्नानुसार:-

वित्तीय वर्ष	पेंशन भोगियों की संख्या (लाख में)	संवितरित पेंशन (रु0 करोड़ में)
2013-14	2.60	5657.23
2014-15 (अप्रैल-दिसंबर 2014)	2.72	5049.79

- **पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन नकदीकरण:** सीसीए कार्यालय सरकार द्वारा किए गए पेंशन अंशदान और अवकाश नकदीकरण के भुगतान के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशियों का संग्रहण उनकी जांच और मॉनीटरिंग के कार्य करते हैं।
- **सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और दीर्घावधिक ऋणों का लेखाकरण:** सीसीए कार्यालय सामान्य भविष्य निधि, दीर्घावधिक ऋणों और अग्रिम राशियों के अनुरक्षण और उनकी वसूली/उनके लेखाकरण के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- **लेखा परीक्षा संबंधी कार्य:** सीसीए कार्यालय पेंशनभोगियों को पेंशन और सम्बद्ध हितलाभों का भुगतान करने के लिए नामोद्दिष्ट बैंकों और डाकघरों द्वारा किए गए संवितरण की उत्तर लेखापरीक्षा करते रहे हैं। सीसीए कार्यालय, वायरलैस मॉनीटरिंग सेवाओं, दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन तथा मॉनीटरिंग प्रकोष्ठों, क्षेत्रीय दूरसंचार इंजिनिरिंग केन्द्रों और क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों सहित फील्ड कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करते हैं।




- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन केंद्रीय जनसूचना अधिकारी के रूप कार्य करना:** सीसीए कार्यालयों द्वारा देखे जा रहे सभी मामलों के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का सरल प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सीसीए कार्यालयों के अंधकारियों को केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों (डीएए) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

3. लेखें

सीसीए कार्यालय विभागीय लेखा संगठन की बुनियादी इकाई है और टर्म, डब्ल्यूएमओ और आरएलओ जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पीएओ और डीडीओ का कार्य करता है। सीसीए कार्यालयों में सूचना पद्धति को प्रभावी रूप से लागू करते हुए लेखाओं की तैयारी और प्रस्तुतिकरण को अत्यधिक रूप से सरल और कारगर बना दिया गया है। दूरसंचार विभाग ने ई-लेखा के साथ सीओएमपीएसीटी (कॉम्पैक्ट) सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेखाओं के प्रस्तुतिकरण को समग्र रूप से एकीकृत करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ई-लेखा महालेखा नियंत्रक (सीजीए) कार्यालय द्वारा अभिशासन संबंधी की गई एक पहल है जिसमें सभी मंत्रालयों द्वारा लेखाओं को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। इस एकीकरण के परिणामस्वरूप, दूरसंचार लेखा की दैनन्दिन सूचना उपलब्ध है। पारदर्शी और त्वरित भुगतान के लिए इस विभाग ने ई-भुगतान मॉड्यूल अपनाया है। वर्ष के दौरान 13 दूरसंचार कार्यालयों ने ई-पेमेंट मॉड्यूल अपनाया है। शेष लेखा कार्यालयों के कम्प्यूटराइजेशन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का प्रयास जारी है। वर्ष के दौरान 13 कार्यालयों में व्यापक आहरण एवं संवितरण पैकेज कार्यान्वित किया गया है। दूरसंचार विभाग ने एमटीएनएल के संयुक्त सेवा पेंशन का विकल्प चुनने वाले लगभग 20,000 कर्मचारियों का पेंशन भुगतान किया है। एमटीएनएल पेंशनभोगियों के संबंध में प्रधान संचार लेखा कार्यालय दिल्ली और प्रधान लेखा कार्यालय, मुंबई को संवितरण एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। एक स्थान पर संपर्क सुविधा होने से पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी तथा उनकी शिकायतें दूर होंगी। पेंशनभोगियों को सुविधा देने के लिए 9 कार्यालयों में कांपैक्ट पेंशन मॉड्यूल संस्थापित किए गए हैं। दूरसंचार विभाग की प्राप्तियों की गणना के लिए दूरसंचार विभाग मुख्यालय में ई-प्राप्ति प्रणाली क्रियान्वित की गई है। यह सभी कार्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है। विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर तैनात दूरसंचार विभाग अधिकारियों के संदर्भ में जीपीएफ का अनुरक्षण करने से संबंधित लेखा प्रक्रिया को तैयार कर लिया गया है और सं. 7-1/2009/टीए-।/22 दिनांक 04.12.2014 के तहत जारी किया गया है। दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों के हितार्थ प्रधान सीसीए/कार्यालयों में टोल फ्री हेल्पलाइन नं0 शुरू किया गया है। दूरसंचार विभाग पेंशनभोगियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का निपटारा करने के लिए सभी सीसीए कार्यालयों में पेंशन अदालतों का आयोजन नियमित तौर पर किया जा रहा है और उनके शिकायतों का समयबद्ध निपटान किया जा रहा है। इस साल 13 कार्यालयों में आंतरिक लेखा परीक्षा की गई है। व्यापक और उद्देश्यपरक आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से प्रभावी नियंत्रण नियंत्रण किया जाता है। कम्प्यूटरीकृत अधुनातन कार्य रिपोर्टों के लिए कार्रवाई की जा रही है।

4. मूल्य निर्धारण और राजस्व प्रकार्य

- **लाइसेंस शुल्क को एकत्र करना:** सभी प्रकार के दूरसंचार लाइसेंसों नामतः बेसिक, (एमटीएस, यूएसएल/यूएल, आईएलडी, कैपटिब बी-एसएटी, वाणिज्यिक बी-एसएटी, (एमआरटीएस, पीएमआरटीएस, आईएसपी आईटी- "ए", "वी" और "सी" आईएसपी बिना टेलीफोनी "ए", "वी", "सी", आईपी-। और आईपी-।। के साथ समर्थक कागजातों नामतः राजस्व और लाइसेंस शुल्क (समायोजित सकल राजस्व विवरण)



और शपथपत्र आदि के संबंध में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस शुल्क और सार्वभौमिक सेवा लेवी को एकत्र करने के लिए प्रधान सीसीए/सीसीए जिम्मेदार हैं।

- **लाइसेंस शुल्क का मूल्यांकन:** स्टेण्डअलोन/विकेन्द्रित लाइसेंसों नामतः आइएलडी, एनएलडी, कैपटिव बी-एसएटी, वाणिज्यिक बी-एसएटी, सीएमआरटीएस, पीएमआरटीएस, आईएसपी आईटी-“ए”, “वी” और “सी” आईएसपी बिना टेलीफोनी “ए”, “वी”, “सी”, आईपी-। और आईपी-।। से संबंधित लाइसेंस शुल्क के मूल्यांकन के लिए भी प्रधान सीसीए/सीसीए जिम्मेदार है।
- **लाइसेंसधारको द्वारा क्लेम की गई कटौतियों का सत्यापन:** लाइसेंस करार के अनुसार लाइसेंसधारक लाइसेंस शुल्क भुगतान के लिए एजीआर तय करते समय कटौतियों का दावा करते हैं। ये कटौतिया (पास-थ्रू प्रभार, रोमिंग सेवा प्रभार, विक्रय-कर और सेवा कर के कारण) वास्तव में अदा की गई राशि के आधार पर देय होती है और सीसीए द्वारा इनका सत्यापन प्रति तिमाही किया जाता है। लाइसेंसधारकों द्वारा क्लेम की गई कटौति स्व लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के अधीन सकल राजस्व के 25% से 90% के बीच होती है।
- **वित्तीय और निष्पादन बैंक गारंटी का रख-रखाव:** विकेन्द्रीयकृत लाइसेंसों के संबंध में निष्पादन बैंक गारंटियों और सभी लाइसेंसधारकों के संबंध में वित्तीय बैंक गारंटियों की सुरक्षा के लिए प्रधान सीसीए/सीसीए जिम्मेदार है। सीसीए कार्यालयों को लाइसेंसधारकों द्वारा दी गई लेजरो/गारंटियों के नियंत्रक रजिस्ट्रों, नवीनीकरण, संशोधन, नवोन्मेष के उपयुक्त रख-रखाव को भी सुनिश्चित करना होता है।
- **शास्तियां:** सीएएफ, ईएमआर से संबंधित शास्तियां और सीसीए, टर्म प्रकोष्ठ, सुरक्षा और टीईसी द्वारा लगाए गए सभी दण्ड और उनका एकत्रण/वसूली।
- **विविध राजस्व:** राजस्व के विभिन्न स्रोतों की प्राप्ति और इसका एकत्रण नामतः ओएसपी पंजीकरण शुल्क, बीओएस का परीक्षण शुल्क, सर्वेक्षण/आरईपीसी प्रभाग, डब्ल्यूएमओ, आरएलओ आदि से स्थापना प्रभार।
- **लाइसेंसधारकों से अभ्यावेदन:** प्रधान सीसीए/सीसीए से अपेक्षित हैं कि वे कटौती सत्यापन रिपोर्ट/स्पष्टीकरण, लाइसेंस शुल्क के एकत्रण, पीवीजी के रख-रखाव के लिए अपेक्षित अन्य कागजातों को प्रस्तुत करने के संबंध में लाइसेंसधारको द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के उत्तर दें।
- **न्यायालय मामलें:** सीसीए कार्यालय विधिक मामलों में दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधित्व भी करता है और प्रधार सीसीए/सीसीए को संबंधित कार्यालयों के माननीय उच्च न्यायालय/न्याधीकरण/लोकपाल के सामने पेश न्यायिक मामलों की रक्षा भी करता है। ये कार्यालय टीडीसेट मामलों जिसमें उनके कार्यालयों से संबंधित और शामिल पैरा के उत्तर भी प्रस्तुत करते हैं।
- **एलएफ साफ्टवेयर में डाटा की पोस्टिंग:** सीसीए कार्यालयों से यह अपेक्षा है कि वे एलएफ एकत्रण और जीआर/एजीआर से संबंधित आंकड़ों को एलएफ साफ्टवेयर को सीएआर आंकड़ों सहित एलएफ एकत्रण को इसकी प्राप्ति के दो दिनों के अंदर पोस्ट करें। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्रीयकृत लाइसेंसों के संबंध में सभी लाइसेंसधारकों और निष्पादन बैंक गारंटियों के संबंध में वित्तीय बैंक गारंटी को एलएफ साफ्टवेयर में पोस्ट करें।
- **स्पेक्ट्रम प्रभारों का एकत्रण:** राजस्व आधार पर सेल्यूलर प्रचालकों के संबंध में स्पेक्ट्रम प्रभारों को एकत्र करने से संबंधित कार्य को एक अप्रैल, 2004 से सीसीए कार्यालयों को प्रत्यायोजित किया गया है। राजस्व की निर्धारित प्रतिशतता पर स्पेक्ट्रम शुल्क प्रति तिमाही अग्रिम रूप से एकत्र किया जाता है।



दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एकत्र किए गए स्पेक्ट्रम प्रभार और लाइसेंस शुल्क भारत सरकार का कर-रहित राजस्व कर एक मुख्य स्रोत है। इसे लेख के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान एकत्र की गई राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(रु. करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक)
लाइसेंस शुल्क	10286.43	11790.93	11456.48	14628.47	6111.45
स्पेक्ट्रम प्रभार	3432.47	5192.30	5679.19	6883.67	5234.03
नीलामी राजस्व	106264.73	-	1722.24	18267.18	-

5. सिंगल विंडो सिस्टम

सीजीए, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि दूरसंचार पेंशनभोगियों को पेंशन का वितरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से संशोधित सिंगल विंडो सिस्टम से किया जाए। यह प्राणली क्षेत्र के सभी बैंकों को समर्थ बनाती है कि वे सभी राज्यों को पेंशन वितरित कर सकें और केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केन्द्रों (सीपीपीसीए) की शुरुआत द्वारा लिंक शाखाओं के समाप्त किया जाए। तनुसार, दूरसंचार पेंशनभोगियों को पेंशन का वितरण करने के लिए दिनांक 19 सितम्बर, 2012 को सार्वजनिक क्षेत्र के 24 बैंकों के साथ और 6 मार्च, 2013 को बैंक आफ इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे और इस विभाग में यह प्रणाली सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई है।


6. ई-भुगतान प्रणाली

विभाग में ई-भुगतान प्रणाली को क्रियान्वित करने के संबंध में वित्त मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार सभी प्रधान सीसीए/सीसीए कार्यालयों में प्रणाली को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए थे। आज की तारीख में ई-भुगतान प्रणाली को दूरसंचार विभाग के मुख्यालय के भुगतान एवं लेखाधिकारी, सीसीए छत्तीसगढ़, सीसीए पश्चिम बंगाल सर्किल और प्रधान सीसीए कोलकाता फोन्स में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। अन्य प्रधान सीसीए/सीसीए कार्यालयों में ई-भुगतान प्रणाली को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है।

7. यूएसओ से संबंधित कार्य

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का संवितरण और उसकी निगरानी राज्य-स्तर पर संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा की जाती है। सीसीए धनराशि को वितरित करने से पूर्व सेवा-प्रदाताओं को यूएसओएफ सब्सिडी का भी वितरण करते हैं। दावों की सत्यता सिद्ध करने के लिए वे उनका वास्तविक निरीक्षण भी करते हैं। वे राज्य सरकारों से भी संपर्क करते हैं ताकि स्कीमों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो सकें। पिछले दो वर्षों के दौरान वितरित की गई यूएसओ निधि की राशि नीचे दी गई है :-

	2013-14	2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक)
वितरित की गई यूएसओ निधि की राशि	2163.45	1781.69



वे निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:-

- यूएसपी द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों पर कार्रवाई
- सब्सिडी और दावों का वितरण
- फील्ड विजिट-बीपीटी/आरसीपी/आरएचडीईएलएस/मोबाइल का निरीक्षण
- डाटा आधारित प्रबंधन
- यूएसओ निधि प्रशासक के पास आवधिक विवरणियां दर्ज कराना
- ग्रामीण दूरसंचार अध्ययन

8. प्रशासनिक कार्य

- सीसीए, डब्ल्यूएमओ, आरएलओ और टर्म प्रकोष्ठों, दूरसंचार विभाग के फील्ड कार्यालयों के लिए सीसीए आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वे कार्यालय प्रमुख के रूप में अन्य प्रशासनिक कार्य भी कर रहे हैं।
- **विधिक कार्य:-** जहां पर भारत सरकार सेवा संबंधी मामलों, लाइसेंस शुल्क मामलों, स्पेक्ट्रम प्रभारों, पेंशन, आमेलन मुद्दों आदि में एक पक्ष होता है वहां सीसीए कोर्ट संबंधी मामलों को भी देखती है।
- विभाग द्वारा, तार प्राधिकरण और इस सुविधा के प्रयोक्ता के बीच किसी विवाद की स्थिति में निर्णय करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7-ख के प्रावधानों के अनुसार विवाचक नियुक्त किए जाते हैं। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष औसतन लगभग 300 के करीब विवाचक नियुक्त किए जाते हैं। हाल ही में विभाग ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के बिलों संबंधी विवादों के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7-ख के तहत विवाचक नियुक्त करने की अपनी शक्तियां प्रधान नियंत्रक/संचार लेखा नियंत्रकों को प्रदान कर दी हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की अभिगम्यता बढ़ाने के लिए तथा शिकायत निपटान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए किया गया है।
- दूरसंचार विभाग ने भूमि तथा भवन जैसी बड़ी परिसंपत्तियों का मालिक होने के नाते भूमि तथा भवन संबंधी एक परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सीसीए कार्यालय, बीएसएनएल, एमटीएनएल के अधिकारियों के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल/एमटीएनएल की भूमि का सत्यापन करते हैं। बीएसएनएल का परिसंपत्ति रजिस्टर का रख रखाव/भूमि का अंतरण किए जाने का कार्य सीसीए कार्यालयों द्वारा किया जाता है। दूरसंचार विभाग का भूमि एवं भवन परिसंपत्ति संबंधी रजिस्टर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित दूरसंचार विभाग की परिसंपत्ति बेवसाइट पर तैयार किया गया है। भूमि एवं भवन परिसंपत्ति की जीआईएस मैपिंग का कार्य एनआईसी द्वारा पूरा कर लिया गया है।

9. राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान

राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक शीर्ष स्तर का केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान है जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मान्यता दी है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान है जो भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा के अधिकारियों और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। संस्थान, प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण, नीति और योजना बनाने के लिए दूरसंचार विभाग को जानकारी देने, भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा और अन्य संगठित सेवाओं के समूह



“क” “ख” और “ग” समूह के अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर समन्वय एवं प्रशिक्षण के आयोजन हेतु जिम्मेदार है। संस्थान, वैज्ञानिक आधार पर बैचमार्किंग सहित विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, मिड-कैरिअर प्रशिक्षण, भर्ती प्रशिक्षण आदि आयोजित करता है।




दिनांक 16.04.2014 को राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ आई पी एंड टी ए एफ एस अधिकारी

9.1 कार्यशालाएं/सम्मेलन

एनआईसीएफ, दूरसंचार नीतियां, योजना, यूएसओ विनियमन, डाक लेखा और वित्त के नोडल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान संस्थान ने एपीएआर, कॉम्पेक्ट, पेंशन एवं सेवा परांत लाभों, सूचना का अधिकार अधिनियम, यूएसओएफ, जीआर/एजीआर के लिए दस्तावेजों का सत्यापन, कार्यालय प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित किया था। मौजूदा वर्ष 2014-15 के दौरान अब तक संस्थान ने आरटीआई, सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्यवाही, पेंशन वाउचिंग और लेखा परीक्षा साफ्टवेयर, सीडीओडी पैकेज, भारत सरकार का बजट और योजना, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, यूएसओएफ और वित्तीय विवरण विश्लेषण के संबंध में कार्यशालाएं आयोजित की हैं।





3.5 सतर्कता संबंधी कार्यकलाप

दूरसंचार विभाग के सतर्कता स्कंध को जनता, मंत्रालयों, संसद सदस्यों, विधायकों, प्रधानमंत्री कार्यालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसे विभिन्न स्रोतों और एमटीएनएल/बीएसएनएल की फील्ड यूनिटों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके बाद दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए इन शिकायतों की जांच की जाती है। अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान 71 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 55 शिकायतों की जांच की गई। इस अवधि में 28 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किए गए, अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद 29 अधिकारियों/कर्मचारियों को बड़ी/लघु शास्ति द्वारा दण्डित किया गया और 2 अपील मामलों का निपटान किया गया।

1. स्टाफ प्रशिक्षण

स्टाफ के बीच सतर्कता क्रिया-कलापों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक 5 दिवसीय 'सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्यवाही' प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इस प्रशिक्षण के लिए दूरसंचार विभाग की विभिन्न इकाइयों (फील्ड इकाइयों सहित) से भिन्न-भिन्न स्तरों के कर्मचारियों को भेजा जाता है। यह पाठ्यक्रम नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण संबंधी राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी) और राष्ट्रीय संचार वित्त (एनआईसीएफ) के कार्यक्रमानुसार चलाया जाता है। इस प्रशिक्षण में विभिन्न स्तरों के अधिकारी, सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं और बाद में इन अधिकारियों का जांच/प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों और सतर्कता अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए एक पूल बनाया जाता है। उपर्युक्त संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण के कुल 5 सत्र आयोजित किए और इस अवधि के दौरान कुल 103 भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया।

2. सतर्कता निकासी (क्लिअरेंस)

सतर्कता निकासी का कार्य सतर्कता स्कंध का एक महत्वपूर्ण कार्य-कलाप है क्योंकि पदोन्नति विदेश में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति, अन्य संगठनों/विभागों में प्रतिनियुक्ति और पासपोर्ट आदि प्राप्त करते समय सतर्कता निकासी की आवश्यकता होती है। इस अवधि (अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014) के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए 2503 कर्मचारियों को सतर्कता निकासी प्रदान की गई।

3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), सतर्कता संबंधी मामलों के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि पर क्षेत्राधिकार वाली एक शीर्ष संस्था है। सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके प्रारंभ की जाती है। दूरसंचार विभाग का सतर्कता स्कंध, सतर्कता संबंधी मामलों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करता है। दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान जांच के बाद, 30 गैर सीवीसी मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उनकी सलाह प्राप्त करने के लिए भेजा गया।

4. सतर्कता जागरूकता सप्ताह

दिनांक 27 अक्टूबर से 01 नवम्बर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कर्मचारियों में जागरूकता



प्रसार के लिए निबंध, प्रश्नोत्तरी और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए तथा प्रमाण-पत्र भी दिए गए।

5. निवारक सतर्कता

अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 तक की अवधि के दौरान टर्म प्रकोष्ठ ओडिशा और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालय, डब्ल्यू पीसी मुम्बई के दो सतर्कता निरीक्षण किए गए।


6. सांख्यिकीय सार

विभिन्न कार्य-कलापों का सांख्यिकीय सार निम्नानुसार है:-

कार्य-कलाप	दिनांक 01.04.14 से 31.12.14 तक
दिनांक 01 अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 तक प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	71
छानबीन की गई शिकायतों की कुल संख्या	55
अनुशासनात्मक/अन्य कार्रवाई की कुल संख्या	34
अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या जिन्हें आरोप-पत्र दिए गए	34
संस्तुत बड़ी शास्तियों की कुल संख्या	51
संस्तुत लघु शास्तियों की कुल संख्या	22
जारी की गई सतर्कता निकासी की कुल संख्या	605

7. अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 तक की अवधि के दौरान, प्राप्त की गई और निपटाई गई सीवीसी शिकायतें

अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक बकाया	दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक प्राप्त	दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक निपटाई गई	दिनांक 31 दिसंबर 2014 को कुल बकाया
17	2	8	11



अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 तक की अवधि के दौरान विभागीय सतर्कता क्रिया-कलाप

क्र. सं.	क्रिया-कलाप	श्रेणी	दिनांक 01.04.14 से 31.12.14 तक
1	इस अवधि के दौरान हाथ में ली गई शिकायतें		65 (उपक्रमों और अन्य यूनिटों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई 118 शिकायतों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के)
2	निम्नलिखित के लिए आरोपित अधिकारियों की संख्या		
	(क) बड़ी शास्ति	जी.ओ.	18
		एनजीओ	—
	(ख) लघु शास्ति	जी.ओ.	10
		एनजीओ	—
3	एम ए/एम आई शास्ति से दण्डित अधिकारियों की संख्या		29
4	जारी अभियोग अनुमोदनों की संख्या	जी.ओ.	03
		एनजीओ	—
5	जांच के पश्चात परामर्श हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई अन्वेषण रिपोर्टों की संख्या (केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मामलों के अलावा)		30
6	परामर्श के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई सीबीआई रिपोर्टें		05
7	अधिकारियों की संख्या जिनके संबंध में सतर्कता निकासी जारी की गई		2503
8	जांच के पश्चात निपटाए गए मामलों (प्रधानमंत्री कार्यालय के एसीयू से प्राप्त) की संख्या		—
9	निपटाए गए अपील संबंधी मामलों की संख्या	समूह 'क'	1
		समूह 'ख'	1

— ★ ★ ★ ★ ★ —



3.6 दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं अनुश्रवण (टर्म)

1. टर्म (टीईआरएम) प्रकोष्ठों का सृजन

देश में दूरसंचार क्षेत्र के उदारीकरण अर्थात् दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, इन्टरनेट सेवाओं के संवर्धन, प्रौद्योगिकी की प्रगति और उपभोक्ता आधार में वृद्धि होने के साथ ही सरकार ने देश के सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों और बड़े दूरसंचार जिलों में टेलीग्राफ प्राधिकरण की मौजूदगी की आवश्यकता महसूस की। इसे यह सुनिश्चित करना होता है कि सेवा प्रदाता लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करें और इसे दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा संबंधी मुद्दों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होता है। सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए 34 वीटीएम प्रकोष्ठों का सृजन किया है।

दूरसंचार विभाग में सतर्कता एवं दूरसंचार निगरानी (वीटीएम) प्रकोष्ठों की स्थापना के बाद से वीटीएम प्रकोष्ठों की भूमिका और कार्य बहुत बढ़ गए हैं। इन प्रकोष्ठों को सौंपे गए सभी कार्यों के समूह पर पुनर्विचार करने के लिए और स्टाफ-सतर्कता क्रिया-कलापों की तुलना में उनकी भूमिका में भेद करने के लिए, वीटीएम प्रकोष्ठों का नाम बदल कर दिनांक 5 अगस्त, 2008 से दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और अनुश्रवण (टर्म) कर दिया गया है। आज की तारीख में 22 एलएसए टर्म प्रकोष्ठ और 12 गैर-एलएसए टर्म प्रकोष्ठ हैं।


प्रत्येक टर्म प्रकोष्ठ का प्रमुख दूरसंचार विभाग मुख्यालय का उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) स्तर का अधिकारी जिसे उप महानिदेशक (डीडीजी), टर्म के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है, होता है। सभी 34 टर्म प्रकोष्ठ दूरसंचार विभाग, मुख्यालय के वरिष्ठ उप महानिदेशक (टर्म), उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) स्तर के अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं।

2. टर्म प्रकोष्ठों को सौंपे गए कार्य

2.1 उपभोक्ता-अधिग्रहण संबंधी निर्धारित मानकों के अनुपालन की निगरानी

वर्ष 2007 में यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा से संबंधित सरोकारों के लिए उपभोक्ता-अधिग्रहण के बारे में निर्धारित मानकों के अनुपालन की निरन्तर निगरानी की जाए। इस उद्देश्यार्थ सभी सक्रिय उपभोक्ताओं के ग्राहक-अधिग्रहण फार्मों (सीएएफ) का प्रति माह प्रतिदर्शी आधार पर सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2008 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की सिफारिश के आधार पर प्रतिदर्शी आकार को संशोधित करके 0.02% से 0.1% कर दिया गया। इन मानकों का अनुपालन न करने पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर शास्तियां भी लगाई जा रही है। उपर्युक्त के अतिरिक्त टर्म प्रकोष्ठ निम्नलिखित क्रिया-कलाप भी कर रहे हैं तथा अपालन के लिए शास्तियां भी लगाई जा रही हैं:

- क) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता डाटाबेस का विश्लेषण
- ख) गोदाम (स्टोरेज) से सीधे प्रतिदर्शी (सैंपल) लेने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के मालगोदामों और बिक्री स्थलों (पीओएस) के निरीक्षण
- ग) विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) सहित विभिन्न स्रोतों द्वारा सूचित की गई उपभोक्ता सत्यापन से संबंधित शिकायतों की जांच



- घ) अधिक मात्रा में दिए जाने वाले (बल्क) ग्राहक सत्यापन (एक कम्पनी को 10 अथवा इससे अधिक कनेक्शन) का विश्लेषण और सत्यापन
- ड) संवेदनशील राज्यों (असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर) के दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) के मालिकों का पुलिस सत्यापन।

टर्म प्रकोष्ठों ने दिनांक 31.12.2014 तक सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) के लगभग 5.87 करोड़ ग्राहक-अधिग्रहण फार्मों (सीएएफ) की लेखा परीक्षा की है और अपालन करने वाले सीएएफ पर लगभग 2223 करोड़ रु. की शास्ति लगाई गई है।

2.2 वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (ईएमएफ) विकिरण मानकों के अनुपालन संबंधी जांच

मानव स्वास्थ्य पर वैद्युत चुम्बकीय विकिरण के हानिकारक प्रभावों के संबंध में बढ़ती चिन्ताओं के मद्देनजर, वर्ष 2010 में टर्म प्रकोष्ठों को दूरसंचार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए ईएमएफ विकिरण मानकों के अनुपालन से संबंधित प्रति जांच (क्रॉस चेकिंग) का कार्य सौंपा गया था। टर्म प्रकोष्ठ, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्धारित ईएमएफ स्व-प्रमाण पत्रों का सत्यापन करते हैं और प्रति वर्ष यादृच्छिक आधार पर बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) के 10% भाग तक के ईएमएफ विकिरण उत्सर्जन स्तरों की भी जांच करते हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा ईएमएफ विकिरण मानकों का अनुपालन न करने के मामले में, संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता (प्रदाताओं) (टीएसपी) पर टर्म प्रकोष्ठों द्वारा शास्ति लगाई जाती है।

दिनांक 31.12.2014 तक, टर्म प्रकोष्ठों ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लगभग 1.87 लाख बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की जांच की है और ईएमएफ विकिरण मानकों के अपालन पर लगभग 7082 करोड़ रु. की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2.3 रॉल आउट दायित्वों की जांच के लिए सेवा परीक्षण

लाइसेंस करार के अनुसार, सभी अभिगम सेवा लाइसेंस धारकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी सेवाओं का रॉल आउट करें। इसके लिए उन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित गुणवत्ता/कवरेज और अन्य पैरामीटरों की प्रति जांच (क्रॉस चेकिंग) जिसे सेवा परीक्षण कहा जाता है, के लिए स्वयं द्वारा चयनित जिलों में अपनी सेवाएं प्रदान करनी होंगी। वर्ष 2007 में, टर्म प्रकोष्ठों को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रदान किए गए मामलों के सेवा परीक्षण करने का और उनके द्वारा परीक्षण किए गए मामलों के संबंध में सेवा परीक्षण परिणाम प्रमाण-पत्र (एसटीआरसी) जारी करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। रॉल आउट दायित्व शर्तों का अनुपालन न करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर परिनिर्धारित नुकसानी (एलडी) प्रभार अधिरोपित किए जाते हैं।

टर्म प्रकोष्ठों ने दिनांक 31.12.2014 तक सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लगभग 22852 बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) को कवर करते हुए लगभग 2626 कस्बों के रॉल-आउट दायित्वों की जांच के लिए सेवा परीक्षण किए हैं।

2.4 राजकोष को वित्तीय हानि पहुंचाने वाले अवैध ढांचों को प्रतिबंधित करना

टर्म प्रकोष्ठ, विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ समन्वय करके अवैध प्रचालनों (जिन्हें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्रदान नहीं की गई है) को प्रतिबंधित करने के लिए भी जांच करते हैं। टर्म प्रकोष्ठों



के पास अवैध गतिविधियों/काला बाजारी प्रचालनों का पता लगाने के लिए मोटे तौर पर निम्नलिखित स्रोत/ढंग हैं:

- क) किसी भी तरीके से प्राप्त शिकायत/सूचना के माध्यम से
- ख) प्रचालनों के नेटवर्क में असाधारण परिजात (ट्रैफिक) के अवलोकन के माध्यम से
- ग) सामाजिक सम्पर्कों के माध्यम से
- घ) पहले से जांच किए गए/चल रही जांच के माध्यम से
- ड) सुरक्षा/विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से

दिनांक 31.12.2014 तक टर्म प्रकोष्ठों ने अवैध ढांचों के लगभग 560 मामलों का पता लगाया है।

2.5 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी)/उपभोक्ताओं का निरीक्षण

टर्म प्रकोष्ठ, यूएसएल/सीएमटीएस/बेसिक/यूएल/एनएलडी/आईएलडी/आईएसपी/ओएसपी/आईपी-।/वीएसएटी आदि लाइसेंसधारकों की उनके लाइसेंस/पंजीकरणों के निबंधन और शर्तों के अनुपालन हेतु निरीक्षण करते हैं। टर्म प्रकोष्ठ अधिक संख्या में कनेक्शन लेने वाले (बल्क) ग्राहकों, अधिक उपयोग करने वाले प्रयोक्ताओं, आईएलएल/आईपीएलसी/एनपीएलसी उपभोक्ताओं, वी-सैट उपभोक्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक टर्म प्रकोष्ठों द्वारा ऐसे 17000 से भी अधिक निरीक्षण किए गए हैं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) से समन्वय करके विसंगतियों को दूर कर लिया गया है।

2.6 जन शिकायत (पीजी) संबंधी मामलों का निपटान

टर्म प्रकोष्ठ इस क्षेत्र में लाइसेंस प्रदाता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तथा जन शिकायत पोर्टल अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण और निपटान टर्म प्रकोष्ठों द्वारा किया जा रहा है।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक टर्म प्रकोष्ठों द्वारा 49000 से भी अधिक जन शिकायत संबंधी मामलों का निपटान किया गया है।


2.7 अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) का पंजीकरण

टर्म प्रकोष्ठों को बीपीओ, केपीओ, नेटवर्क प्रचालन केन्द्र, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, ई-कॉमर्स, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन आदि जैसे अन्य सेवा प्रदाताओं को एलएसए में पंजीकृत करने का कार्य सौंपा गया है।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक टर्म प्रकोष्ठों द्वारा 7700 से भी अधिक ओएसपी को पंजीकृत किया गया है।

2.8 टर्म प्रकोष्ठों द्वारा किए जा रहे अन्य प्रमुख कार्य

- क) फील्ड में विभिन्न नेटवर्क प्रचालकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय तथा नेटवर्क पैरामीटरों की निगरानी करना।
- ख) लाइसेंस प्रदाताओं द्वारा जनहित में जारी निदेशों का लाइसेंसधारक द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए जांच करना।
- ग) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को नए एमएससी कोड आवंटित करने के लिए आगंतुक अवस्थिति रजिस्टर (वीएलआर) की गणना का सत्यापन करना।



- घ) ग्लोबल कॉलिंग कार्ड, अन्तरराष्ट्रीय सिम कार्डों आदि की बिक्री के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के संबंध में कंपनियों द्वारा शर्तों का अनुपालन किए जाने की जांच करना।
- ड) अंतः प्रचालक कॉलों के लिए कॉल पूरा होने के इष्टतम अनुपात (सीसीआर) को सुनिश्चित करने के लिए अन्तः प्रचालक कनेक्टिविटी की निगरानी करना।
- च) राष्ट्रीय सुरक्षा विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) से समन्वय से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करना और ग्राहकों, सीडीआर, एक्सचेंज रिकॉर्डों आदि के संबंध में सूचना प्रदान करने में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों/एलईए को सहायता प्रदान करना।
- छ) लाइसेंसधारी के नेटवर्क के माध्यम से जाने वाले सभी संचार संप्रेषणों के विधि-सम्मत अंतरावरोधन/निगरानी के लिए तकनीकी व्यवस्था करना।
- ज) **आपदा प्रबंधन:** आपदा परिस्थितियों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और राज्य की एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना और प्रभावित दूरसंचार सेवाओं को तत्काल पुनः स्थापन करना। प्राकृतिक आपदाओं अथवा आपात कालीन परिस्थितियों में नेटवर्क को अपने अधिकार में लेना।
- झ) इस बात का पता लगाना कि लाइसेंसधारी, अनुमत (अनुमति प्रदान किए गए) क्षेत्र के भीतर ही सेवाएं प्रदान कर रहा है।
- ञ) टर्म प्रकोष्ठ दिल्ली की आर ई यूनिट द्वारा देश भर में दूरसंचार और रेलवे प्रचालकों का वैद्युत चुम्बकीय अनुकूल अनुपालन प्रवर्तन करना।
- ट) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करना।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



3.7 महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति में वर्णित महिलाओं को मुख्यधारा में लाने और महिला प्रतिरक्षीकरण (जेंडर मेनस्ट्रीमिंग) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के नीतिपरक दृष्टिकोण के अनुसरण में दूरसंचार विभाग और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कुछ कदम उठाए हैं।

दूरसंचार विभाग अपनी सभी यूनिटों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों/अनुदेशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुसरण करते हुए विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महिला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

विभाग के विभिन्न कार्यशील सकंघों के द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयास नीचे दिए गए हैं:—

1. सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ): संचार शक्ति स्कीम

संचार शक्ति, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के यूएसओएफ (सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि) स्कंध की ग्रामीण विकास से संबंधित पहल है।


अतः दूरसंचार विभाग की जीआरबी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अर्थात् 7.3.2011 को संचार शक्ति स्कीम के तत्वावधान में प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की पहुंच, उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार अवसरों, स्वास्थ्य और सुरक्षा की जरूरतों के लिए, आईसीटी समर्थ सेवाओं तक बनाने में सहायता प्रदान करना था।

1.1 मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य

मोबाइल मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएस) की व्यवस्था हेतु, संचार शक्ति प्रायोगिक स्कीम के अन्तर्गत भारत भर में ग्रामीण क्षेत्रों में विविध कार्यकलापों को करने वाले महिला स्वयं सेवी समूह (एमएचजी) सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार विषय-वस्तु का विकास/कस्टमीकृत सूचना का प्रावधान करने की संकल्पना की गई है। इस स्कीम में वीएस विषय-वस्तु की डिजाइनिंग करने और उसकी प्रदानगी करने में प्रौद्योगिकी के नवाचारी अनुप्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि लक्षित महिला लाभार्थियों के लिए इसकी सुगम अभिगम्यता और प्रभावी आत्मसात्करण सुनिश्चित किए जा सकें।

1.2 मुख्य उद्देश्य

1. संचार शक्ति के अन्तर्गत 12 महीने (4 तिमाही) की अवधि के भीतर, लक्षित लाभार्थियों के मोबाइलों को संदेशों (एसएमएस अथवा आईवीआरएस में से किसी एक) की पहले से सेट की गई आवृत्ति के साथ और प्रत्येक प्रायोगिक परियोजना के अनुसार विषय-वस्तु की पूर्व निर्धारित सूची के अनुसार वीएस का प्रावधान करता है।
2. सेवा प्रदाता द्वारा संगत वीएस विषय-वस्तु को विकसित करना और जिसके लिए यह अपने गैर-सरकारी भागीदार की सहायता से उपभोक्ता का विवरण तैयार करेगा। यह कार्य सेवा प्रदाता द्वारा इस तरह से संरचित किया जाता है कि सूचना मोबाइल फोन, विषय-वस्तु प्राप्त करने की विधि आदि से संबंधित आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं आदि जैसे पहलुओं पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सके।



3. सेवा प्रदाता वीएएस के प्रभावी उपयोग के लिए एसएचजी सदस्यों के प्रशिक्षण और रख-रखाव के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करता है।
4. शिकायतों को दर्ज कराने और अन्य सहायता/स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता लक्षित एसएचजी सदस्यों के लिए टोल-फ्री हेल्प लाइन प्रचालित करता है।

सेवा प्रदाताओं को वीएएस प्रसार के लिए राज-सहायता का संवितरण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के फील्ड कार्यालयों अर्थात् संचार लेखा नियंत्रक के माध्यम से प्रत्येक प्रायोगिक योजना के लिए यूएसओएफ और सेवा प्रदाता के बीच हुए करार की निबंधन और शर्तों के अनुसार अधिकतम 12 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

1.3 अभीष्ट मुख्य परिणाम

1. ग्रामीण क्षेत्रों की एसएचजी महिलाओं को संचार शक्ति के अन्तर्गत उनके मोबाइल हैंडसेटों पर अनुकूल रूप से तैयार सूचना के प्रसार के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना/वीएएस/आईसीटी सेवाओं के लिए मांग (डिमांड) तैयार करना।
2. डिजिटल अन्तर्वेशन से महिलाओं में आत्म-शक्ति और आत्म-सम्मान की भावनाओं में वृद्धि होगी।
3. सूचना के सीधे प्रवाह से, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार से मिलने वाले उचित अधिकारों के संबंध में सूचना की विषमताओं के कारण होने वाले शोषण और उत्पीड़न में कमी आएगी और उन्हें स्थानीय सरकारी मशीनरी से अधिक दायित्व की मांग करने में सहायता मिलेगी।
4. महिलाओं के निजी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सही और सुविचारित नीति-निर्माण के लिए सूचना तक अभिगम।

1.4 संचार शक्ति में भागीदार

इस स्कीम का ढांचा (फ्रेमवर्क) सरकारी निजी जन भागीदारी मॉडल पर आधारित है।

1. सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (सरकारी) क्षेत्र, सेवा प्रदाता (निजी) क्षेत्र को उसके द्वारा वीएएस विषय-वस्तु निर्माण, प्रशिक्षण/रखरखाव और वीएएस/सूचना प्रसार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सेवा प्रदाता का गैर-सरकारी भागीदार (जन) चयन करने, शिक्षा प्रदान करने और लाभार्थियों में जागरूकता फैलाने के कार्य में सम्मिलित होता है।
2. इस समय, राजस्थान में मैसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड और मैसर्स रियूटर्स मार्कीट लाइट इन्फार्मेशन सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड, संचार शक्ति के अन्तर्गत चल रही शेष प्रायोगिक परियोजनाओं में सेवा प्रदाता हैं।
3. लक्षित लाभार्थी (जन) को उनकी वीएएस विषय-वस्तु को अनुकूल बनाने और स्थानीकृत करने में सेवा प्रदाताओं द्वारा सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है।



1.5 संचार शक्ति की प्रमुख सफलताएं

- लाभार्थी-ग्रामीण क्षेत्र की एसएचजी महिला सदस्य

संचार शक्ति के अन्तर्गत प्रायोगिक परियोजना का प्रचालन क्षेत्र	उत्तराखंड	पुणे (महाराष्ट्र)	अजमेर (राजस्थान)	श्रीकाकुलम पूर्व गोदावरी एवं विशाखापत्तनम (आं.प्र.)	आजमगढ़ उ.प्र. (पूर्व) प्रस्तावित	सहारनपुर उ.प्र. (पश्चिम) प्रस्तावित
लाभार्थी	2200	2200	2860	3066	3200	3200

- दिनांक 31/08/2014 की स्थिति के अनुसार संचार शक्ति क्रिया-कलाप के लिए संवितरित यूएसओएफ राज सहायता 0.63 करोड़ रुपये है।
- संचार शक्ति की शुरुआत होने से लेकर संचार शक्ति स्कीम के अन्तर्गत उत्तराखंड और पुणे जिला (महाराष्ट्र) में दो प्रायोगिक परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं।
- अजमेर में की गई पहल, वीएस प्रावधान के शुरुआती चरण में हैं।
- दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 से, कस्टमीकृत सूचना महिला लाभार्थियों के मोबाइल फोनों पर आन्ध्र प्रदेश के 3 जिलों (श्रीकाकुलम, पूर्व गोदावरी और विशाखापत्तनम) में उपलब्ध कराई जा रही है।
- इसके अतिरिक्त, संचार शक्ति स्कीम का उत्तर प्रदेश के जिलों नामतः आजमगढ़ और सहारनपुर तक विस्तार किया गया जो कि करार हस्ताक्षर करने के चरण के समीप है।


इस प्रकार संचार शक्ति स्कीम अब भी विकसित की जा रही है और इससे पूर्व कि इसे यूएसओएफ स्कीम की एक पूर्ण-विकसित स्कीम के रूप में संकल्पित स्कीम माना जाए, संचार लेखा नियंत्रक कार्यालयों की सहायता से यूएसओएफ मुख्यालय द्वारा भारत के विभिन्न भागों में इसकी सफलता का अनुमान और आकलन किया जा रहा है।

2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने सदैव ही संगठन और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी के प्रयास किए हैं। इसे जन-शक्ति आंकड़ों, अर्थात् दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार कुल जनशक्ति में महिला कर्मचारियों की संख्या 22.82% होने से देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल ने महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:-

1. रात्रि पाली में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में विशेष सावधानी बरती गई है और उनके लिए विश्राम कक्ष/शयनागार की व्यवस्था की गई है। उन्हें रात्रि ड्यूटी भत्ता भी प्रदान किया जाता है। रात्रि पाली की ड्यूटी की व्यवस्था इस तरह से की जाती है कि वे दिन के समय ही ड्यूटी पर रिपोर्ट करें और दिन के समय ही वापस जाएं। इस प्रकार की ड्यूटी, रात्रि ड्यूटी करने के बाद सप्ताह के अन्त में एक बार ही की जाती है, स्टाफ द्वारा दिन की ड्यूटी केवल तीसरे दिन करना अपेक्षित होता है, क्योंकि दूसरा दिन उनकी छुट्टी का होता है। प्रभावी ढंग से इस प्रकार की ड्यूटी से लगातार दो दिन की छुट्टी मिल जाती है।



2. समान पद पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक दिया जाता है और जाति, महिला-पुरुष, धर्म आदि के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं किया जाता।
3. कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए तथा इससे संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए, यूनिट स्तर पर और कारपोरेट कार्यालय में भी यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।
4. सेवा शर्तें एक समान हैं और महिला-पुरुष के आधार पर कोई पक्षपात नहीं है।
5. कर्मचारियों के लिए मातृत्व/पितृत्व अवकाश की सुविधा उपलब्ध है।
6. बाल देखभाल अवकाश अधिकतम दो वर्ष की अवधि (अर्थात् 730 दिन) का प्रदान किया जाता है जो 3 महीने की अवधि तक वेतन सहित तथा 3 महीने के वेतन सहित अवकाश सहित कुल 2 वर्ष का बिना वेतन का होता है।
7. शिशुओं वाली महिला कर्मचारियों के लिए शिशु सदन की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
8. महानगर टेलीफोन निगम लि. महिला कल्याण संगठन के लिए वार्षिक आधार पर विशेष अनुदान की मंजूरी दी जा रही है, जिसके तहत कार्यरत और सेवा-निवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों के सगे संबंधियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

3. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

भारत संचार निगम लिमिटेड में महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए चलाई जा रही स्कीमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है।
2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 130/8/2/2008.स्थापना(एल) दिनांक 11.09.2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जाता है।
3. निःशक्त महिला कर्मचारियों को बाल देखभाल हेतु बच्चे की आयु दो वर्ष तक होने तक 1,000 रु. प्रति माह की दर से विशेष भत्ता प्रदान किया जाता है।

4. टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

टीसीआईएल अपने कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के अनुकूल कार्य-वातावरण उपलब्ध करा रहा है। सभी कर्मचारियों को समान अवसर सुनिश्चित करते हुए बचाव और सुरक्षा उपायों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। टीसीआईएल ने अपनी महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाए किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ टीसीआईएल मुख्यालय में प्रत्येक मंजिल पर महिलाओं के लिए अलग से विश्राम कक्षों की व्यवस्था की है। महिला कर्मचारी उच्चतर/मध्यम प्रबंधन पदों पर भी नियुक्त हैं और बहुत सी महिलाओं को नीति निर्माण प्रक्रिया में भी शामिल किया जा रहा है। टीसीआईएल में महिला कर्मचारियों से युक्त एक यौन उत्पीड़न निरोधक समिति भी मौजूद है जो महिला कर्मचारियों की उत्पीड़न संबंधी शिकायतों और महिला कर्मचारियों की कल्याण एवं सुरक्षा के संबंध में शिकायतों का निदान कर रही है।

5. आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड, सामाजिक संचेतना वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, प्रारंभ से ही अपने



कर्मचारियों के कल्याण की संकल्पना के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें महिला कर्मचारियों के कल्याण हेतु यथोचित महत्व दिया जाता है। आईटीआई लिमिटेड द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

- कम्पनी के लिए यह एक गर्व का विषय है कि इसकी बहुत सी महिला कर्मचारी पूर्व में श्रम देवी पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं।
- यूनिटों में कैंटीन में अलग से भोजन कक्ष, विश्राम कक्ष और शिशु सदनों की व्यवस्था की गई है।
- कम्पनी की व्यापक स्वास्थ्य सुविधा योजना है, जो अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा/प्रतिपूर्ति लाभ उपलब्ध कराती है। बंगलूरु, नैनी, मनकापुर और रायबरेली संयंत्रों में अस्पताल स्थापित किए गए हैं जिनमें महिला और बाल कल्याण पर बल दिया जाता है।
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2004–2005 के दौरान यौन-उत्पीड़न से संबंधित खंड को शामिल करने के उद्देश्य से महिला कर्मचारियों के लिए लागू स्थायी आदेशों को संशोधित कर दिया गया है, सीडीए नियम तदनुसार संशोधित कर दिए गए थे।
- कम्पनी में किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत की जांच के लिए प्रत्येक यूनिट में शिकायत समिति का गठन किया गया है और इसे कम्पनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है।
- इस बात को सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाता है कि महिला कर्मचारियों को आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाए।

6. टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)

सी-डॉट प्रबंधन महिलाओं संबंधी मामलों के प्रति सदैव संवेदनशील रहा है और महिला-पुरुष समानता को दर्शाते हुए संगठनात्मक संस्कृति सृजित करने की दिशा में लगातार कार्य करता रहा है। इस समय सी-डॉट के स्टाफ में लगभग 31.5% महिलाएं हैं।

- सभी महिला स्टाफ सदस्यों को 180 दिन के मातृत्व अवकाश और उसके पश्चात 90 दिन के अवकाश (180 दिन के मातृत्व अवकाश सहित कुल 270 दिन) की सुविधा प्रदान की जाती है। गर्भस्राव/गर्भपात के मामले में पूरे सेवाकाल के दौरान कुल 45 दिन की छुट्टी देय होती है।
- इस वर्ष सी-डॉट ने बाल-देखभाल छुट्टी की शुरुआत की है। यह छुट्टी पात्र महिला स्टाफ को उनके द्वारा उसके लिए आवेदन करने पर दी गई है।
- सी-डॉट अपनी सभी महिला कर्मचारियों को आवास और परिवहन सुविधाएं प्रदान कराता है, जिनमें विभिन्न विकल्प मौजूद होते हैं, जिनका लाभ वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उठा सकती हैं। इससे कम्पनी में सभी महिला कर्मचारियों का बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित होते हैं।
- आवासीय टेलीफोन व्यय की लगभग 100% प्रतिपूर्ति देय है।
- 36% महिला कर्मचारियों को बहुकार्य भत्ता देय है।



- सी-डॉट में महिला कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। पिछले वित्त वर्ष उच्च ग्रेडों में पदोन्नत हुए कुल कर्मचारियों में से 26% महिला कर्मचारी थीं।
- प्रबंधन संवर्ग (टीम लीडर, ग्रुप लीडर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ) में लगभग 17% महिलाएं हैं।
- कार्य-स्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन शोषण से संबंधित मुद्दों को निपटाने के लिए सी-डॉट बोर्ड द्वारा एक समिति गठित की गई है ताकि इन मामलों पर निष्पक्ष और न्यायोचित ढंग से गौर किया जा सके और इन पर उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश की जा सके।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



3.8 भिन्न रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

दूरसंचार विभाग, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करता है।

1. टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)

1.1 निःशक्त व्यक्तियों की भर्ती

सी-डॉट, निःशक्त व्यक्तियों की भर्ती के लिए सी डॉट में नौकरी में आरक्षण के लिए सरकारी नियमों का पालन करता है।

सी-डॉट के पास निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु और उनकी आने वाली समस्याओं/शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

1.2 निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध लाभ

- सी-डॉट, निःशक्त व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण से संबंधित भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता है।
- दिल्ली स्थित सी-डॉट परिसर का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि इसमें निःशक्त व्यक्तियों के लिए बाधरहित वातावरण सुनिश्चित हो सके। इसके मुख्य प्रवेश/निकास द्वार तक सीढ़ियों के साथ-साथ रैंप के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। यहां तक कि, विभिन्न कार्य-क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्गों में स्वचालित सीढ़ियां भी लगाई गई हैं ताकि निःशक्त व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक स्कंध से दूसरे स्कंध में आवाजाही कर सकें।

2. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)


निःशक्त व्यक्तियों के लाभार्थ स्कीमों के संबंध में बीएसएनएल में निम्नलिखित स्कीमों उपलब्ध हैं:

- शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए परिवहन भत्ता दुगुनी दरों से देय है।
- जहां तक संभव हो, प्रशासनिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए निःशक्त व्यक्तियों की तैनाती उसी क्षेत्र में, उनके पैतृक स्थल के समीप की जाती है।

3. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अपने कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत, नवीन कार्य योजनाएं बनाकर तथा कार्य योजनाओं का निष्पादन करके शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के उन्नयन के प्रति सदैव प्रयासरत रहा है। एमटीएनएल ने अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और निःशक्त व्यक्तियों को समाज में सम्मानजनक स्थिति उपलब्ध कराने के लिए कुछ अन्य नवाचारी स्कीमों भी तैयार की जा रही हैं।

ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों की भर्ती में, भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण



के प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पीसीओ के आवंटन में विलम्ब से बचने के लिए निःशक्त व्यक्तियों को सीडीएमए/जीएसएम प्रौद्योगिकी पर आधारित मोबाइल बूथ प्रदान किए जा रहे हैं।

दिनांक 31.12.14 की स्थिति के अनुसार, कुल जनशक्ति का 0.465% भाग निःशक्त व्यक्तियों का है।

4. आईटीआई लिमिटेड

आईटीआई लिमिटेड में निःशक्त व्यक्तियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

- नगर क्षेत्र में रह रहे निःशक्त व्यक्तियों को मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है जो कि अधिकतम 75/- रु. प्रतिमाह होगा।
- वे कर्मचारी जो कम्पनी के नगर क्षेत्र में नहीं रह रहे परन्तु अपने निवास से निर्माणी (फैक्टरी) आने जाने के लिए कम्पनी की परिवहन सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें मूल वेतन के 5% की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 100/- रु. प्रति माह है।
- शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को क्रमशः पाली की शुरुआत और समाप्ति के समय में आने की उपस्थिति और जाने की उपस्थिति में 10 मिनट की छूट प्रदान की जाती है।
- शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को बिना बारी के आधार पर क्वार्टर आवंटित किए जाते हैं।
- सरकार के निदेशों के अनुसार, आईटीआई निःशक्त व्यक्तियों की भर्ती में 3% का आरक्षण प्रदान करती है और जहां लागू होता है, पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए कम्पनी समूह 'ग' और 'घ' पदों पर भर्ती के लिए 10 वर्ष की तथा समूह 'क' और 'ख' पदों पर 5 वर्ष की छूट प्रदान करती रही है।

5. टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

टीसीआईएल में शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के चयन हेतु, भारत सरकार के आरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवेश स्तर के पदों पर विचार किया जाता है। शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता और उन्हें अन्य कर्मचारियों के समान ही अवसर प्रदान किए जाते हैं। शारीरिक रूप से निःशक्त किसी भी कर्मचारी को कठिन परिस्थितियों/कठिनाइयों वाले दूरस्थ स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



3.9 नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

नागरिक/क्लाइंट चार्टर किसी सरकारी विभाग द्वारा लिखित में की गई एक ऐसी घोषणा है जो उनके द्वारा दी जाने वाली सेवा के मानकों, उपभोक्ताओं हेतु विकल्प की उपलब्धता, शिकायत निवारण व अन्य संबंधित सूचना प्राप्त करने संबंधी जानकारी देती है। दूसरे शब्दों में यह किसी विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवा के मानकों के बारे में उसके द्वारा दी गई वचनवद्धता का एक संग्रह है।


हालांकि यह कानूनी अदालत में प्रवर्तनीय नहीं है, किन्तु नागरिक/क्लाइंट चार्टर का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वे सेवा के प्रतिबद्ध मानकों की मांग कर सकें तथा सेवा प्रदाता संगठनों द्वारा अनुपालन न करने पर सुधारारात्मक उपायों का लाभ उठा सकें। नागरिक/क्लाइंट चार्टर का मूल उद्देश्य सेवाओं को आपूर्ति प्रवर्तक के स्थान पर मांग प्रवर्तक बनाकर नागरिक केन्द्रित लोक सेवाएं प्रदान करना है।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि वे प्रत्यक्ष रूप से जनता के संपर्क में नहीं आते हैं तो वे नागरिक चार्टर के स्थान पर क्लाइंट चार्टर तैयार करें।

दूरसंचार विभाग ने रिज़ल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (आरएफडी) प्रारूप में दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की जा रही मुख्य सेवाओं को सूचीबद्ध करते हुए अपना नागरिक/क्लाइंट चार्टर बनाया है। ये सभी सेवाएं उन संबंधित प्रक्रिया विवरणों के साथ प्रलेखित की गई हैं, जिनमें आवश्यक दस्तावेजों का विवरण, प्रत्येक सेवा का लाभ उठाने संबंधी लागू शुल्क, यदि कोई हो, और उसके भुगतान का तरीका शामिल है। चार्टर में सेवा वितरण के मानक, इन सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी केन्द्रों के संपर्क विवरण, वितरित सेवाओं के संबंध में निष्पादन मूल्यांकन मापदंड आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। चार्टर में क्लाइंट्स के विवरण, सेवा प्राप्त करने हेतु उनकी अपेक्षाएं तथा विषय-वस्तु पर डीएआरपीजी के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र का विवरण भी समाविष्ट है।

दूरसंचार विभाग का नागरिक/क्लाइंट चार्टर, दूरसंचार विभाग की वेबसाइट www.dot.gov.in पर "सिटिजन चार्टर आरएफडी फार्मेट" लिंक के अंतर्गत आम जनता की पहुंच में उपलब्ध कराया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:


क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
1	इंटरनेट लाइसेंस जारी करना	डीडीजी (डीएस)	आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् लगने वाला समय।	60	दिन
			एलओआई की शर्तों का अनुपालन करने और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् लगने वाला समय।	30	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
2	इंटरनेट लाइसेंस के तहत विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी प्रदान करना।	डीडीजी (डीएस)	सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी को जारी करने में लगने वाला समय।	30	दिन
3	लाइसेंस धारक की कंपनी का विलयन / विलगाव और समामेलन / नाम परिवर्तन / पंजीकृत कार्यालय पते का परिवर्तन	डीडीजी (डीएस)	लाइसेंस धारक से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के बाद लगने वाला समय	60	दिन
4	इंटरनेट लाइसेंस को अभ्यर्पित करने हेतु अनुरोध करना।	डीडीजी (डीएस)	अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त करने और इसके रद्दीकरण को जारी करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् लगने वाला समय।	60	दिन
5	वेबसाइट/यूआरएल/आईपी पते को ब्लॉक करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दिशा-निर्देश जारी करना।	डीडीजी (डीएस)	इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ब्लॉक करने हेतु पत्र जारी करने के लिए वेबसाइट/यूआरएल/आईपी पते को ब्लॉक करने हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् लगने वाला समय।	7	दिन
6	सीयूजी वीएसएटी/मोबाइल सैटेलाइट सर्विस-रिपोर्टिंग (एमएसएस-आर) लाइसेंस जारी करना।	डीडीजी (डीएस)	आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् लगने वाला समय।	60	दिन
			एलओआई की शर्तों का अनुपालन करने और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् लगने वाला समय।	30	दिन
7	ओएफसी अथवा वायरलेस पर प्राइवेट कैप्टिव सीयूजी नेटवर्कों के लिए अनुमति जारी करना।	डीडीजी (डीएस)	आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् लगने वाला समय।	60	दिन
			आवेदक को अनुमति प्रदान करने हेतु एलओआई की शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात् लगने वाला समय।	30	दिन




क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
8	नई सैटेलाइट सेवाओं/नेटवर्क को जोड़ने के लिए लाइसेंसधारियों को सिद्धान्ततः मंजूरी जारी करना	डीडीजी (डीएस)	नई सैटेलाइट सेवाओं/नेटवर्क को जोड़ने के लिए लाइसेंसधारियों को सिद्धान्ततः मंजूरी जारी करने करने में लगने वाला समय	30	दिन
9	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आवेदन की प्रोसेसिंग।	जेएस(ए)	आवेदन की संवीक्षा करने और विसंगति, यदि कोई हो, का उल्लेख करने हेतु, अथवा अतिरिक्त अपेक्षित सूचना, यदि कोई हो, प्राप्त करने में लगने वाला समय।	15	दिन
			एफआईपीबी आवेदन, यदि कोई हो, के संबंध में टिप्पणियां/विचार प्राप्त करने के लिए दूरसंचार विभाग के अन्य प्रभागों से परामर्श करने में लगने वाला समय।	21	दिन
			दूरसंचार विभाग की आईपी यूनिट में संपूर्ण आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, एफआईपीबी (डीईए) द्वारा संदर्भित आवेदन की प्रक्रिया और टिप्पणियां भेजने में लगा समय।	30	दिन
10	डीजीएफटी को प्रस्तुत इनपुट-आउटपुट मानदंडों हेतु निर्यातकों से आवेदन की प्रोसेसिंग।	जेएस(ए)	आवेदन की संवीक्षा करने और विसंगति, यदि कोई हो, का उल्लेख करने हेतु, अथवा अतिरिक्त अपेक्षित सूचना, यदि कोई हो, प्राप्त करने में लगने वाला समय।	15	दिन
			दूरसंचार विभाग की आईपी यूनिट में संपूर्ण आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, डीजीएफटी द्वारा संदर्भित आवेदन की प्रक्रिया और डीजीएफटी को टिप्पणियां भेजने में लगने वाला समय।	30	दिन
			दूरसंचार विभाग की आईपी यूनिट में संपूर्ण आवेदन प्राप्त करने के पश्चात्, डीजीएफटी द्वारा संदर्भित आवेदन की प्रक्रिया और टिप्पणियां भेजने में लगने वाला समय।	30	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
11	शिकायत निवारण तंत्र/ शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाना	डीडीजी (पीजी)	संबंधित यूनिटों/अधीनस्थ संगठनों को शिकायत प्राप्त करने और अग्रेषित करने में लगने वाला समय।	3	दिन
			शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में शिकायत पंजीकरण/प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को अंतरिम/अंतिम प्रत्युत्तर जारी करना।	90	%
12	सरकार / बीएसएनएल के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों/पेंशनरों के संबंध में सेवा-निवृत्ति लाभ/पेंशन मामलों का संशोधन करना।	डीडीजी (स्थापना)	प्राप्त दस्तावेजों की जांच करने और कमियां, यदि कोई हो, का उल्लेख करने में लगने वाला समय।	15	दिन
			कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्डों की जांच करने और प्राप्त मामलों के संबंध में कमियां, यदि कोई हो, का उल्लेख करने में लगने वाला समय।	20	दिन
			अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने और इनका पालन करने हेतु संबंधित प्रशासनिक यूनिटों को अनुरोध जारी करने और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करने में लगने वाला समय	10	दिन
			सभी तरह से पूर्ण सभी अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने और इन्हें आगे की कार्रवाई हेतु पीएफपी को अग्रेषित करने के पश्चात् पेंशन गणना शीट तैयार करने में लगने वाला समय	25	दिन
			आगे की कार्रवाई हेतु पीएफपी को बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय के मामलों को अग्रेषित करने में लगा समय।	7	दिन




क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
13	पेंशनरों के पहचान-पत्र, सेवा प्रमाणपत्र, अर्हक सेवा प्रमाणपत्र जारी करना, बीएसएनएल पेंशनरों के लिए आईडीए आदेशों को परिचालित करना। वेबसाइट इत्यादि के माध्यम से पेंशनगत मामलों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करना।	डीडीजी (स्थापना)	सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से पेंशनरों के पहचान-पत्र तैयार करने में लगने वाला समय।	20	दिन
			दूरसंचार विभाग के पेंशनरों को प्रदान की गई दूरभाष रियायती सुविधा का लाभ उठाने के लिए सेवा प्रमाणपत्र तैयार करने में लगा समय।	15	दिन
			डीपीई से औद्योगिक महंगाई राहत से संबंधित आदेशों को परिचालित करने में लगने वाला समय।	03	दिन
			आदेशों को जारी करने की तारीख से वेबसाइट पर पेंशन संबंधित ओदश अपलोड करने में लगा समय।	03	दिन
14	दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल के पेंशनरों/परिवारिक पेंशनरों के संबंध में शिकायतों का निपटारा करना।	डीडीजी (स्थापना)	शिकायत प्राप्ति की तारीख से संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों को शिकायत-आवेदन अग्रेषित करने में लगने वाला समय	05	दिन
			शिकायत प्राप्ति की तारीख से इस अनुभाग से संबंधित ऐसी शिकायतों का निपटारा करने में लगने वाला समय।	30	दिन
15	बिल संबंधी विवादों के संबंध में भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7बी के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति करना।	डीडीजी (टीपीएफ)	सभी तरह से संपूर्ण प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से लगने वाला समय।	14	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
16	एकीकृत लाइसेंसिंग क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी)/अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) लाइसेंस के लिए प्राधिकार जारी करना।	डीडीजी (सीएस)	लाइसेंसिंग प्रकोष्ठ द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेजों की संवीक्षा करने में लगने वाला समय, आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	20	दिन
			दूरसंचार विभाग के वित्त स्कंध द्वारा आवेदन की संवीक्षा करने में लगने वाला समय। आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	20	दिन
			आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय बशर्ते सभी वांछनीय शर्तें पूरी होती हों/अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो।	20	दिन
			मामले के अनुमोदन के बाद सीएस प्रकोष्ठ द्वारा आवेदक कंपनी को आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने में लगने वाला समय। दूरसंचार विभाग के एलएफ/डब्ल्यूपीसी/डब्ल्यूपीएफ प्रकोष्ठों से अदेयता-प्रमाणपत्र हेतु अनुरोध करना।	5	दिन
			दूरसंचार विभाग के एलएफ/डब्ल्यूपीसी/डब्ल्यूपीएफ प्रकोष्ठों से अदेयता-प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगने वाला समय।	45	दिन
			एलओआई की शर्तों का अनुपालन करने और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक कंपनी के साथ एनएलडी सेवाओं के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय।	10	दिन




क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
17	एनएलडी / आईएलडी लाइसेंस के तहत विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी प्रदान करना।	डीडीजी (सीएस)	लाइसेंसिंग प्रकोष्ठ द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेजों की संवीक्षा करने में लगने वाला समय। आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	15	दिन
			कमियों को स्पष्टीकरण / निवारण करने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के विचारार्थ प्रस्ताव भेजने में लगने वाला समय।	10	दिन
			सुरक्षा एजेंसियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी जारी करने हेतु कार्यवाही करने और अनुमोदन जारी करने में लगने वाला समय।	10	दिन
18	एनएलडी / आईएलडी लाइसेंस धारित कंपनी के नाम, पंजीकृत कार्यालयी पते के नाम में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध करना।	डीडीजी (सीएस)	आवेदन पत्र और दस्तावेजों की संवीक्षा करने में लगा समय। आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	20	दिन
			एनएलडी/आईएलडी लाइसेंस धारित कंपनी के नाम में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध के लिए कार्यवाही करने और अनुमोदन जारी करने में लगा समय।	20	दिन
19	पीएमआरटीएस/सीएमआरटी एस लाइसेंस जारी करना।	डीडीजी (सीएस)	आवेदक की सभी कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, को दूर करने और इनको जांच एवं टिप्पणियों हेतु टीईसी/डब्ल्यूपीसी को भेजने तथा अदेयता प्रमाण पत्र हेतु दूरसंचार विभाग के एलएफ/डब्ल्यूपीसी/डब्ल्यूपीएफ प्रकोष्ठों को अग्रेषित करने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की पात्रता की संवीक्षा करने और इसे सुनिश्चित करने में लगने वाला समय।	20	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
			सभी पात्रता शर्तें पूरी होने/अपेक्षित दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् वित्तीय पुनरीक्षण/अनुमोदन हेतु मामले को भेजने में लगने वाला समय	20	दिन
			आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में लगा समय बशर्ते सभी वांछनीय शर्तें पूरी होती हों/अपेक्षित दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो।	30	दिन
			सीएस प्रकोष्ठ द्वारा आवेदक कंपनी को आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने में लगने वाला समय।	5	दिन
			करार पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी से अदेयता एवं निराकरण सहित एलओआई की शर्तों, मंजूरी के अनुपालन के पश्चात आवेदक कंपनी के साथ पीएमआटीएस/सीएमआरटीएस सेवाओं के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय।	10	दिन
20	अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1 को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना।	डीडीजी (सीएस)	आवेदन की संवीक्षा करने में लगा समय और आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना।	15	दिन
			सभी कमियों के निराकरण के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में लगने वाला समय।	20	दिन




क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
21	वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा (यूएमएस) लाइसेंस जारी करना।	डीडीजी (सीएस)	आवेदक की सभी कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, को दूर करने इनको अदेयता प्रमाण पत्र हेतु दूरसंचार विभाग के एलएफ/डब्ल्यूपीसी/डब्ल्यूपीएफ प्रकोष्ठों को अग्रेषित करने और इसको वित्तीय पुनरीक्षा/अनुमोदन हेतु भेजने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की पात्रता की संवीक्षा करने और इसे सुनिश्चित करने में लगने वाला समय।	30	दिन
			सभी पात्रता शर्तें पूरी होने/अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् आशय पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा की प्रोसेसिंग एवं अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय	30	दिन
			मामले के अनुमोदन के बाद सीएस प्रकोष्ठ द्वारा आवेदक कंपनी को आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने में लगने वाला समय।	5	दिन
			करार पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी से अदेयता एवं पुष्टि सहित एलओआई की शर्तों, मंजूरी के अनुपालन के पश्चात आवेदक कंपनी के साथ वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा (यूएमएस) लाइसेंस सेवाओं के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय।	10	दिन
22	अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डों और ग्लोबल कॉलिंग कार्डों के क्रय/किराए पर लेने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) का नवीकरण करने के लिए अनुरोध करना	डीडीजी (सीएस)	संवीक्षा करने और आवेदक को कमियां/विसंगतियां, यदि कोई हो, की सूचना देना में लगने वाला समय।	15	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
			सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने/अपेक्षित दस्तावेजों/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की शर्त पर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)/अनापत्ति का नवीकरण जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की प्रोसेसिंग और उसका अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय।	20	दिन
23	वायरलेस लाइसेंस (806 मेगाहर्ट्ज से अधिक) प्रदान करना।	बेतार सलाहकार	आशय पत्र जारी करने में लगने वाला समय (अंतरमंत्रालयी अनुमोदन, यदि लागू हो, प्राप्त करने के पश्चात)	30	दिन
			एआईपी/डीएल पत्र जारी करने में लगने वाला समय	30	दिन
			एआईपी/डीएल के प्रति वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) जारी करने में लगा समय।	30	दिन
			डब्ल्यूओएल का नवीकरण करने में लगा समय।	15	दिन
24	वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (806 मेगाहर्ट्ज से कम) प्रदान करना।	बेतार सलाहकार	आशय पत्र जारी करने में लगने वाला समय (अंतरमंत्रालयी अनुमोदन, यदि लागू हो, प्राप्त करने के पश्चात)	30	दिन
			एआईपी/डीएल पत्र जारी करने में लगने वाला समय	30	दिन
			एआईपी/डीएल के प्रति वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) जारी करने में लगा समय।	30	दिन
			डब्ल्यूओएल का नवीकरण करने में लगा समय।	15	दिन
25	वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (जीएसएम/3जी/पीएमआरटीएस) प्रदान करना	बेतार सलाहकार	आशय पत्र जारी करने में लगने वाला समय	30	दिन
			फ्रीक्वेंसी/एआईपी जारी करने में लगने वाला समय	30	दिन




क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
			फ्रीक्वेंसी/एआईपी जारी करने के प्रति वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) जारी करने में लगने वाला समय।	30	दिन
			डब्ल्यूओएल का नवीकरण प्रमाण पत्र जारी करने में लगने वाला समय।	15	दिन
26	वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (सीडीएमए/बीडब्ल्यूए/आईएसपी) प्रदान करना	बेतार सलाहकार	स्पैक्ट्रम प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी करने में लगने वाला समय	30	दिन
			फ्रीक्वेंसी/एआईपी जारी करने में लगने वाला समय	30	दिन
			फ्रीक्वेंसी/एआईपी जारी करने के प्रति 'वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस' (डब्ल्यूओएल) जारी करने तथा तैनाती योजना जारी करने में लगने वाला समय।	30	दिन
			डब्ल्यूओएल का 'नवीकरण प्रमाण पत्र' जारी करने में लगने वाला समय।	15	दिन
27	सैटेलाइट सेवाओं हेतु वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस प्रदान करना।	बेतार सलाहकार	एलओआई जारी करने में लगने वाला समय	30	दिन
			एआईपी पत्र जारी करने में लगने वाला समय	30	दिन
			एआईपी के प्रति वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) जारी करने में लगने वाला समय।	30	दिन
			डब्ल्यूओएल का नवीकरण करने में लगने वाला समय।	15	दिन
			टीवी चैनल की सिफारिश करने में लगने वाला समय।	40	दिन
28	एमैच्योर स्टेशन ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एएसओसी) लाइसेंस/लाइसेंस/दक्षता प्रमाणपत्र (सीओपी) लाइसेंस जारी करना।	बेतार सलाहकार	सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् एएसओसी लाइसेंस (हम रेडियो ऑपरेटर लाइसेंस) जारी करने में लगने वाला समय।	45	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
			सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् एएसओसी लाइसेंस (हम रेडियो आपरेटर लाइसेंस) जारी करने में लगने वाला समय।	45	दिन
			सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् एएसओसी लाइसेंस रेडियो टेलीफोनी प्रतिबंधित (परमिट) जारी करने में लगने वाला समय।	30	दिन
			सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् एएसओसी लाइसेंस रेडियो टेलीफोनी प्रतिबंधित (रूपांतरण) जारी करने में लगने वाला समय।	30	दिन
			सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिबंधित रेडियो टेलीफोनी (परमिट) के नवीकरण-प्रमाणपत्र को जारी करने में लगा समय।	30	दिन
			सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिबंधित रेडियो टेलीफोनी (रूपांतरण) के नवीकरण-प्रमाणपत्र को जारी करने में लगा समय।	30	दिन
			सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली (सामान्य प्रचालक प्रमाणपत्र) जीएमडीएसएस (जीओसी) के नवीकरण-प्रमाणपत्र को जारी करने में लगने वाला समय।	30	दिन
			सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिबंधित रेडियो टेलीफोनी (वैमानिक)-आरटीआर(ए) लाइसेंस सभी तरह	30	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
			से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिबंधित रेडियो टेलीफोनी (वैमानिक)-आरटीआर(ए) लाइसेंस के नवीकरण को जारी करने में लगने वाला समय।		
			सभी तरह से संपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात् पुराने समुद्री लाइसेंस नवीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाला समय।	30	दिन
29	फ्रीक्वेंसी आवंटन के संबंध में स्थाई सलाहकार समिति (एसएसीएफए) का मंजूरी-प्रमाणपत्र जारी करना।	बेतार सलाहकार	एसएसीएफए की मंजूरी (पूर्ण स्थल/मस्तूल ऊंचाई-7/40 श्रेणी स्थलों अर्थात् निकटतम एयरपोर्ट संदर्भ बिंदु (एआरपी) से कम से कम 7 कि.मी. पर स्थित स्थल/एंटीना और एक प्रभावी टॉवर/मस्तूल ऊंचाई जो कि एआरपी स्थल की ऊंचाई के संबंध में 40 मीटर से अधिक न हो) को जारी करने में लगने वाला समय	30	दिन
			एसएसीएफए की मंजूरी (पूर्ण स्थल/मस्तूल ऊंचाई-7/40 श्रेणी से भिन्न स्थल) को जारी करने में लगने वाला समय।	60	दिन
			“छूट श्रेणी” के तहत स्थलों के लिए स्थल संबंधी मंजूरी जारी करने में लगने वाला समय	30	दिन
			अतिरिक्त एंटीना संबंधी मंजूरी जारी करने में लगने वाला समय	30	दिन
30	सी-डॉट के माध्यम से दूरसंचार में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन करना।	डीडीजी (एसइसी)	संपूर्ण व्यावसायिक योजना प्राप्त होने की तारीख से अनुमोदित योजना प्राप्त करने हेतु समय-सीमा	90	दिन
			समझौता-ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा प्राप्त होने की तारीख से समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करवाने हेतु समय-सीमा	60	दिन



क्र. सं.	सेवाएं/संचालन	डीओटी यूनिट	सफलता संकेतक	सेवा मानक	इकाई
			सी-डॉट से वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि का विवरण प्राप्त होने की तारीख से अनुमोदित कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने हेतु समय-सीमा	45	दिन
			सी-डॉट से प्राप्त होने पर वित्तीय संवीक्षा हेतु स्वीकृति जारी करने के लिए सी-डॉट का अनुरोध प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा	15	दिन
			वित्तीय सहमति प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने और मंजूरी-ज्ञापन जारी करने हेतु समय-सीमा	15	दिन
			सी-डॉट से कार्य-निष्पादन की समीक्षा रिपोर्ट सहित लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करना	60	दिन
31	राष्ट्रीय संख्यांकन योजना की व्यवस्था करना	डीडीजी (एएस)	आवेदन प्राप्त होने और कोड का आंवटन होने के पश्चात् लगने वाला समय।	40	दिन
32	विधिसम्मत अंतरावरोधन निगरानी क्षमताओं के लिए सुरक्षा संबंधी मंजूरी देना।	डीडीजी (एएस)	आवेदन प्राप्त होने और प्रदर्शन की तारीख निर्धारित करने संबंधी पत्र जारी करने में लगने वाला समय।	15	दिन
			सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट प्राप्त होने और लाइसेंसधारकों को दिशा-निर्देश जारी करने के पश्चात् लगने वाला समय।	30	दिन



शिकायत निवारण तंत्र

शिकायत के निपटान की जिम्मेदारी (सेवा संबंधी शिकायतों के मामले में) संबंधित संगठनों/अधीनस्थ इकाइयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मंत्रालय के प्रशासनिक अनुभागों/सेवा प्रदाताओं की है। तथापि, दूरसंचार विभाग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता के समुचित न्यायालय में जाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उससे प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है। शिकायतकर्ता दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के शिकायत प्रकोष्ठ से संबंधित संगठन/सेवा प्रदाता स्तर पर शिकायतों के समाधान न होने के प्रमाण संबंधी कागजात के साथ निम्नलिखित माध्यम से संपर्क कर सकता है :


- क) डाक द्वारा: लोक शिकायत प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग, कमरा नं० 804, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
- ख) व्यक्तिगत रूप से: सूचना एवं सुविधा केन्द्र, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
- ग) वेब पोर्टल द्वारा: www.pgportal.gov.in
 - i) शिकायत के शीघ्र निपटान/जल्दी पहुंच और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य को देखते हुए, दूरसंचार विभाग ने वेब प्रौद्योगिकी (सीपीजीआरएएमएस) पर आधारित एक एकीकृत आवेदन प्रणाली का क्रियान्वयन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार विभाग और नागरिकों के मध्य तुरंत एवं सरल संचार के लिए कहीं से भी और किसी भी समय (24x7) पर नागरिकों द्वारा शिकायतें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करना है।
 - ii) किसी भी ब्राउजर इंटरफ़ेस का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से पीड़ित नागरिकों से शिकायतों की ऑनलाइन प्रस्तुति (दूरसंचार विभाग को) करने पर इस प्रणाली से एक अलग पंजीकरण नम्बर उपलब्ध कराया जाता है।
 - iii) शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बारे में शिकायत निवारण प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी करने के लिए इस प्रणाली में नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

विभागाध्यक्ष

सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग,
210, संचार भवन,
नई दिल्ली -110001
दूरभाष सं० 011-23719898, फ़ैक्स सं० 23711514
ई-मेल आईडी: secy-dot@nic.in

संपर्क सूत्र

श्री डी मन्ना, उप महानिदेशक (लोक शिकायत)
दूरसंचार विभाग 1210, संचार भवन, नई दिल्ली -110001
दूरभाष सं० 011-23372131, फ़ैक्स सं० 23372605
ई-मेल आईडी: ddgpg-dot@nic.in
हमारी वेबसाइट: www.dot.gov.in



4. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना ट्राई अधिनियम, 1997 के तहत की गई थी। तदुपरांत प्रसारण और केबल सेवाओं को भी “दूरसंचार सेवा” की परिभाषा के दायरे में लाया गया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं की विकास संबंधी स्थितियों को ऐसे तरीके और गति से विकसित किया जाए जिससे भारत उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभा सके।

ट्राई ने दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। यह एक ऐसे वातावरण की व्यवस्था करने के लिए प्रयासरत रहा है जो उचित एवं पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने वाला हो, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए उनके स्तर के कार्यक्षेत्र को प्रोन्नत करे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे और प्रौद्योगिकी लाभों को सभी के लिए योग्य बनाए।

ट्राई अधिनियम, 1997 के अंतर्गत ट्राई को अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का गुणवत्ता मानक निर्धारित करने और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रशुल्क नीति निर्दिष्ट करने तथा नए सेवा प्रदाताओं की प्रविष्टि संबंधी शर्तें स्वीकृत करने के साथ-साथ किसी सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करने का अधिदेश है। ट्राई के कार्य क्षेत्र में प्रशुल्क नीति, अन्तःसंयोजन वाणिज्यिक एवं तकनीकी पहलुओं, कॉल रूटिंग एवं कॉल हैंडओवर, विभिन्न सेवा प्रदाताओं तक जन-साधारण के लिए स्वतंत्र विकल्प और पहुँच की समान सुविधा, बाजार विकास तथा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए भिन्न-भिन्न नेटवर्क संरचना के कारण उत्पन्न होने वाले विवाद के समाधान, मौजूदा नेटवर्क और प्रणाली के उन्नयन की आवश्यकता, तथा सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक क्रिया एवं उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकारियों की पारस्परिक क्रिया की निगरानी से संबंधित मुद्दों पर विचार करना और निर्णय लेना भी शामिल है।

ट्राई अधिनियम के अंतर्गत यथा अधिदेशित ट्राई के कार्यकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू बाजार संरचना और इस क्षेत्र में नए प्रचालकों की प्रविष्टि, लाइसेंस प्रदान करने का ढांचा, स्पेक्ट्रम जैसे दुर्लभ संसाधन का प्रबंधन, उपभोक्ता सुरक्षा सहित विविध विषयों पर सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करना है। इस अधिदेश के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण नीति विनियामक सिफारिशें प्रस्तुत की गईं।

1. सिफारिशें

प्राधिकरण ने वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

- क) ‘इंटरनेट सेवा और न्यूनतम अनुमानित एजीआर के प्रावधान के लिए लाइसेंस करारों में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा’ के संबंध में दिनांक 01 मई, 2014 की सिफारिशें।
- ख) ‘आईएनएमएआरएसएटी/उपग्रह फोन सेवा’ के संबंध में दिनांक 12 मई, 2014 की सिफारिशें।



- ग) 'पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी' के संबंध में दिनांक 21 जुलाई, 2014 की सिफारिशें।
- घ) 'स्पेक्ट्रम शेयरिंग से संबंधित दिशा-निर्देश' के संबंध में दिनांक 21 जुलाई, 2014 की सिफारिशें।
- ङ) 'अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने' के संबंध में दिनांक 22 जुलाई, 2014 की सिफारिशें।
- च) 'माइक्रोवेव अभिगम (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कैरियरों का आबंटन एवं मूल्य निर्धारण' के संबंध में दिनांक 29 अगस्त, 2014 की सिफारिशें।
- छ) 'वर्ष 2015-16 में समाप्त होने वाले लाइसेंसों के स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण एवं आरक्षित मूल्य' के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 की सिफारिशें।
- ज) 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण एवं आरक्षित मूल्य के संबंध में दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की सिफारिशें।

2. विनियम


प्राधिकरण ने वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित विनियम जारी किए हैं:

- क) "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमान (15वां संशोधन) विनियम, 2014" दिनांक 7 अप्रैल, 2014
- ख) "ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा गुणवत्ता (दूसरा संशोधन) विनियम 2014" दिनांक 25 जून, 2014
- ग) दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 16 जून, 2014
- घ) दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 01 जुलाई, 2014
- ङ) "वायलेस डाटा सेवा के लिए सेवा गुणवत्ता का मानक (संशोधन) विनियम, 2014" दिनांक 24 जुलाई, 2014
- च) "अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड सेवा (अभिगम प्रभार) विनियम, 2014 दिनांक 19 अगस्त, 2014
- छ) बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) एवं सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता का मानक (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 21 अगस्त, 2014
- ज) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमान (16वां संशोधन) विनियम, 2014 दिनांक 10 दिसंबर, 2014

3. दूरसंचार प्रशुल्क आदेश

प्राधिकरण ने वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित प्रशुल्क आदेश जारी किए :

- क) दूरसंचार प्रशुल्क (57वां संशोधन) आदेश, दिनांक 14 जुलाई, 2014




ख) दूरसंचार प्रशुल्क (58वां संशोधन) आदेश, दिनांक 01 अगस्त, 2014

ग) दूरसंचार प्रशुल्क (59वां संशोधन) आदेश, दिनांक 21 नवम्बर, 2014

4. अन्य कार्यकलाप

'स्मार्ट सिटी' के विकास से संबंधित सेमिनार/कार्यशाला/अध्ययन दौरा।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



5. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 में ट्राई और दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) की स्थापना का प्रावधान किया गया है ताकि दूरसंचार सेवाओं को विनियमित किया जा सके, विवादों का निर्णय किया जा सके और अपीलों का निपटान किया जा सके तथा दूरसंचार क्षेत्र और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों के क्रमिक विकास को प्रोन्नत करने और सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) का सृजन लाइसेंसप्रदाता, लाइसेंसधारक और उपभोक्ताओं के समूह के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटान करने और उस पर अधिनिर्णय देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्राई अधिनियम 1997 के तहत वर्ष 2000 में किया गया था। जनवरी 2004 में टीडीएसएटी के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करते हुए इसमें दूरसंचार क्षेत्र के अतिरिक्त प्रसारण और केबल सेवाएं भी शामिल की गईं।

टीडीएसएटी का अधिकार क्षेत्र विशिष्ट है और इसके आदेशों को केवल कानूनी बिंदुओं पर ही भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। टीडीएसएटी के अंतरिम आदेशों के विरुद्ध सांविधिक अपील नहीं की जा सकती है। टीडीएसएटी एक विशेषज्ञ निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होते हैं। (वर्तमान अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जबकि वर्तमान सदस्य दूरसंचार क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं)

टीडीएसएटी पर सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू नहीं होते हैं। इसने अपनी स्वयं की प्रक्रिया (टीडीएसएटी प्रक्रिया 2005) निर्धारित की है जो कि सरल तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। टीडीएसएटी में याचिका, अपील तथा विविध आवेदन करने के लिए कोर्ट शुल्क क्रमशः 5000/- ₹0, 10,000/- ₹0 तथा 1000/- ₹0 है।

पूरे विश्व में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विवादों को विनियामक या सामान्य न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। तथापि, भारत में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान और अधिनिर्णय हेतु टीडीएसएटी के रूप में एक विशेष संस्था मौजूद है। अतः भारत में विवाद निपटान दूरसंचार विनियामक के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

मई, 2000 में अधिकरण की स्थापना के समय से ही इस अधिकरण में मामलों की संख्या में वृद्धि होती रही है। वर्ष 2001 में टीडीएसएटी के समक्ष कुल 105 मामले (याचिका/अपील/ईए/आरए/एमए सहित) दायर किए गए, जिनकी संख्या 2010 में बढ़कर 851 हो गई। टीडीएसएटी में दिनांक 01.01.2011 से दिनांक 31.12.2011 तक कुल 911 मामले दायर किए गए थे। दिनांक 01.01.2012 से दिनांक 31.12.2012 तक कुल 1786 मामले दायर किए गए। दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 31.12.2013 के दौरान कुल 940 मामले दायर किए गए। दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 के दौरान कुल 926 मामले दायर किए गए। चालू वर्ष में अब तक कुल 26 मामले दायर किए गए हैं। मामलों का निपटान उनके दायर होने के साथ-साथ किया जाता है और त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। तथ्यों के आधार पर इसकी पुष्टि की जाती है कि इस अवधि



के दौरान दायर 8490 मामलों में से दिनांक 31.12.2014 तक 7245 मामलों का निपटान किया गया है। वर्ष 2001 से 31 दिसम्बर, 2014 तक तथा 1 जनवरी से 13 जनवरी, 2015 तक दायर किए गए, निपटान किए गए एवं लंबित मामलों का विवरण संलग्न है।


टीडीएसएटी ने अपने प्रारंभ से ही दूरसंचार के साथ-साथ प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र से संबंधित मामलों में विशिष्ट निर्णय दिए हैं।

टीडीएसएटी दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेक्टर में विवाद निवारण तंत्र तथा इन सेक्टरों में शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु अर्थोपाय का पता लगाने के बारे में उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पण धारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए देश के अलग-अलग भागों में सेमिनारों का आयोजन करता है। पूर्व वर्षों अर्थात् वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 के दौरान, अधिकरण ने श्रीनगर, पटना, जयपुर और शिमला में सेमिनार आयोजित किया था। अधिकरण ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान गंगटोक में एक सेमिनार आयोजित किया है तथा एक अन्य सेमिनार भी आयोजित करने का प्रस्ताव है। टीडीएसएटी द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों के दौरान उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों सहित विशिष्ट वक्ताओं ने टीडीएसएटी की प्रतिपादन पद्धति की सराहना की है।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के सेक्टर सदस्य के रूप में, टीडीएसएटी ने आईटीयू तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों में भाग लिया है।

टीडीएसएटी की अपनी वेबसाइट है और अधिकरण के सभी निर्णय तथा अन्य कार्यकलाप www.tdsat.nic.in पर उपलब्ध हैं।

विभिन्न पक्षों के बीच हुए विवाद के शीघ्र समाधान हेतु टीडीएसएटी ने हाल ही में एक मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया है। इस मध्यस्थता केंद्र ने दिनांक 29.07.2013 से कार्य करना आरंभ कर दिया है और यह दिनांक 13.01.2015 तक 86 मामलों का समाधान करने में सफल रहा है।



6. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा संबंधी टिप्पणियां


दिनांक 31 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लंबित पैरा की स्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	वर्ष	रिपोर्ट सं०	रिपोर्टों के पैराओं/पीएसी की सं० जिनके एटीएन लेखा परीक्षा की विधीक्षा के बाद पीएसी को प्रस्तुत किए गए हैं (अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक)	दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार सीएजी पैराओं/पीएसी रिपोर्टों** का ब्यौरा जिन पर एटीएन लंबित है।		
				उन एटीएन की सं० जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार नहीं भेजा गया था	भेजे गए एटीएन की सं० जो टिप्पणियों सहित वापस आए और लेखा परीक्षा, मंत्रालय द्वारा उनकी पुनः प्रस्तुति की प्रतीक्षा कर रही है	उन एटीएन की सं० जिनको अंतिम लेखा परीक्षा के बाद मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	1996-97	वर्ष 1998 की 6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	2002-03	वर्ष 2004 की 2	शून्य	शून्य	02	शून्य
3	2003-04	वर्ष 2005 की 2	शून्य	शून्य	01	शून्य
4	2004-05	वर्ष 2006 की 9 (एनटीआर)	शून्य	शून्य	01	शून्य
5	2006-07	वर्ष 2008 का सीए 1	शून्य	शून्य	01	शून्य
6	2009-10	2010-11# की 19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल	शून्य	शून्य	05	शून्य

- दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार विभाग के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा के कुल लंबित पैरा की सं. = 09
 - नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की 1998 की रिपोर्ट सं. 6 के पैरा सं. 5 से संबंधित 01 एटीएन को जांच संबंधी टिप्पणियों हेतु महानिदेशक लेखा परीक्षा (डाक एवं दूरसंचार) के कार्यालय में भेज दिया गया है।
 - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2010-11 की रिपोर्ट सं. 19 के पैरा सं. 3.1 से 3.3, 4.1 से 4.11 और 5.1 से 5.5 से संबंधित 03 एटीएन को जांच संबंधी टिप्पणियों हेतु महानिदेशक लेखा परीक्षा (डाक एवं दूरसंचार) के कार्यालय में भेज दिया गया है।
- दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार पीएसी रिपोर्ट के लंबित कुल पैरा = 3

**सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ) के प्रशासन पर पीएसी की 49वीं रिपोर्ट हेतु लंबित 3 पैरा। इन 03 पैरा में से, 02 पैरा का उत्तर दे दिया गया है और इन्हें जांच संबंधित टिप्पणियों हेतु महानिदेशक लेखा परीक्षा (डाक एवं दूरसंचार) के कार्यालय में भेज दिया गया है। एटीएन की अग्रिम प्रतियां प्रस्तुत की गईं।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



7. टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट)

दूरसंचार विभाग का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र सी-डॉट देश में विकसित लागत प्रभावी विस्तृत श्रृंखला और अत्याधुनिक संपूर्ण दूरसंचार समाधान की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। डायल टोन की व्यवस्था करने के एकल मिशन से शुरू करके, सी-डॉट ने अनेक क्षेत्रों जैसे उपग्रह संचार, आईएन एटीएम, डीडब्ल्यूडीएम, एनएमएस, वायरलेस ब्रॉडबैंड, जीपीओएन, एनजीएन और मोबाइल सेल्युलर प्रणालियों में संचार प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केन्द्र के स्तर तक प्रगति की है।

1. वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2014–15 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रौद्योगिकी परीक्षण, प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, जिसमें विनिर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन, भावी विक्रेताओं के समक्ष प्रदर्शन, अपेक्षित आईपीआर परिसंपत्तियों का निर्माण आदि भी शामिल है।

जिन प्रमुख प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में प्रगति की गई है उनका सार नीचे दिया गया है:-

1.1 ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी

ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी विकास में मल्टी-टेराबिट रूटर (वाणिज्यिक ग्रेड बहु-प्रणाली विकास) शामिल है। इसके साथ-साथ 70% आई एम एस के लिए साफ्टवेयर रूपांतरण पूरा किया गया और 80% एलटीई के लिए साफ्टवेयर रूपांतरण पूरा किया गया तथा प्रयोगशाला में प्रकार्यात्मक जांच की जा रही है। मल्टी-टेराबिट रूटर हार्डवेयर कार्यान्वयन प्रणाली एकीकरण एवं परीक्षण और प्रणाली विधिमान्यकरण का कार्य शुरू किया गया।

1.2 अगली पीढ़ी मोबाइल प्रौद्योगिकी

अगली पीढ़ी मोबाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यकलापों में दीर्घावधिक विकास-उन्नत (एलटीई-ए), चौथी पीढ़ी मोबाइल प्रौद्योगिकी तथा फिक्सड एवं मोबाइल उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने हेतु फिक्सड एवं मोबाइल अभिमुखी प्लेटफार्म समाविष्ट है।

इस वर्ष के दौरान निष्पादित एलटीई-ए प्रौद्योगिकी विकास कार्यकलापों में एफडीडी बैंड में फैमटो एलटीई प्रणाली के लिए प्रक्रिया शुरू करना और टीडीडी बैंड में एलटीई फैमटो के लिए विकास को पूरा किया गया। इसके साथ-साथ विभिन्न अन्य नोडों नामतः टीडीडी बैंड में आरआरएच (दूरस्थ रेडियो शीर्ष), आरआरएम (रेडियो संसाधन प्रबंधन), एसओएन (स्व-प्रचालन नेटवर्क) और ओएएम (प्रचालन एवं प्रशासकीय मॉड्यूल) को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है और इस समय उनका प्रयोगशाला परीक्षण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त ताम्र अभिगम नोड, फिक्सड लाइन प्रीपेड (एफएलपीपी) और ऑनलाइन रिचार्ज सर्वर के आईएमएस कोर के साथ समन्वित मोचन हेतु भी विकास पूरा किया गया।



1.3 कैरियर नेटवर्क परिवहन प्रौद्योगिकियां

कैरियर नेटवर्क परियात प्रौद्योगिकियों के लिए विकास की योजना उभरते हुए अनुप्रयोगों, जो डाटा केंद्रित हैं, उच्च बैंडविड्थ की मांग, सूचना के प्रवाह के लिए विशाल डाटा दर की मांग करते हैं, जिन्हें आगामी प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों के साथ विकास करने के लिए परियात/बैकहॉल मैट्रो/एकत्रीकरण और नेटवर्क तक अभिगम की आवश्यकता है, की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। किए जा रहे विकास कार्य निम्नानुसार हैं:-

क) ऑप्टिकल एकत्रीकरण और अभिगम प्रणाली (ओएएस) – डब्ल्यूडीएम पर आधारित अगली पीढ़ी की पीओएन प्रौद्योगिकी, नामतः 32जी पीओएन प्रणाली। डब्ल्यूडीएम ओएनटी और ओएलटी के लिए विकास पूरा कर लिया गया है। प्रयोगशाला में इसके एकीकरण तथा परीक्षण का कार्य प्रगति पर है।


ख) ऑप्टिकल कोर नेटवर्क (ओसीएन) – यह 100 जी डीडब्ल्यूडीएम परियात नेटवर्क प्रणाली है। 100 जी मक्सपोन्डर के साथ टर्मिनल उपकरण हेतु विकास पूरा कर लिया गया है, प्रणाली एकीकरण और 100जी मक्सपोन्डर के साथ आंशिक तौर पर लैस टीई (टर्मिनल उपकरणों) के लिए परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 40 जी मक्सपोन्डर के साथ टर्मिनल उपकरण के विकास का कार्य भी जारी है।



सी-डॉट में अनुसंधान एवं विकास कार्य

1.4 दूरसंचार सेवाएं एवं अनुप्रयोग

दूरसंचार सेवाओं और अनुप्रयोग का उद्देश्य अनुप्रयोगों, नेटवर्कों, विषय-वस्तुओं एवं विशिष्ट मूल्यवर्धित सेवाओं के अभिसरण की ओर बदलते हुए प्रौद्योगिकी रुझानों को पूरा करने वाले सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म और अनुप्रयोगों



का निर्माण करना है। इस समय निम्नलिखित सॉफ्टवेयर प्लेटफार्मों के विकास का कार्य चल रहा है:-

क) एकीकृत एनएमएस (यूएनएमएस) – यह ऐसा अभिसारित एनएमएस प्लेटफार्म है जो सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क और सेवाओं के अनुवीक्षण और प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। इससे संबंधित विभिन्न नेटवर्कों नामतः, एनएफएस, टीएसपी, आईएसपी इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनेक नेटवर्क प्रबंधन प्रकार्यों में सहायता प्रदान करने वाले व्यापक यूएनएमएस प्लेटफार्म विकास का कार्य प्रगति पर है। एनएफएस नेटवर्क के पी.ओ.सी. के लिए अलग से सॉफ्टवेयर सीरीज और अन्य ग्राहकों-टीएसपी/आईएसपी आदि के नेटवर्क में प्रायोगिक परीक्षण पूरा कर लिया गया है।

ख) ग्रामीण सेवाओं के लिए कस्टमाइज्ड मंच (सीपीआरएस) – यह उन्नत विशेषता संकेत/भाषा पहचान, नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी), इत्यादि सुविधाओं वाले ग्रामीण अनुप्रयोग का निर्माण करने के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म है। वे विशेषताएं जो लागू की जा चुकी हैं, में आधार ऑनलाइन प्रमाणन, संकेत पहचान, वीडियो कान्फ्रेसिंग इत्यादि शामिल है। इस प्लेटफार्म के लिए प्रायोगिक परीक्षण भी शुरू किया गया है।

1.5 सुरक्षित वायरलेस और वायरलाइन नेटवर्क

इस प्रौद्योगिकी स्कीम के अंतर्गत क्रियाकलापों का उद्देश्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच अंतरा और अंतरविभागीय सुरक्षित संचार नेटवर्क निर्मित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत डब्ल्यूआईपीएस (सुरक्षित वायरलेस फोन) परियोजना का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मानक बेतार प्रौद्योगिकियों जैसे 3जी, वाई फाई का उपयोग करके सुरक्षित मोबाइल बेतार नेटवर्क की स्थापना करने के लिए कोर नेटवर्क घटक, अंतिम प्रयोक्ता उपकरण का विकास करना शामिल है।

अंतिम प्रयोक्ता सुरक्षित उपकरण टेबलेट (संस्करण-2) का डिजाइन पूरा किया जा चुका है और पैकेजिंग के डिजाइन से संबंधित कार्य किया जा रहा है।

1.6 उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकी

अलग-अलग मॉड्यूलों, नामतः सेटैलाइट हब बेसबैंड सबसिस्टम, स्थलीय गेटवे सबसिस्टम के मॉड्यूलेटर/डीमॉड्यूलेटरों को तैयार कर लिया गया है। सेटैलाइट हब बेसबैंड सबसिस्टम के मॉड्यूलों के एकीकरण और परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

1.7 पूर्वोत्तर कार्यक्रम सहित विकसित प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, नई विशेषताएं, स्तरोन्नयन, अनुकूलन तथा उनके लिए प्रौद्योगिकी सहायता

इस स्कीम के तहत बदलती हुई आवश्यकताओं के लिए संवर्धन, विकास विशेषताओं में वृद्धि करने विस्तार क्षमता, मूल्य संवर्धन, अनुकूलन (कस्टमाइजेशन) से संबंधित विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनकी परिकल्पना सी-डॉट की विकसित, तैनात की गई और तैनात की जाने वाली प्रौद्योगिकियों के लिए की गई है।

बीएसएनएल के नेटवर्क में एमएएक्स-एनजी प्रौद्योगिकी के रोल-आउट के लिए, प्रौद्योगिकी विनिर्माता को विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया है और स्थल आपूर्ति कर दी गई है तथा उसकी संस्थापना का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार, एमटीएनएल नेटवर्क में एनजीएन प्रौद्योगिकी को रोल-आउट करने के लिए एनजीएन परीक्षण नेटवर्क की स्थापना की गई है और परम्परागत पीएसटीएन प्रौद्योगिकियों के 1000 लैंड कनेक्शनों को सी-डॉट एनजीएन प्रौद्योगिकी में अंतरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय मुद्दों के लिए एनओएफएन में आप्टिकल प्रौद्योगिकी जीपीओएन के लिए विनिर्माण सहायता और एनओएफएन में ब्रॉडबैंड वायरलेस प्रौद्योगिकियों




(बीबीडब्ल्यूटी), नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) की स्थापना के लिए नियमित सहयोग दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में एसडीसीएन शुरू करने के लिए क्षेत्र आधारित सहायता भी प्रदान की जा रही है।

1.8 प्रक्रिया सुधार

संगठन को सीएमएमआई परिपक्वता स्तर-5 से सफलतापूर्वक अवगत कराया गया। कार्यान्वयन और शोधन के माध्यम से उच्च परिपक्वता (सीएमएमआई स्तर-4 एवं 5) प्रक्रिया की परिभाषा को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी प्रक्रिया कार्यों (परिपक्वता स्तर 5 तक) की नियमित तौर पर आंतरिक जांच की गई।

आईपीआर, पेपर प्रस्तुतीकरण तथा प्रकाशन

बौद्धिक संपदा संपत्ति	संख्या	संबंधित परियोजना / उत्पाद	आविष्कार का विषय
दायर किए गए पेटेंट	3	डीआरएएक्स	मार्कर का प्रयोग करके संकेत आधारित मानव-मशीन इंटरफेस
		एमएलएलएन	(i) लाइन नेटवर्क के प्रबंधन के लिए संचार प्रणाली और इसकी प्रणाली (संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कनाडा) (ii) वायरलेस फॉलबैक के साथ पट्टा आधारित लाइन नेटवर्क के प्रबंधन के लिए संचार प्रणाली (संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कनाडा)
पेटेंट किए गए	2	सभी उत्पाद-एसेम्बली में रीवर्क हेतु उपकरण	बॉल ग्रिड ऐरे के लिए हीट सिंक एडेप्टर रिमूवल टूल
		एटीएम	एटीएम स्विच
प्रस्तुत किया गया डिजाइन	2	एमएएक्स-एनजी	लाइन एक्सेस गेटवे चैसिस
		जीपीओएन (तितली दमक)	यूएसबी चार्जिंग और पोर्टबल संचार उपकरण संभाल कर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
स्वीकार किया गया डिजाइन	1	जीपीओएन	केबल प्रबंधन के लिए सहायक उपकरण
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए पेपर	1	डीआरएएक्स	'ग्रामीण एप्लीकेशन प्लेटफार्म के लिए एम्बेडेड प्रणाली डिजाइन पहलुओं की व्यापक समीक्षा' से संबंधित पेपर को कम्प्यूटर विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रस्तुत किया गया (समीक्षाधीन)



2. कारोबार संवर्धन

सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2014 को मनाए गए 'सुशासन दिवस' के अवसर पर सी-डॉट ने अपनी दो नागरिक-सुविधा प्रौद्योगिकियाँ नामतः 'ज्ञानसेतु' और 'एमएएक्स-एनजी' राष्ट्र को समर्पित की। इन प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर निर्माण और उपकरण की तैनाती के लिए भारतीय इलेक्ट्रानिक निगम लिमिटेड (ईसीआईएल) को अंतरित किया गया और ये देश की आम जनता को इंटरनेट सेवाओं के लाभ प्रदान करने में आधारभूत प्रौद्योगिकियाँ सिद्ध होगी। इस अवसर पर, सी-डॉट मे मानकशाँ केन्द्र, दिल्ली में अपने वर्तमान उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जिसमें सरकार, रक्षा, निजी क्षेत्र से 125 आंगतुक सी-डॉट के स्टाल पर आए। इसमें उत्पादों का ऑन-लाइन रियल टाइम प्रदर्शन किया गया।



14 अक्टूबर, 2014 को सी-डॉट कैम्पस, नई दिल्ली में "वैश्विक मानकों के पथ पर – टी एस डी एस आई" के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई जिसका उद्घाटन माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा किया गया



माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर, 2014 को सुशासन दिवस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में सी-डॉट ज्ञानसेतु का विमोचन (दाएं) सी-डॉट एमएएक्स-एनजी एवं ज्ञानसेतु के प्रौद्योगिकी अंतरण (टीओसी) पैकेज का अनावरण (बाएं)।



सी-डॉट ने अनेक सम्मेलनों/प्रदर्शनियों नामतः तेलअवीव, इजरायल में आयोजित इजरायल नवाचार सम्मेलन, एमएक्सएलआईआईआई 2014 (मई 20–22, 2014), बेंगलूर में ईएससीआईएनए द्वारा 5वें कार्यनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स शिखर सम्मेलन 2014 (एसईएस 2014)–रक्षा एवं एयरोस्पेस (जुलाई 30–31, 2014); बेंगलूर में आयोजित डेफ्ट्रॉनिक्स–2014 (सितम्बर 23–25, 2014); मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली में आयोजित बेंगलूर डेफकॉम 2014 (नवम्बर 17–18, 2014) में भाग लिया। इन प्रदर्शनियों में अत्याधुनिक सी-डॉट प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित की गईं।

सी-डॉट ने 14 अक्तूबर, 2014 को सी-डॉट परिसर में आयोजित टीएसडीएसआई कार्यक्रम में भारत के पहले स्वदेश निर्मित टेराबिट रूटर, जो डाटा केन्द्र के लिए अगली पीढ़ी के कोर नेटवर्क हेतु सेवा प्रदाताओं की जरूरतों को पूरा करता है, को शुरू किया। माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने जीपीओएन आधारित फाइबर टू द डेस्क (एफटीटीडी) समाधान के साथ सी-डॉट टेराबिट रूटर का उदघाटन किया।




माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 14 अक्तूबर, 2014 को सी-डॉट परिसर, दिल्ली में सी-डॉट के टेराबिट रूटर और एफटीटीडी सॉल्यूशन का उदघाटन।

सी-डॉट ने दिसम्बर 14–17, 2014 के दौरान सी-डॉट परिसर, दिल्ली में उन्नत नेटवर्क और दूरसंचार प्रणाली एएनटीएस) के संबंध में आईईई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसका उदघाटन माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सी-डॉट परिसर में किया।

3. एमओयू, एनडीए, टीओटी करार

इस अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के संभावित उपक्रमों, विनिर्माताओं के साथ प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन, विनिर्माण,



अनुकूल विकास, इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के 10 करार नामतः, समझौता ज्ञापन, परियोजना करार, टीओटी पर हस्तोक्षर किए गए। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्यनीतिक साझेदार	उद्देश्य
क	समझौता ज्ञापन/परियोजना करार	
1	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल)	एनओएफएन के पैन इंडिया रोल-आउट के लिए सी-डॉट का कस्टमाइज्ड एनएमएस।
2		सर्वेक्षण रिपोर्ट विश्लेषण के लिए टेलीकम्यूनिकेशन जियो-इंटेलीजेंस सॉल्यूशन और एन ओएफएन हेतु जीपीओएन परियोजना का कार्यान्वयन।
3	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	सेना और नौसेना के लिए बीएसएनएल की एनएफएस निविदाओं की आवश्यकता
4	भारतीय इलैक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड (ईसीआईएल)	सेना और नौसेना के लिए बीएसएनएल की एनएफएस निविदाओं की आवश्यकता और एयर हैडक्वार्टर की एएफएनईटी निविदा।
5	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)	बीएसएनएल नेटवर्क में तकनीकी क्षेत्र सहायता
ख	टीओटी करार	
1	राजस्थान हाईब्रिड प्राईवेट लिमिटेड (आरएचपीएल)	सी-डॉट जीपीओएन प्रणाली
2	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	सी-डॉट लेयर-2 स्विच
3	भारतीय इलैक्ट्रॉनिकस निगम लिमिटेड (ईसीआईएल)	सी-डॉट एमएएक्सन-एनजी प्रौद्योगिकी
4		सी-डॉट स्टैकेबल टेराबिट रूटर
5		सी-डॉट ब्रॉडबैंड वायरलैस टर्मिनल

इसके अतिरिक्त 36 गैर प्रकटन करार (एडीए) पर भी हस्ताक्षर किए गए जिनमें संयुक्त विकास परियोजनाओं, आउट सोर्स की गई सामग्रियों, प्रौद्योगिकी अंतरण और निविदाओं में सहभागिता से संबंधित गोपनीय सूचना को शामिल किया गया।


— ★ ★ ★ ★ ★ —



8. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसयू)

पृष्ठ

8.1	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)	111-119
8.2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)	121-126
8.3	आईटीआई लिमिटेड	127-132
8.4	टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)	133-137
8.5	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल)	139-140
8.6	हेमीस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)	141



8.1 भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का गठन तत्कालीन दूरसंचार प्रचालन विभाग और दूरसंचार विभाग का निगमीकरण करके दिनांक 01 अक्टूबर, 2000 को किया गया। इस कंपनी ने दिल्ली एवं मुंबई को छोड़कर, देशभर में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने हेतु दूरसंचार विभाग के तत्कालीन कार्यों का अधिग्रहण किया है। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल के दक्ष कर्मचारियों की संख्या लगभग 2.29 लाख हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

भारत संचार निगम लिमिटेड प्रौद्योगिकी उन्मुख कंपनी है और यह सभी प्रकार की टेलीफोन सेवाएं यथा वायलाइन आधारित टेलीफोन सेवा, ओर जीएसएम मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इन्टरनेट, पट्टाशुदा सर्किट एवं लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करती है।

यह कंपनी 100 प्रतिशत डिजिटल नई प्रौद्योगिकी स्विचिंग नेटवर्क के कारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी रही है। बीएसएनएल का राष्ट्रव्यापी दूरसंचार नेटवर्क सभी जिला मुख्यालयों, सब-डिविजन मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों और लगभग सभी खंड मुख्यालयों को कवर करता है।

1. प्रमुख विशेषताएं

वर्ष-2014-15 के वास्तविक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1.1 वित्त वर्ष 2014-15 (दिनांक 31.12.2014 तक) के दौरान उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	मद	इकाई	वर्ष 2014-15 के लिए समझौता ज्ञापन			
			लक्ष्य (2014-15)	01.04.2014 के अनुसार स्थिति	31.12.2014 के अनुसार स्थिति	उपलब्धि
1	कुल टेलीफोन कनेक्शन	लाख	100	1131.38	983.18	(-) 148.2
1 (क)	वायर लाइन	लाख	-	184.88	169.33	(-)15.55
1 (ख)	डब्ल्यूएलएल	लाख	-	22.49	20.45	(-)2.04
1 (ग)	मोबाइल	लाख	100	924.00	793.40	(-)130.6
2	ब्रॉडबैंड (डीएसएल+एफटीटीएच+ ईवीडीओ+डब्ल्यूआईएमएएक्स)	लाख	30	99.28	99.34	0.06
3	ग्रामीण टेलीफोन	लाख	-	384.21	331.09	(-) 53.12
4	वीपीटी	संख्या	-	578,267	577,202	(-) 1,065

1.2 वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (दिनांक 30.09.2014 तक) के दौरान लाभ/हानि के आंकड़ों का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिनांक 30.09.2014 तक)*
कुल आय	27,934	27,128	27,996	14,125
कुल व्यय	36,586	34,900	34,930	17,821
निवल लाभ	(-) 8,851	(-) 7,884	(-) 7,020	(-) 3,786

नोट * आंकड़ें अनन्तिम और गैर अंकेक्षित हैं



1.3 बी.एस.एन.एल. में कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी


क) वर्ष 2014–15 के दौरान उपलब्धियां

- (i) वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान अब तक 8,73,700 सीएलआईपी (कॉलकर्ता लाइन पहचान फोन) उपकरण प्राप्त किए गए।
- (ii) कोर और अभिगम के लिए एल-1 बोलीदाता द्वारा आपूर्ति किए गए एनजीएन उपकरणों हेतु ए/टी और वी/टी (वैधता परीक्षण) का कार्य किया जा रहा है।
- (iii) चरण-1 के एनजीएन अभिगम उपकरण हेतु एल-2 बोलीदाता को खरीद आदेश और मैसर्स आईटीआई को आर क्यू कोटा जारी कर दिए गए हैं। उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना का कार्य प्रगति पर है।
- (iv) चरण-1 के एनजीएन कोर उपकरण के खरीद आदेश एल-2 बोलीदाता को जारी कर दिए गए हैं। उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना कार्य प्रगति पर है।
- (v) पहले चरण में 100 स्थलों की सी-डॉट एमएएक्स –एनजी परियोजना हेतु खरीद आदेश जारी कर दिए गए हैं।
- (vi) एमएम प्रकोष्ठ द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए जाने पर सभी सर्किलों ने वर्तमान निविदा के अंतर्गत 10, 20, 50, 100 और 200 जोड़ी आकार के 50 प्रतिशत एड-ऑन गुणवत्ता वाले जमीन के नीचे बिछाए जाने वाले केबल के प्रापण हेतु खरीद आदेश जारी कर दिए हैं। क्रेताओं द्वारा कुछ सर्किलों में नवंबर 2014 से आपूर्ति की शुरुआत कर दी गई है।
- (vii) दिनांक 12.12.2014 को 15.59 एलसीकेएम पीआईजेएफ यू/जी केबल के प्रापण के लिए नई निविदा जारी कर दी गई है।
- (viii) आईपीवी6 को लागू करने के लिए दिनांक 27.07.2014 के डब्ल्यूओ सं.आईटीपीसी/सीडीआर-प्रोजेक्ट/आईपीवी6/2012-13/58 और 59 के द्वारा खरीद आदेश जारी कर दिए गए हैं।
- (ix) सीजीएम आईटीपीसी के नियंत्रण वाले सभी चार डाटा केन्द्रों में एफटीटीएच सॉल्यूशन लगा दिए गए हैं और सीडीआर प्रणाली पर एफटीटीएच सेवा के अंतरण का कार्य प्रगति पर है।
- (x) सीडीआर प्रणाली में आई.पी.वी.6 का कार्यान्वयन और एफ.टी.टी.एच तथा पट्टाकृत सर्किटों का प्रावधान/बिलिंग।

ख) उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) प्रणाली का कार्यान्वयन

बीएसएनएल में दो चरणों अर्थात् चरण-1 प्रूफ ऑफ कांसेप्ट (पीओसी) और चरण-2। रोल आऊट में ईआरपी को कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है। ईआरपी को 7 प्रूफ ऑफ कांसेप्ट (पीओसी) सर्किलों/इकाइयों नामतः, दूरसंचार फैंक्ट्री, मुंबई, एएलटीटीसी गाजियाबाद, डब्ल्यू टीपी मुंबई, एसटीआर कर्नाटक, बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय, महाराष्ट्र में क्रियान्वित कर दिया गया था। शेष सर्किलों/यूनिटों में ईआरपी का कार्यान्वयन करने के लिए रोल आऊट चरण पहले ही शुरू किया जा चुका है। फरवरी, 2014 में एनएटीएफएम में ईआरपी कार्यान्वित कर दी गई थी।

अप्रैल-दिसंबर 2014 के दौरान 17 सर्किलों/यूनिटों नामतः गुजरात, बीबीएनडब्ल्यू टीएस सर्किल कोलकाता, एपी सर्किल, एनसीएनजीएन, सीपीएओ (आईटीआई बिल)– बैंगलोर, बीआरबीआरएआईटीटी, पंजाब, क्यू ए, एसटीपी, डब्ल्यू टीआर और निरीक्षण सर्किल (टीएंडडी), एनटीपी, चेन्नई दूरसंचार जिला, राजस्थान दूरसंचार सर्किल, तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल, केरल दूरसंचार सर्किल में ईआरपी कार्यान्वित की गई थी।



1.4 ग्रामीण टेलीफोनी

(क) सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन (वीपीटी)

- (i) बीएसएनएल ने 31.12.2014 तक 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 5,93,601 बसे हुए गांवों में से 5,77,202 गांवों में वीपीटी सुविधा प्रदान कर दी है।
- (ii) 2001 की जनगणना के अनुसार देश में बसे हुए और कवर नहीं किए गए 62,443 गांवों (अब इसे संशोधित करके 61,254 गांवों में वीपीटी का प्रावधान करने के लिए यूएसओएफ, डीओटी को अनुमोदन के लिए प्रेषित) में वीपीटी उपलब्ध कराने के लिए राजसहायता प्रदान करने हेतु फरवरी, 2009 में यूएसओएफ के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल द्वारा 51,340 वीपीटी (419 एमएचए वीपीटी सहित) प्रदान कराई गई है। जिन गांवों में यह व्यवहार्य नहीं हैं उनकी झापिंग पहले ही यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग को भेज दी गई है। शेष गांवों को 31.03.2015 तक कवर कर लिया जाएगा।



माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2015 को डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत वाराणसी में शीतला और दशाश्वमेध घाट पर वाई-फाई जोन के उद्घाटन के अवसर पर



माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2015 को डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत वाराणसी में शीतला और दशाश्वमेध घाट पर वाई-फाई जोन के उद्घाटन के अवसर पर



2. दूरसंचार फ़ैक्ट्रियां

बीएसएनएल की दूरसंचार फ़ैक्ट्रियां बीएसएनएल की आंतरिक विनिर्माण इकाईयां हैं और कोलकाता, गोपालपुर, खड़गपुर, जबलपुर, भिलाई, रिचाई तथा मुंबई में स्थित हैं। टीएफ मुंबई आईएसओ 14000:2004:18001:2007 ओएचएसएस प्रमाणित और अन्य सभी फ़ैक्ट्रियां आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित हैं। वर्तमान समय में ये फ़ैक्ट्रियां सिम कार्ड, पीएलबी, एचडीपीई टेलिकॉम डक्ट, ओएफसी उपकरण, एफडीएमएस, एसएस ड्रॉप वायर, जोड़ने वाली किट, पारगमन सुरक्षा उपकरण, एलजेयू कम स्प्लिटर, डीडीएफ, टावर और अन्य तथा लघु खंभे, सीडी कैबिनेट, सीटी बॉक्स एल जेयू इत्यादि जैसी अन्य परम्परागत सामग्री का उत्पादन कर रही हैं। निरंतर परिवर्तनशील दूरसंचार के परिदृश्य में, दूरसंचार फ़ैक्ट्रियों का यह प्रयास रहता है कि नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्य करें और बीएसएनएल को विनिर्माण के साथ-साथ सेवा सहायता संगठन के रूप में सहायता प्रदान करें।

लगभग सभी परंपरागत उत्पादों की गिरती हुई मांग, घटते हुए कार्यबल और ऑपरेटरों के मध्य प्रतियोगी वातावरण द्वारा उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बावजूद फ़ैक्ट्रियों ने बीएसएनएल फील्ड यूनिटों में चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2014 तक विभिन्न दूरसंचार सामग्रियों की जरूरतों को पूरा करने का यथासंभव प्रयास किया है।

3. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कुल 30 बीएसएनएल अधिकारियों को अप्रैल-दिसम्बर 2014 (2014-15) की अवधि के दौरान विभिन्न क्रियाकलापों के लिए विदेश में प्रतिनियुक्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- क) छ: (6) अधिकारियों को सीटीओ पीडीटी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया।
- ख) चौबीस (24) अधिकारियों को दूरसंचार के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम परिवर्तनों की प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रदर्शनियों/बैठकों/सम्मेलनों/कारोबारी यात्राओं में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।


4. प्रशिक्षण

4.1 बीएसएनएल के देशभर में 30 दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनमें तीन शीर्ष स्तर के प्रशिक्षण केन्द्र इस प्रकार हैं:-

- क) उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र (एएलटीटीसी) गाजियाबाद।
- ख) भारत रत्न भीम राव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान (बीआरबीआरएआईटीटी), जबलपुर।
- ग) राष्ट्रीय दूरसंचार वित्त एवं प्रबंधन अकादमी (एनएटीएफएम), हैदराबाद।

4.2 चालू वर्ष 2014-15 में (दिनांक 31.12.2014 तक) निम्नानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया गया:-

- क) नए भर्ती किए गए पदाधिकारियों को आरंभिक प्रशिक्षण: 1,168
- ख) कार्यकारियों/कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण: 25,686
- (ग) ई-मोड में ईपीपी के अंतर्गत कार्यकारी हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण: 4,163



4.3 बीएसएनएल-एआईसीटीई रोजगार क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस पहल के अंतर्गत एआईसीटीई द्वारा नियत 5वें, 6वें और 7वें सेमेस्टर के इंजीनियरी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 2014-15 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान एआईसीटीई द्वारा कुल 7,674 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है और सिल्वर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

4.4 प्रशिक्षण से प्राप्त राजस्व

अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 के दौरान प्रशिक्षण केंद्रों/फील्ड यूनिटों ने 67,283 विद्यार्थियों/बाहरी प्रशिक्षुओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके 16.69 करोड़ रूपए का राजस्व अर्जित करने की सूचना दी है।

4.5 नई दूरसंचार नीति (एनटीपी-2012) के अंतर्गत कौशल विकास पहल

इस स्कीम के अंतर्गत, दूरसंचार विभाग के एनटीआईपीआरआईटी की देखरेख में कौशल विकास पहल के अंतर्गत बीएसएनएल के 17 प्रमुख दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र (एएलटीटीसी), बीआरबीआरएआईटी और 15 आरटीटीसी को पंजीकृत किया गया है।

4.6 एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क)

सरकार ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षणिक अर्हता फ्रेमवर्क (एनवीईक्यूएफ) के स्थान पर राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को आरंभ किया है। बीएसएनएल ने 7 विधाओं के लिए दूरसंचार क्षेत्र में एनएसक्यूएफ के लिए 10 स्तर विकसित (एएलटीटीसी द्वारा) किए हैं और दूरसंचार विभाग/एनटीआईपीआरआईटी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं।

4.7 दूरसंचार मानक विकास सोसायटी, इंडिया (टीएसडीएसआई) की सदस्यता

दूरसंचार विभाग सरकारी श्रेणी के अंतर्गत दूरसंचार मानक विकास सोसायटी, इंडिया (टीएसडीएसआई) का सदस्य बन गया है। टीएसडीएसआई दूरसंचार विभाग की सहायता से दूरसंचार उद्योग आधारित पहल है और भारत की विशिष्ट जरूरतों के विकास/प्रोन्नयन संबंधी कार्य कर रही है।

बीएसएनएल के अधिकारियों को दूरसंचार मानक विकास सोसायटी, इंडिया (टीएसडीएसआई) के निम्नलिखित अध्ययन समूहों में सक्रिय भागीदारी के लिए नामित किया गया है:-

क) मशीन से मशीन (एम2एम) संचार समूह।

ख) कोर नेटवर्क (सीएन) अध्ययन समूह।

ग) रेडियो नेटवर्क और स्पेक्ट्रम (आरएनईएस)।

5. चुनिंदा क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विकास

5.1 विशिष्ट संघटक योजनाएं

बीएसएनएल की वार्षिक योजनाओं में (1) पूर्वोत्तर क्षेत्र और (2) जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय उपयोजना की विशिष्ट घटक योजनाओं के अंतर्गत दूरसंचार सुविधाओं की तीव्र वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

5.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के नेटवर्क की स्थिति

पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति को




निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज (वायरलाइन)	कुल क्षमता (लाइनों में) (वायरलाइन+वायरलैस)	कुल डीईएल (वायरलाइन+वायरलैस)	ब्रॉडबैंड कनेक्शन	वीपीटी (2001 की जनगणना के अनुसार)
1	असम	577	21,64,153	14,53,669	94,829	24,692
2	पूर्वोत्तर-1	199	11,31,614	7,32,684	41,022	6,852
2(क)	मेघालय	50	3,80,766	2,03,170	41,022	5290
2(ख)	मिजोरम	65	2,43,032	1,86,345		704
2(ग)	त्रिपुरा	84	5,07,817	3,43,169		858
3	पूर्वोत्तर-II	220	9,38,169	9,31,994	23,190	6,247
3(क)	अरुणाचल प्रदेश	108	3,48,559	3,67,549	23,190	2,810
3(ख)	मणिपुर	48	2,61,299	2,36,086		2,174
3(ग)	नागालैंड	64	3,28,311	33,28,359		1,263
4	सिक्किम	48	1,64,448	62,491	3,538	429
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,044	43,98,384	31,80,838	1,62,579	38,220

5.3 विकास संबंधी स्थिति

वर्ष 2014-15 की स्थिति के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	मद	लक्ष्य (2014-15)	दिनांक 01.04.2014 के अनुसार स्थिति	दिनांक 31.12.2014 के अनुसार स्थिति	उपलब्धि
1	कुल स्विचिंग क्षमता	2,83,700	42,47,660	43,98,384	1,50,724
1(क)	वायर-लाइन	-	10,36,858	10,25,506	(-) 11,352
1(ख)	डब्ल्यू एल एल	-	4,63,310	4,63,410	100
1(ग)	जी एस एम	2,83,700	27,47,492	29,09,468	1,61,976
2	कुल टेलिफोन कनेक्शन	5,11,900	32,71,071	31,80,838	(-) 90,233
2(क)	वायर-लाइन	3,000	3,33,543	3,16,255	(-) 17,288
2(ख)	डब्ल्यू एल एल	-	2,53,640	2,41,837	(-) 11,803
2(ग)	मोबाइल	5,08,900	26,83,888	26,22,746	(-) 61,142
3	ब्रॉडबैंड	59,306	1,61,502	1,62,579	1,077
4	ग्रामीण टेलिफोन	-	10,59,011	10,52,380	(-) 6,631
5	वीपीटी	1,549	38,140	38,220	80



6. जनजातीय उप-योजना

6.1 जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक योजना का एक हिस्सा है। जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के संतुलित और तीव्र विकास के लिए इन क्षेत्रों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। जनजातीय उप-योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- क) जनजातीय क्षेत्रों में मांग पर दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- ख) जनजातीय क्षेत्रों के सभी एक्सचेंजों में एनएसडी सुविधा उपलब्ध कराना और
- ग) सभी जनजातीय ग्रामों में सार्वजनिक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराना।

6.2 इस प्रकार जनजातीय क्षेत्र अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर- I, पूर्वोत्तर- II, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और पश्चिम बंगाल में हैं।

6.3 जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के तहत वर्ष 2014-15 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	मद	2014-15	
		लक्ष्य	2014-15 के दौरान उपलब्धि (दिनांक 30.09.2014 तक)
1.	वायरलाइन टेलिफोन एक्सचेंज	-	(-) 27
2.	स्विचिंग क्षमता (वायरलाइन+वायरलेस)	11,85,597	36,505
3.	डीईएल (वायरलाइन+वायरलेस)	14,46,381	(-) 2,70,984
4.	ओएफसी (आरकेएमएस)	15,47	306
5.	ब्रॉडबैंड कनेक्शन (संख्या में)	1,17,312	4,382

7. बीएसएनएल द्वारा कल्याण/सुविधाओं/खेल संबंधी कार्यकलाप

बीएसएनएल वर्ष 2014-15 के लिए बीएसएनएल के कल्याणकारी उपायों के अंतर्गत अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चला रहा है।

7.1 कल्याणकारी योजनाएं

कुछ प्रमुख कल्याणकारी स्कीमें नीचे दी गई हैं:

- क) बीएसएनएल कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति/पुस्तकें प्रदान करना।
- ख) गंभीर बीमारी अथवा गंभीर शल्य-चिकित्सा के मामले में 25,000/- रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना।



- ग) ऐसे बीएसएनएल कर्मचारी जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार को मूल वेतन सीमा का ध्यान न रखते हुए 15,000/- रूपए की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- घ) प्राकृतिक आपदा/सांप्रदायिक दंगे/आंतकी हमले इत्यादि से पीड़ित होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को 15,000/- रूपए की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ङ) चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- च) भ्रमण यात्राओं का आयोजन करने के लिए परिवहन राशि की 75% राशि की राजसहायता प्रदान करना।
- छ) प्रत्येक सर्किल/एसएसए में मनोरंजन क्लबों को सहायता अनुदान।
- ज) आरडब्ल्यूए को सहायता अनुदान प्रदान करना।
- झ) टीडब्ल्यूसीओ/टीडब्ल्यूडब्ल्यूओ को सहायता अनुदान: इस संगठन का प्रमुख कार्य/उद्देश्य कर्मचारियों के परिवार के कल्याण में वृद्धि करना है और इसके प्रमुख कार्यकलाप हैं:—
- बच्चों की देखभाल के लिए पी एण्ड टी आवासीय कॉलोनी और कार्यालयों में शिशुगृहों की स्थापना।
 - टीडब्ल्यूसीओ/टीडब्ल्यूडब्ल्यूओ को बीएसएनएल कर्मचारियों के बच्चों/पति अथवा पत्नी को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र की कम्प्यूटर सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

7.2 हॉलीडे होम

इसके कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के उपयोग हेतु देश भर में 37 हॉलीडे होम हैं।


7.3 विशेष छूट व्यवस्था

ऐसे विद्यार्थी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से निःशक्त कर्मचारियों के बच्चे हैं, छात्रवृत्ति और बुक अवार्ड प्रदान करने में अंकों में 10% की छूट दी जाती है। छात्राओं को बुक अवार्ड और छात्रवृत्ति प्रदान करने में 15% और 10% अंकों की छूट दी जाती है।

7.4 खेलकूद

बीएसएनएल वार्षिक रूप से 15 खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके अपने कर्मचारियों को विभिन्न खेलकूद कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस वर्ष खेलकूद के लिए 2 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है।

- क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को संचार क्रीडा पुरस्कार/नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
- ख) बीएसएनएल का खेलकूद बोर्ड भारत के 12 खेल संघों से संबद्ध है।
- ग) 15 अखिल भारतीय बीएसएनएल खेलकूद प्रतियोगिताएं और एक सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन करने के लिए वित्तीय और संगठनात्मक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त बीएसएनएल एक सार्वजनिक क्षेत्र खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी करता है।




8. कर्मचारियों की संख्या

दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित कर्मचारी		भूतपूर्व सैनिक	महिला कर्मचारी
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति		
कार्यकारी	47,582	7,793	2,402	141	7,853
गैर-कार्यकारी	1,81,865	33,199	9,422	417	26,307
कुल	2,29,447	40,992	11,824	558	34,160

दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक की स्थिति के अनुसार विकलांग कर्मचारियों की संख्या 556 है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —




8.2 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 28 फरवरी, 1986 को पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया तथा एमटीएनएल ने दिनांक 1 अप्रैल, 1986 को दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार नेटवर्क के नियंत्रण, प्रबंधन और प्रचालन का उत्तरदायित्व संभाला। एमटीएनएल फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवा दो महानगरों अर्थात् दिल्ली और मुंबई में और जीएसएम मोबाइल सेवा (दिल्ली सहित इसके आसपास के चार नगरों नोएडा, गुडगांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में) का प्रमुख सेवा प्रदाता है तथा मुंबई सहित मुंबई नगर निगम, नवी मुंबई निगम और थाणे नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्र भी इस कंपनी के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

इसके अतिरिक्त, एमटीएनएल पृथक गैर अनन्य लाइसेंस करार के तहत दिल्ली और मुंबई में डायल अप इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। एमटीएनएल ने वर्ष 2005 में अत्याधुनिक एडीएसएल 2 + प्रौद्योगिकी पर आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत की है। एमटीएनएल ने अगस्त 2008 में आबंटित स्पेक्ट्रम के आधार पर दिनांक 11.12.2008 को 3जी सेवाएं प्रारंभ की।

कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 800 करोड़ रुपए है। इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 630 करोड़ रुपए है जो 10/- रुपए वाले 63 करोड़ शेयरों से विभाजित है। इस समय 56.25% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास है तथा शेष 43.75% शेयर अलग-अलग निवेशकों सहित एफ.आई.आई., वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, म्यूचुअल फंडों तथा अन्य निवेशकों के पास है।





1. वास्तविक कार्य निष्पादन

एमटीएनएल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजीटल एक्सचेंजों से जुड़े उपभोक्ताओं को कम्प्यूटरीकृत प्रातः अलार्म, वॉयस मेल, स्वचालित परिवर्तित नम्बर घोषणा, कम्प्यूटरीकृत दोष बुकिंग/भुगतान प्रणाली आदि जैसी विभिन्न प्रकार की फोन प्लस सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।


वर्ष 2013-14 (दिसंबर, 14 तक) के दौरान इसकी निवल वृद्धि 1.05 लाख कनेक्शन (फिक्स्ड लाइन, डब्ल्यूएलएल जीएसएम और ब्राडबैंड सहित) हैं। इस अवधि के दौरान चूंकि कंपनी की सभी प्रकार की सेवाओं तथा गहन वित्तीय बाध्यताओं के लिए पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध थी अतः नेटवर्क संस्थापित क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। एमटीएनएल अपने सेवा क्षेत्रों में मांग किए जाने पर टेलीफोन उपलब्ध करवा रहा है।

वर्ष 2014-15 (दिसंबर 14 तक) के दौरान एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई की उपलब्धियों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मद	उपलब्धियां 2014-15 (दिसंबर 14 तक)	
		दिल्ली	मुंबई
क	स्विचिंग (हजार लाइनों में) (i) निवल लैण्डलाइन क्षमता (ii) निवल जीएसएम क्षमता (iii) निवल डब्ल्यूएलएल क्षमता	(-) 25000 0 0	0 0 0
ख	डीईएल (एलएल, डब्ल्यूएलएल, जीएसएम तथा ब्राडबैंड सहित) (i) सकल (ii) निवल	222275 46557	316164 58524
ग	पारेषण (क) एसडीएच प्रणाली (i) एसटीएम-16 (ii) एसटीएम-4 (iii) एडीएम-1/एसटीएम-1	0 0 1	2 4 42
घ	ऑप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी में)	96.45	55.01
ड.	ऑप्टिकल फाइबर केबल (फाइबर कि.मी में)	2707.218	1006.77
च	आईएसडीएन	(-)99	(-)413
छ	प्रतीक्षा सूची	0	0
झ	ब्राडबैंड उपभोक्ता	13523	-1786

2. विभिन्न सेवाएं और परियोजनाएं

जीएसएम सेवाएं/3जी सेवाएं: एमटीएनएल को वर्ष 2008 में 3जी स्पेक्ट्रम प्रदान किया गया था और दिल्ली तथा मुंबई लाइसेंस सेवा क्षेत्र के 3जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए इसने कुल 6564 करोड़ रुपए का भुगतान किया था।



3जी सेवाओं की स्थापना के लिए एमटीएनएल ने 2100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में दिल्ली और मुंबई में प्रत्येक के लिए 5 मेगाहर्ट्ज का एक कैरियर निर्धारित किया है।

3जी प्रौद्योगिकी जो 2जी सेवाओं का स्वाभाविक रूप से विकसित रूप है, न केवल स्पेक्ट्रम का बेहतर और कुशल उपयोग सुनिश्चित करती है बल्कि इसने पुट्स के माध्यम से उच्चतर स्पीड और डाटा भी उपलब्ध करवाया है और एमटीएनएल के समूचे दिल्ली और मुंबई सेवा क्षेत्र में 'जादू' के ब्राण्ड नाम से वीडियो संबंधित और समृद्ध मूल्यवर्धित 3जी सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करने में समर्थ बनाया है।

3जी प्रौद्योगिकी भारत में एक नई प्रौद्योगिकी है, एमटीएनएल ने अपने उपभोक्ताओं के बीच 3जी सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए 3जी सेवाओं तक अपने जीएसएम मोबाइल उपभोक्ताओं को अभिगम प्रदान किया है। इस कदम के उपरांत जीएसएम उपभोक्ताओं द्वारा डाटा उपयोग पर्याप्त रूप से बढ़ गया है।

3. ब्रॉडबैंड नेटवर्क

एमटीएनएल द्वारा एडीएसएल 2+ आधारित ब्राडबैंड सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस ब्राडबैंड नेटवर्क पर उच्च गति की इंटरनेट सुविधा प्रदान की जा रही है। एडीएसएल 2+ आधारित ब्राडबैंड सेवाओं के प्रारंभ होने से, एमटीएनएल ने ब्राडबैंड उपभोक्ता आधार में सकारात्मक वृद्धि को बनाए रखा है। एमटीएनएल के पास दिनांक 31.12.2014 तक की स्थिति के अनुसार इस समय लगभग 16.34 लाख पोर्टों की संस्थापित ब्राडबैंड क्षमता है और इसका उपभोक्ता आधार पर 11,83,238 लाख है।

4. फाइबर टू दि होम (एफटीटीएच)

बैंडविड्थ की लगातार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने, उपभोक्ताओं को पूर्णतः संतुष्ट करने, एवं ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए एमटीएनएल अपने नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर को तेजी से बिछा रहा है और इसका विस्तार कर रहा है तथा जीपीओएन आधारित एफटीटीएच नेटवर्क की व्यवस्था कर रहा है। यह एक केंद्रीयकृत प्रबंधन नेटवर्क डिजाइन है जो एमटीएनएल के भीतर सभी सम्भावित स्थानों को कवर करने का विश्वसनीय मार्ग प्रदान करेगा। यह डाटा एवं वीडियो एप्लीकेशनों दोनों के लिए बैंडविड्थ की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा। जीपीओएन आधारित एफटीटीएच नेटवर्क के सक्रिय नेटवर्क हिस्से की तैनाती का कार्य पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। एफटीटीएच 100 एमबीपीएस तक ब्राडबैंड, उच्चगति इंटरनेट, वायस, आईपीटीवी, वीडियो आन डिमांड एवं अन्य विषय-वस्तु आधारित सेवाएं जैसे, ई-शिक्षा, गेमिंग एवं वीडियो सर्विलान्स, विज्ञापन आदि सुविधाएं प्रदान करता है। दिसंबर, 2014 के अंत तक एमटीएनएल के पास 4943 एफटीटीएच कनेक्शन थे।

5. आईपीवी4 के स्थान पर आईपीवी6 को अपनाना

दूरसंचार विभाग ने सभी प्रमुख सेवा प्रदाताओं को अपनी कोर नेटवर्क अवसंरचना तैयार करने का निदेश दिया है, ताकि वे सभी भागों में आईपीवी6 सेवाओं को प्रदान करने में समर्थ हो सकें। आईपीवी6 को अपनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि एमटीएनएल के पास विभिन्न प्रकार की व्यवसाय श्रेणी अर्थात् ब्रॉडबैंड, वायरलैस, लीज्ड सर्किट आदि के लिए पहले से अनेक परम्परागत नेटवर्क और उपस्कर हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए, एमटीएनएल इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गंभीर प्रयास कर रहा है। एमटीएनएल ने इस दिशा में अधिक सक्रिय उपाय किए हैं और दोहरे स्टैक एमपीएलएस नेटवर्क से अपने कोर नेटवर्क (केवल आईपीवी4) को बदलने का कार्य किया तथा साथ ही अन्य उपस्करों के साथ-साथ अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क की जांच भी की है। आईपीवी6 के लिए आईएसपी पर व्यवस्थित करने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। आईपीवी6/आईपीवी4 के अनुसरण में सीपीई का प्रापण



किया जा रहा है। एमटीएनएल का ब्रॉडबैंड नेटवर्क ड्यूल् स्टैक पर बिना नेटिंग के आईपीवी6 आधारित है। आईपीवी6-आपीवी4 अंतरसक्रियता के लिए नेटिंग उपकरण का प्रापण किया जा रहा है।

6. एमटीएनएल की परिसंपत्तियों का उपयोग

एमटीएनएल अपनी परिसंपत्तियों के लाभप्रद उपयोग के द्वारा राजस्व में अधिकतम वृद्धि करने के लिए सुविचारित प्रयास कर रहा है। एमटीएनएल ने अपनी परिसंपत्तियों जैसे कि कर्मचारी आवास, कार्यालय स्थान को अन्य सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्त संगठनों/निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साझा करने के साथ-साथ कुछ अन्य पहल भी की है। वर्ष 2014-15 (सितम्बर 2014 तक) के दौरान एमटीएनएल ने आस्तियों (किराया आय, कबाड़ की बिक्री आदि सहित) के लाभप्रद उपयोग से 57.19 करोड़ रुपए अर्जित हुए हैं।

7. संयुक्त उद्यम

7.1 एमटीएनएल-एसटीपीआई आईटी सेवाएं (एमएसआईटीएस)

एमएसआईटीएस को 50 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ एमटीएनएल और एसटीपीआई के संयुक्त उद्यम के रूप में कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 31.03.2006 को निगमित किया गया था। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य डाटा केन्द्र सेवाएं, मैसजिंग सेवाएं, कारोबार अनुप्रयोग सेवाएं आदि प्रदान करना है। इसके उद्देश्यों का कार्यान्वयन करने के लिए एमएसआईटीएस ने एसटीपीआई से पट्टा आधार पर ली गई जगह पर चेन्नई में डाटा केन्द्र की भौतिक अवसंरचना स्थापित की है। डाटा केन्द्र के पास लगभग 3400 वर्ग फीट का सर्वर फार्म क्षेत्र है और इस संबंध में 477 लाख रुपए का कुल निवेश किया गया है। यह डाटा केन्द्र 24x7 आधार पर 99.98 प्रतिशत अपटाइम मेन्टेन कर रहा है। इस डाटा केन्द्र से वर्ष 2009 से वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया गया। विदेश मंत्रालय ने मैसर्स टीसीएस के माध्यम से एमएसआईटीएस डाटा केन्द्र पर पासपोर्ट सेवा परियोजना को होस्ट किया है।

7.2 यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल)


यह संयुक्त उद्यम सीडीएमए प्रौद्योगिकी के आधार पर नेपाल में दूरसंचार सेवा प्रदान कर रहा है। यूटीएल के पास 506,459 से अधिक का उपभोक्ता आधार है और इसका डाटा उपभोक्ता आधार 56,059 से अधिक है। यूटीएल के पास इंजीनियरों और वित्त व्यवसायिकों तथा अन्य सहायक स्टाफ सहित कुल 118 कार्मिक हैं। इसके अलावा 110 से अधिक व्यक्ति फाल्ट रिपेयर सेवाओं, उपभोक्ता सेवा और फोन के विपणन, सुरक्षा और अभियान के लिए आऊटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। इसका प्रबंधन अपने नेटवर्क, सेवा गुणवत्ता, उपभोक्ता शिकायतें, दोष दरो, बीटीएस-वार (परियात) और आईएलडी (परियात) के समग्र निष्पादन की गहन निगरानी करता है। कंपनी अपने प्रचालन खर्चों को आंतरिक राजस्व अर्जित कर के पूरा करती है। आज की तिथि के अनुसार एमटीएनएल की यूटीएल में 22.06 प्रतिशत इक्विटी शेयर धारिता है।

7.3 मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड

यह एमटीएनएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत फरवरी, 2000 में निगमित की गई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। एमटीएल द्वारा प्रस्तुत की जा रही सेवाएं निम्नानुसार हैं-

क. टेलीकॉम कंसलटेंसी और इंजिनियरी अर्थात आउटडोर प्लांट, ऑप्टिकल फाइबर बिछाना आदि।

ख. आईटी कंसलटेंसी और परियोजना प्रबंधन कार्यान्वयन।



8. सहायक कंपनियां

महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल)

एमटीएमएल एमटीएनएल की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस कंपनी को मोबाइल सेवाओं, अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं को प्रदान करने का लाइसेंस प्राप्त है। एमटीएमएल का उपभोक्ता आधार पिछले वर्ष के 191,262 से बढ़कर 231,644 (दिसम्बर 2014 तक) हो चुका है। जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का बाजार शेयर लगभग 17 प्रतिशत हो चुका है कंपनी का राजस्व भी पर्याप्त रूप से बढ़ रहा है।

एमटीएनएल ने पहले ही पिछले राजकोषीय वर्ष की इसी अवधि में आईएनआर 580 मिलियन की तुलना में प्रति दिसंबर 2014 तक अनुमानतः आईएनआर 720 मिलियन का सकल राजस्व अर्जित किया है, इस प्रकार अभी तक 27% के लगभग की वृद्धि दर्ज की है। अत्यधिक स्पर्धा तथा सीमित बाजार संभावना के बावजूद डिजाइन विशेष पैकेजों तथा सेवाओं में केन्द्रित प्रयासों से कंपनी अपने राजस्व की वृद्धि कर सकी है। वर्ष 2015 में, कंपनी उच्च गति डाटा सेवाओं के लिए अपने नेटवर्क का उन्नयन करने की योजना बना रही है और कुछ चयनित क्षेत्रों में एलटीई (4जी) सेवा प्रारंभ करेगी।

कंपनी द्वारा सभी खर्चों को अपने अंतरिक संसाधनों से वहन किया जाता है तथा उपकरणों के प्रापण हेतु कैपेक्स को भी वहन किया जा रहा है। कंपनी पर कोई ऋण देनदारी नहीं है।

कंपनी का प्रबंधन सीईओ, सीटीओ, एीएफओ तथा 10 अन्य अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है सभी अपनी मूल कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर है। अन्य प्रचालनों का प्रबंधन बाह्य स्रोतों के माध्यम से किया जा रहा है।

9. प्रौद्योगिकी के संबंध में पूंजीगत व्यय

वर्ष 2014-15 के (दिसम्बर 2014 तक) दौरान एमटीएनएल ने पूंजीगत व्यय पर 139.16 करोड़ रुपए की धनराशि (अंतिम) खर्च की है। यह मुख्यतः अन्य संसाधनों (दीर्घावधिक ऋण) का सृजन करने के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

10. जनशक्ति

दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 34391 कर्मचारी कार्य कर रहे थे। अनुसूचित जाति से संबंधित कर्मचारियों की संख्या 6281 है जो कुल कर्मचारियों का 18.26 प्रतिशत होता है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों की कुल संख्या 1227 है जो कुल कर्मचारियों का 3.57 प्रतिशत होता है।

जनशक्ति का विवरण

समूह	कुल कार्यरत क्षमता	अनु.जा.	अनु.जन.जा.	महिला	निशक्त व्यक्ति
क	916	145	58	63	1
ख	3835	512	86	600	15
ग	20390	3397	347	6114	123
घ	9232	2227	736	1071	21
टीएसएम	18				
कुल	34391	6281	1227	7848	160



एमटीएनएल ने भारत सरकार के नियमों के अनुसार अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य.पिछड़ा.वर्ग समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने के संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है और विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों की भर्ती के नियम भी बनाए गए हैं। ये एमटीएनएल द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में से एक कदम है और इन समुदायों को हमारे समाज के सम्मानित स्थिति प्रदान करने के कुछ अन्य नई स्कीमें तैयार की जा रही है।

11. वित्तीय निष्पादन


एमटीएनएल का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए में)

मद	2012-13	2013-14	2014-15 (सितम्बर 2014 तक)
सेवाओं से आय	3496.43	3475.66	1706.74
अन्य आय	286.69	396.49	104.90
कुल आय	3783.12	3872.15	1811.64
खर्च	9086.45	6959.60	3423.60
पीबीटी	(5303.33)	8533.25	-1611.96
निवल लाभ	(5322.03)	7820.72	-1567.46

अन्य प्रचालकों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद एमटीएनएल ने पिछले वर्ष (सितंबर 2013) के **1882.23 करोड़ रुपए** के कुल कारोबार की तुलना में वर्ष 2014-15 (सितंबर 2014) के दौरान 1811.64 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय कारोबार किया है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



8.3 आईटीआई लिमिटेड

प्रारंभ

आईटीआई को 1948 में देश की दूरसंचार आवश्यकताओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। कम्पनी को बेंगलोर (कर्नाटक) में स्थापित किया गया था जिसमें भारत सरकार की अधिकांश इक्विटी हिस्सेदारी थी। आईटीआई का कारपोरेट एवं पंजीकृत कार्यालय दूरवाणीनगर बेंगलोर-560016 में स्थित है। कंपनी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत मध्यम और हल्के इंजीनियरी क्षेत्र में अनुसूची "क" सीपीएआई है।

दूरसंचार नेटवर्क की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरी करने हेतु तथा स्थानीय जनता को रोजगार प्रदान करते हुए पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, आईटीआई ने लंबी समयवधि से, अपने विनिर्माण आधारों का जम्मू एवं कश्मीर (श्रीनगर में एक इकाई), उत्तर प्रदेश (नैनी, रायबरेली और मनकापुर) और केरल [पालाक्कड़] में विस्तार किया है। आईटीआई ने देशभर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों कर्मचारियों को अजीविका प्रदान किए हैं। इसके सभी संयंत्र आईएसओ 9001-2000 मानकों से प्रत्यायित हैं।

इन विनिर्माण संयंत्रों के अलावा, आईटीआई के पास संस्थापन तथा रख-रखाव सहायता क्रियाकलापों को शामिल करते हुए टर्नकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक समर्पित नेटवर्क प्रणाली ईकाई (एनएसयू) है। इसके पास देश भर में सेवा इकाईयां हैं तथा बेंगलोर में मुख्यालय है। इसने बीएसएनएल, एमटीएनएल, तथा राज्य और केन्द्र सरकार की अनेक प्रमुख परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। आईटीआई ने पिछले दशक में अनेक बार देश के सर्वोत्तम टर्नकी समाधान प्रदाता का पुरस्कार प्राप्त किया है।

कंपनी ने वर्ष 2002-03 से हानि उठाना प्रारंभ किया जिसे बीआईएफआर को सौंपा गया था एवं 2004 में रूग्ण घोषित किया गया।

आईटीआई की पुनरुत्थान योजना को 4156.79 करोड़ रु के वित्तीय पैकेज से आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने फरवरी 2014 में अनुमोदित किया था। वित्तीय पैकेज में पुनरुत्थान योजना के भाग के तौर पर अनेक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूंजी निवेश हेतु 2264 करोड़ रु के रूप में इक्विटी शामिल है तथा शेष राशि देयताओं के निपटान के लिए सहायता-अनुदान के रूप में है। केन्द्रीय बजट 2014-15 में, सरकार ने कंपनी को प्रथम चरण संवितरण के रूप में 460 करोड़ रु अनुमोदित किए हैं। निवेश से यह आशा की गई है कि कंपनी के पास वैश्विक मानकों वाली विनिर्माण अवसंरचना होगी और इसलिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धात्मक बन पाएगी।

सरकार की वर्तमान पहल जैसे "मेक इन इंडिया", डिजिटल इंडिया, "अधिमान्य बाजार अभिगम नीति" आदि से आशा है कि इनसे विनिर्माण में नई प्रौद्योगिकियों के आमेलन के प्रस्ताव के लिए आईटीआई को प्रोत्साहन मिलेगा तथा कंपनी को इनसे सहायता मिलेगी।

मिशन

दूरसंचार तथा सेवा परियोजनाओं के क्षेत्र में उच्च समाधान प्रदाता की स्थिति को पुनः प्राप्त करना।



परिकल्पना

इंजीनियरी, डिजाईन, विनिर्माण और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इलैक्ट्रानिक उपकरण की आपूर्ति, संपूर्ण दूरसंचार समाधान एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं में अग्रणी स्थिति का पुन(कोलन) दावा करना।

1. मुख्य कार्य—निष्पादन घटक

1.1 वर्ष 2014–15 (अर्ध वार्षिक)

कंपनी के पास वर्ष 2014–15 के लिए 1500 करोड़ रुपए (बिक्री) के समझौता ज्ञापन का लक्ष्य है। इस समझौता ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में कंपनी ने वर्ष के दौरान सितम्बर 2014 तक (अर्ध-वार्षिक) 214 करोड़ रुपए की हानि सहित 240.00 करोड़ रुपए (उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर सहित) बिक्री का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

1.2 पूंजीगत अवसंरचना

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 700 करोड़ रुपए थी। इस तारीख को प्रदत्त शेयर पूंजी 588 करोड़ रुपए (10/- रुपए प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर के रूप में 288 करोड़ रुपए और 100/- रुपए प्रति शेयर वाले अधिमानी शेयर के रूप में 300 करोड़ रुपए) थी। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में केन्द्र सरकार का शेयर प्रतिशत 89.89 प्रतिशत है।

1.3 वित्तीय विशिष्टताएं


विवरण	वर्ष के दौरान कार्य—निष्पादन (करोड़ रुपए में)		
	2014-15 (सितम्बर 14 तक)	2013-14	2012-13
1. टर्नओवर एवं अन्य आय	255	810	955
2. व्यय	469	1154	1137*
3. निवल लाभ/हानि	-214	-344	-182

टिप्पणी: *130 करोड़ रुपए की असाधारण आय और पूर्ववर्ती अवधि की 47 करोड़ रुपए की आय का निवल टर्न ओवर में उत्पाद शुल्क और सेवा कर सम्मिलित हैं।

2. क्रियान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं/उत्पाद

2.1 अगली पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन)

अगली पीढ़ी नेटवर्क एक सॉफ्ट स्विच दूरसंचार नेटवर्क है जो पैकेटो में सेवाओं, अर्थात् वॉयस, डाटा और विडियो को प्रस्तुत करने में सर्मथ है। आईपी टैक्स उपकरण—श्रेणी IV, ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज तथा श्रेणी V, स्थानीय एक्सचेंज, जो सॉफ्ट स्विच वास्तुशिल्प पर आधारित है, के विनिर्माण की योजना है। बीएसएनएल तथा एमटीएनएल की ग्राहको को नई सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने टीडीएम स्विचों को एनजीएन में अंतरित करने की योजना है, जो एनजीएन बाजार को प्रोत्साहित करेगा।



2.2 राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (एनपीआर) एवं सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) परियोजनाएं

गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आईटीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों (मैसर्स बीईएल एवं मैसर्स ईसीआईएल सार्वजनिक क्षेत्र के दो अन्य उपक्रम हैं) के संघ में शामिल है। इस कार्य में क्रियान्वयन के अंतर्गत चल रहे बायोमैट्रिक सहित नागरिक आंकड़े एकत्रित करना शामिल है। उपर्युक्त संघ ग्रामीण विकास मंत्रालय की एसईसीसी परियोजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है।

2.3 मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क्स (एमएलएलएन)

आईटीआई ने एक प्रौद्योगिकी भागीदार के तकनीकी सहयोग से बीएसएनएल के लिए देश भर में एमएलएलएन नेटवर्क का सफलतापूर्वक रॉलआउट किया है। हाल ही में, आईटीआई को बीएसएनएल से एक विस्तारण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

2.4 जीएसएम

आईटीआई बीएसएनएल पश्चिम क्षेत्र में तथा एमटीएनएल मुंबई में मैसर्स एल्काटेल लूसेंट के प्रौद्योगिकी सहयोग से और दक्षिण क्षेत्र में मैसर्स हुवई के प्रौद्योगिकी सहयोग से जीएसएम परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

2.5 रक्षा परियोजनाएं

आईटीआई, रक्षा नेटवर्कों में सुरक्षित संचार के लिए एनक्रिप्शन इक्विपमेंट की आपूर्ति करने में अग्रणी है। आईटीआई ने रक्षा सेक्टर को टेलीफोन, अपरिष्कृत टेलीफोन एक्सचेंज, संचार उपस्कर, वीसैट आदि जैसे दूरसंचार उपस्करों की आपूर्ति की है। आईटीआई ने एस्कॉन परियोजना (चरण-I, II एवं III) के कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है।

2.6 सौर परियोजना

आईटीआई के पास अपने नैनी संयंत्र में सौर समाधानों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभवी व्यक्ति हैं। आईटीआई बीएसएनएल के साथ-साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सौर परियोजनाओं को क्रियान्वित कर चुका है। बीएसएनएल तथा अन्य सेवा प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर जहां विद्युत आपूर्ति की स्थिति अच्छी नहीं है वहां पर सौर ऊर्जा सहित जीएसएम दूरसंचार बीटीएस स्थलों को उन्नयन करने की योजना बना रहे हैं।

2.7 डाटा केन्द्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

आईटीआई बेंगलूर में पीपीपी मॉडल पर 3 + स्तरीय (टीयर) अद्यतन विशेषज्ञता युक्त डाटा केन्द्र की स्थापना कर चुका है। इस समय यह डाटा केन्द्र को-लोकेशन सेवाओं के लिए पूर्णतः आरक्षित है। आईटीआई सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी मुख्य भूमिका निभा रहा है। सभी राज्य सरकारें सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ ग्राम पंचायतों को पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के अनुसार कार्य कर रही हैं। आईटीआई इस मार्केट सेगमेंट को जोर-शोर से आगे बढ़ा रहा है। आईटीआई ने महाराष्ट्र, ओडिशा और मिज़ोरम की स्वान (स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) परियोजना का निष्पादन किया है। यह तमिलनाडु राज्य के त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) का निष्पादन भी कर रहा है।

3. भावी दृष्टिकोण

3.1 रक्षा परियोजनाएं

आईटीआई अपने व्यवसाय के लिए रक्षा बाजार को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहा है। रक्षा उपकरणों



के घरेलू विनिर्माण के प्रति अत्यधिक रुझान के साथ, आईटीआई का रक्षा के लिए नए उत्पादों जैसे, सॉफ्टवेयर डिफाईन्ड रेडियो (एसडीआर), उच्च फ्रीक्वेंसी रेडियो हैंडसेट, रडार के लिए टीआर मोडयूल्स, सेना विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (एडब्ल्यूएन चरण- 11) के लिए इलेक्ट्रॉनिक यूज, उपकरण आदि का विनिर्माण करने का प्रस्ताव है।

रक्षा मंत्रालय ने आईटीआई में डीआरडीओ डिजाइन उत्पादों के विनिर्माण को शुरू करने हेतु आईटीआई के बेंगलूर तथा रायबरेली संयंत्र में महत्वपूर्ण व्यवसायिक इकाइयों (एसबीयू) की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक रूप में मंजूरी दे दी थी। एसबीयू के गठन का उद्देश्य आईटीआई में महत्वपूर्ण रणनीतिक नेटवर्क के उत्पादन तथा डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए संचार घंटक, मोडयूल्स, सिस्टम्स डिजाइन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अन्य प्रमुख परियोजनाएं जिन्हें कि भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया है वे एएससीओएन चरण IV तथा रणक्षेत्र प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) हैं। एएससीओएन परियोजना के पूर्व तीन चरणों को आईटीआई द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है और आर.टी.आई. उपर्युक्त परियोजनाओं हेतु भी आदेश प्राप्त करने के लिए आशान्वित है।

3.2 सौर परियोजना

भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय जोखिमों से निजात पाने और बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को कार्यान्वित करने हेतु विशेष महत्व दिया जा रहा है। आईटीआई के पास, सौर समाधान के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित विशेषज्ञ और अनुभव है और यह अपने नैनी संयंत्र में सौर पैनल विनिर्माण अवसरचना के संवर्धन की योजना बना रहा है तथा इसकी अपने श्रीनगर संयंत्र में एक और विनिर्माण सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

3.3 मुख्य दूरसंचार उत्पाद


आईटीआई दूरसंचार बाजार जैसे जीएसएम, अगली पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन), दीर्घावधि मूल्यांकन (एलटीई), तथा व्यवस्थित लीज्ड लाइन नेटवर्क (एपएलएलएन) आदि की ओर अग्रसर है। एलटीई प्रौद्योगिकी के मोबाइल संचार में भावी प्रौद्योगिकी होने की संभावना है। आईटीआई की प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ सहयोग करार में शामिल होने के द्वारा इन उत्पादों के विनिर्माण को शुरू करने की योजना है।

3.4 एनएफएस जैसी दूरसंचार परियोजनाएं

सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं जैसे स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क (एनएफएस) के लिए कई प्रकार के दूरसंचार उपकरणों जैसे डीडब्ल्यूडीएम, कैरियर ईथरनेट, रेडियो सैटेलाइट उपकरण आदि की विशाल मात्रा में आवश्यकता होती है। आईटीआई की इन उत्पादों का उपयुक्त प्रौद्योगिकी सहयोग के साथ विनिर्माण करने की योजना है एनएफएस परियोजना के तहत ऑप्टिकल केबल बिछाने के लिए बीएसएनएल द्वारा जारी की गई निविदा में, आईटीआई दो (सात में से) अंचलो में एल 1 था तथा इन दोनों अंचलों में फाइबर नेटवर्क बिछाने के लिए बीएसएनएल द्वारा 21111 करोड़ रु (एएमसी के सिवाय) का क्रय आदेश प्राप्त किया गया था।

3.5 एलईडी लाइटनिंग

एलईडी लाइटनिंग पारे का प्रयोग नहीं होने के कारण पर्यावरणीय अनुकूल है। इस उत्पाद के लिए बाजार संभावना बहुत अच्छी है। आईटीआई इस बाजार में कारोबार करने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,



राज्य सरकार और नगर निगम, सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी, रेलवे, होटलो तथा अस्पताल उद्योग से व्यवसाय अवसरों के प्राप्त होने की अधिक संभावना है।

3.6 डाटा केन्द्र

डाटा केन्द्र के बाजार में मौजूदा विशाल गुजाइश विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र में ध्यान रखते हुए, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं जैसे एनपीआर, यूआईडीएआई और सरकारी अभिकरणों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा परिकल्पित अन्य परियोजनाओं/स्कीमों के लिए डाटा संचय हेतु आईटीआई अपने डाटा केन्द्र की स्थापना की योजना बना रहा है।

3.7 नागरिक पहचान पत्रों का विनिर्माण

एनपीआर परियोजना के विस्तार के रूप में जिसे आईटीआई द्वारा भागीदार संघ के रूप में बीईएल तथा ईसीआईएल द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, आईटीआई देश में सभी नागरिकों के लिए नागरिक पहचाल पत्र आधारित स्मार्ट कार्ड विनिर्माण के बड़े अवसर की ओर अग्रसर है। आईटीआई के पास पहले ही पल्लकड संयंत्र में स्मार्ट कार्ड विनिर्माण सुविधा उपलब्ध है। इससे नागरिक पहचान पत्र के विनिर्माण में भी संबंधन होगा।

3.8 ली-लॉन बैटरियो का विनिर्माण

उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक के सभी क्षेत्रों जैसे पीसी, मोबाइल फोनो, टेबलेट पी.सी. आदि में ली-लॉन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उच्च घनत्व बैक-अप पावर समाधान सावित हो चुका है। ये अन्य अनुप्रयोगों जैसे पावरिंग जीएसएम टॉवरों में पैठ बना रहे हैं। आईटीआई अपने पुराने संयंत्रों में ली-लॉन बैटरियों के प्रयोग की योजना बना रहा है।

4. मानव संसाधन विकास

दिनांक 30 सितम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार जन-शक्ति संख्या का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:-

समूह	कुल कार्यरत संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	निःशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)
अधिकारी	3406	523	42	349	37
गैर-अधिकारी	3298	560	23	229	56
कुल	6704	1083	65	578	93

कम्पनी ने दिनांक 30.09.2014 की स्थिति के अनुसार लगभग 6704 कर्मचारियों (कार्यपालक-3406 तथा गैर-कार्यपालक-3298) को नियोजित किया। कर्मचारियों के लगभग 12.22% के पास इंजीनियरी, वित्त, मानव संसाधन तथा चिकित्सा में व्यवसायिक अर्हता थी, लगभग 11.4% स्नातक और स्नाकोत्तर थे, 16.71% डिप्लोमा धारक और 37.86 प्रतिशत ट्रेड प्रमाण-पत्र धारक थे तथा 21.81% अन्य प्रमाण-पत्र धारक थे जिनमें से लगभग 77% के 51 या उससे अधिक आयु के अन्तर्गत थे।

वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति स्कीम लागू नहीं थी।



4.1 अनु.जा/अ.ज.जा. कर्मचारियों के लिए स्कीम

- क) आवेदन/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट।
- ख) भर्ती में 5 वर्षों की छूट।
- ग) अर्हक अकों में रियायत।
- घ) राष्ट्रपति जी के निर्देशों के अनुसार भर्ती तथा पदोन्नती में आरक्षण।
- ड.) अपनी बारी से पहले क्वार्टर का आबंटन।

5. औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध काफी सौहार्दपूर्ण थे। कार्मिक संघ और अधिकारी संघ ने कंपनी के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु कार्य प्रगति सुनिश्चित करने में सहयोग एवं समर्थन दिया था।

6. राजभाषा

प्रत्येक इकाई/कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा निगरानी करने हेतु राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए और अधिक प्रयास करने हेतु अपने संबंधित कार्यालयों में जांच बिन्दु बनाए गए हैं।


7. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने सभी नागरिकों को लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। अधिनियम के प्रारंभ होने से, अधिनियम के तहत कारपोरेट कार्यालय/ईकायों द्वारा प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है। ईकाई तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में पीआईओ/एपआईओ सहित सीपीआईओ और कारपोरेट कार्यालयों में पारदर्शिता अधिकारी की व्यवस्था की गई है।

8. पर्यावरण पहल

आईटीआई की सभी ईकाइयों में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा इसे शामिल करने के कार्य में सफलता दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह आईएसओ-9001:2000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप है। आईएसओ 14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है।





8.4 टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

1. कंपनी प्रोफाइल

टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की स्थापना, नेतृत्व बनाए रखने और सतत आधार पर अद्यतन प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने हेतु समुचित विपणन कार्यनीतियाँ विकसित करके विदेशी एवं घरेलू बाजारों में अपने प्रचालनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ, दिनांक 10.03.1978 को की गई थी। इसका लक्ष्य ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया कंवर्जेंट सर्विस नेटवर्क पर ध्यान केन्द्रित करके लीगेसी नेटवर्क का उन्नयन करना और साइबर पार्क/साइबर शहरों में विविधता लाना, टीसीआईएल की निपुण तकनीकी जनशक्ति का उपयोग करते हुए दूरसंचार बिलिंग ग्राहक सुविधा मूल्यवर्धित सेवाओं; ई-गवर्नेंस नेटवर्क और दूरसंचार क्षेत्रों में सिस्टम्स इंटीग्रेटर के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में प्रवेश करना, विदेशों में दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण अवसंरचना को विकसित करना और विभिन्न राज्यों में स्वान परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी करना है।

टीसीआईएल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्शी सेवा क्षेत्र में, भारत सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाला, अनुसूची-क का एक मिनीरत्न, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। इसका पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में है।

परिकल्पना/उद्देश्य

कंपनी की परिकल्पना "प्रौद्योगिकी" क्षेत्र में बेहतर अवसरों के माध्यम से विश्वभर में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विद्युत और अवसंरचना के क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए की गई है।

कंपनी का उद्देश्य विश्वभर में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र में टर्नकी आधार पर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए अग्रणी बने रहना और विशेषकर, उच्च तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करके इनमें विविधता लाना है।

2. औद्योगिक/कारोबार प्रचालन

टीसीआईएल भारत और विदेशों में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में टर्नकी परियोजनाएं चला रहा है। कंपनी की कोर क्षमता कोर एवं एक्सेस नेटवर्क परियोजनाओं, दूरसंचार सॉफ्टवेयर, स्विचिंग एवं पारेषण प्रणालियों, सेलुलर सेवाओं, ग्रामीण दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर आधारित बैकबोन पारेषण प्रणाली, आईटी एवं नेटवर्किंग समाधान, साइबर शहरों, दूरसंचार परिसरों आदि हेतु ई-गवर्नेंस, सिविल एवं वास्तुकला संबंधी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में है। कंपनी ने वास्तुकला परामर्शी और सिविल विनिर्माण क्षेत्र में भी प्रवेश किया है।



कंपनी अपनी 6 शाखाओं के माध्यम से प्रचालन करती है। इसके इंटेलेजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लि., भारती हैक्सकॉम लि., यूनाइटेड टेलीकॉम लि., और टीसीआईएल बैलसाउथ लि. 4 संयुक्त उद्यम भी हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी की 4 सहायक कंपनियां नामतः टीसीआईएल ओमान एलएलसी, तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशंस लि., टीसीआईएल बीना टोल रोड लि. (टीबीटीआरएल) और टीसीआईएल लाखनाडोन टोल रोड लिमिटेड भी हैं। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी का वास्तविक कार्य-निष्पादन अर्थात् अन्य आय को छोड़कर टर्नओवर का विवरण नीचे दिया गया है:-

रु0 करोड़ में

मुख्य सेवाएं/ भाग	इकाई	2013-14	2012-13	2011-12
दूरसंचार	रु0 करोड़ में	528.95	489.27	470.67
सिविल	रु0 करोड़ में	271.13	192.78	182.87
कुल	रु0 करोड़ में	800.08	682.05	653.54

3. कार्यनीतिक मुद्दे

कंपनी ने डब्ल्यूएलएल, फाइबर टू द होम, साइबर पार्क, साइबर सिटी, ई-मेडिसिन, ई-शिक्षा और सिविल निर्माण कारोबार जैसे उच्च तकनीकी क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार किया है।

4. निष्पादन विशेषताएं

वैश्विक मंदी के बावजूद, टीसीआईएल ने दृढ़ निश्चय के साथ नई चुनौतियों का सामना किया और अपने संपूर्ण कार्य-निष्पादन को बनाए रखा तथा 816.52 करोड़ रु0 (अन्य आय सहित) का कारोबार किया। पिछले वर्ष कर पूर्व एकल आधार पर (स्टैंडअलोन) लाभ 19.87 करोड़ रु0 था जो बढ़कर 20.03 करोड़ रु0 हो गया है।


5. मानव संसाधन प्रबंधन

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार उद्यम के पास 899 नियमित कर्मचारी कार्यरत थे। कंपनी में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। पिछले 3 वर्षों के दौरान श्रेणी-वार नियुक्ति की स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	2013-14	2012-13	2011-12
कार्यपालक	416	428	412
गैर-कार्यपालक	483	488	503
कुल कर्मचारी	899	916	915

6. अप्रैल-दिसंबर, 2014 के दौरान उपलब्धियां, कार्यकलाप और कार्य-निष्पादन

दिसंबर, 2014 तक कंपनी ने 3957.21 करोड़ रु0 से अधिक मूल्य के आदेश प्राप्त किए हैं। इस अवधि के दौरान



प्राप्त किए गए मुख्य आदेश निम्नानुसार हैं:

- क) बीएसएनएल से पैकेज 'सी' के संबंध में ऑप्टिकल फाइबर केबल के प्रापण, आपूर्ति, गड्डे खोदने, तार बिछाने, संस्थापन, परीक्षण एवं रखरखाव करने के कार्य, विशिष्ट ऑप्टिकल एनएलडी बैकबोन के निर्माण हेतु पीएलबी नलिका (डक्ट) और सहायक उपकरणों तथा रक्षा नेटवर्क के लिए टर्नकी आधार पर ऑप्टिकल अभिगम मार्गों के लिए 2060.57 करोड़ ₹0 के मूल्य का आदेश दिया गया।
- ख) चार क्लस्टरों (उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण) के लिए ग्रामीण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधानों हेतु हार्डवेयर, परिधीय उपकरणों, प्रचालन प्रणाली और कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु डाक विभाग को 1361.00 करोड़ ₹0 के मूल्यों का आदेश दिया गया।
- ग) मुबारक अल-कबीर और अहमदी गवरमरेट्स में दूरसंचार नेटवर्क के प्रापण, संस्थापन और रखरखाव करने तथा कुवैत में एफओसी कार्यों के लिए 108.29 करोड़ ₹0 के मूल्य का आदेश दिया गया।
- घ) ओमान सल्तनत में आउटसाइड प्लांट नेटवर्क के प्रापण, संस्थापन, एकीकरण, परीक्षण एवं इसका प्रारंभ करने के लिए 101.47 करोड़ ₹0 के मूल्य का आदेश दिया गया।
- ड.) एमओसी के लिए फरवानिया और जोहरा गवरमरेट्स में दूरसंचार नेटवर्क के प्रापण, संस्थापन और रखरखाव तथा कुवैत में एफओसी एवं यूटीपी कार्य के लिए 93.19 करोड़ ₹0 के मूल्य का आदेश दिया गया।
- च) ओखला, नई दिल्ली में ईएसआईसी अस्पताल का नवीनीकरण एवं विस्तार करने के लिए 66.15 करोड़ ₹0 के मूल्य का आदेश दिया गया।
- छ) मोबाइली एटीसाड एटीसलाट कंपनी, सउदी अरब से ओडीबी का ओएंडएम, उन्नयन तथा पैचिंग करने और डिजाइन एवं कार्यान्वयन करने के लिए 44.28 करोड़ ₹0 के मूल्य का आदेश दिया गया।
- ज) एरिक्सन, एनएसएन, नोकिया सीमेंस सऊदी और अन्य ग्राहकों से केएसए में जनशक्ति आपूर्ति एवं अन्य कार्यों हेतु 20.16 करोड़ ₹0 के मूल्य का आदेश दिया गया।
- झ) लखनऊ, उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के लिए 15.00 करोड़ ₹0 के मूल्य का आदेश दिया गया।
- ञ) नेपाल में ओएफसी यूजी नेटवर्क के स्थानीय साधनों की आपूर्ति, ओएफसी सेवाओं, एएमसी के लिए 10.41 करोड़ ₹0 के मूल्य का आदेश दिया गया।
- ट) पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ से गाजियाबाद शहर हेतु जीआईएस और जीपीएस उपस्कर तथा व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने के लिए 6.60 करोड़ ₹0 के मूल्य का आदेश दिया गया।
- ठ) (फैहा) नुज़हा में ओडीएफ के ओएफसी कार्य, आपूर्ति, संस्थापन एवं समापन करने, (दैया) नुज़हा के एनबीके में ओडीएफ की आपूर्ति, संस्थापन एवं समापन करने, सबहियाह के एनबीके में ओडीएफ के यूटीएफ कार्य, आपूर्ति, संस्थापन एवं समापन करने, कुवैत में शमिया के एनबीके की आपूर्ति, संस्थापन एवं समापन करने के लिए 5.92 करोड़ ₹0 के मूल्य का आदेश दिया गया।



दिसंबर, 2014 तक टीसीआईएल/समूह का अनंतिम वित्तीय कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

रु० करोड़ में

	दिसंबर 2014 तक
टर्नओवर – टीसीआईएल	489.40
संयुक्त उद्यम के टर्नओवर में शेयर	957.56
कुल	1446.96
कर पूर्व लाभ – टीसीआईएल	9.12
कर पूर्व लाभ – समूह	179.31


7. कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

दिनांक 1 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार टीसीआईएल के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

कर्मचारियों की कुल संख्या	:	904
कार्यपालक	:	414
गैर-कार्यपालक	:	490

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का कल्याण

टीसीआईएल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के निदेशों और नीतियों को कार्यान्वित करने संबंधी कार्य को अत्यधिक महत्व देता रहा है। टीसीआईएल में सामान्य और आरक्षित कर्मचारियों के मध्य कोई असमानता नहीं है। जब भी कोई भर्ती की जाती है तो भारत सरकार के आरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसके साथ-साथ भर्ती के समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष तक की छूट भी दी जाती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों का स्थानांतरण और तैनाती करते हुए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इनकी सुख-सुविधाओं और शिकायतों को देखने के लिए एक संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया गया है।




अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल स्वच्छ भारत मिशन का उद्घाटन करते हुए



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन करते हुए

— ★ ★ ★ ★ ★ —



8.5 भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल)

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 25.02.2012 को निगमित किया गया है। बीबीएनएल को 2,45,748 ग्राम पंचायतों (जीपीएस) को कनेक्ट करने का दायित्व सौंपा गया है। सरकार द्वारा सितम्बर, 2013 में प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार, ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने के कार्य को निम्नानुसार 3 चरणों में पूरा करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है:-

क) चरण- I - 1,00,000 ग्राम पंचायतें

ख) चरण- II - 1,00,000 ग्राम पंचायतें

ग) चरण- III - 45,748 ग्राम पंचायतें

कुल 2,45,748 ग्राम पंचायतों में से 2,00,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इनमें से 580 जिलों में विभाजित 5572 ब्लॉकों को कवर करते हुए 2,06,000 ग्राम पंचायतों के लिए अंतिम तकनीकी संस्वीकृति (टीएसपी) जारी कर दी गई है। चरण- I के लिए 2861 ब्लॉकों के लिए अंतिम तकनीकी संस्वीकृति (टीएसएफ) जारी कर दी गई है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने चरण- I के 1389 ब्लॉकों में गड्डे खोदने एवं केबल बिछाने संबंधी कार्यों को अंतिम रूप दे कर इसे पूरा करने का काम सौंप दिया है, जिनमें से 1015 ब्लॉकों में कार्य शुरू कर दिया गया है।

ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) एवं सहायक उपकरणों की निविदा को बीबीएनएल द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है, चरण- I की अपेक्षा को कवर करते हुए 1,80,000 कि.मी. की ओएफ केबल और तदनुरूपी सहायक उपकरणों के क्रय आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जीपीओएन उपस्कर के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और 10,000 ओएलटी तथा 1,96,599 ओएनटी के लिए एपीओ जारी कर दिए गए हैं, 3000 ओएलटी तथा 58980 ओएनटी के लिए क्रय आदेश जारी कर दिए गए हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 1,21,000 कि.मी. की पीएलबी नलिका (डक्ट) के क्रय आदेश दे दिए हैं। इस कार्य के लिए बीबीएनएल और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उपक्रमों के बीच करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बीबीएनएल और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के बीच इस कार्य को पूरा करने और यूएसओएफ द्वारा वित्तपोषण के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

26 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात् तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के साथ मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के लिए हस्ताक्षरित किए गए हैं।




अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीबीएनएल और प्रशासक (यूएसओएफ) ने अरेन (राजस्थान) में प्लॉट स्थल के दौरा किया



डिजिटल भारत कार्यक्रम केई अंतर्गत केरल केई इडुकी जिले में बी बी एन एल द्वारा भारत के पहले हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क का आरंभ किया गया

— ★ ★ ★ ★ ★ —



8.6 हेमीस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)

विदेश संचार निगम लिमिटेड (अब टाटा कम्यूनिकेशंस लिमिटेड) में 25 प्रतिशत हिस्से की कार्यनीतिक बिक्री के समय 773.13 एकड़ की अतिरिक्त जमीन को चार स्टेशनों में कुल 1230.13 एकड़ की जमीन में से निर्धारित किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि यह अतिरिक्त जमीन विनिवेश बोली का भाग नहीं होगी तथा इसे एक अलग वास्तविक कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इस जमीन के संबंध में सरकार के अधिकार को शेयर विक्रय करार (एसपीए) और शेयर धारिता करार (एसएचए) में शामिल की गई व्यवस्था की स्कीम के माध्यम से सुरक्षित रखा गया था।

तदनुसार, सरकार ने वीएसएनएल की इस अतिरिक्त (जमीन को अलग करके परिणामी कंपनी में निहित करने की स्कीम को अनुमादित किया है और मार्च, 2014 के दौरान, सरकार द्वारा हेमीस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल) नामक परिणामी कंपनी के 51.12 प्रतिशत शेयर प्राप्त किए गए। इसके साथ ही एचपीआईएल दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र का छठा उपक्रम बन गया है।

इस विषय में किए गए यथोचित परिश्रम के कारण, अतिरिक्त जमीन के वास्तविक सत्यापन, निर्धारण और अंतरण करने की प्रक्रिया टाटा कम्यूनिकेशंस लिमिटेड और सरकार के मध्य चल रही है। कंपनी अपने कारोबार का प्रारंभ उक्त जमीन के अंतरण और सांविधिक अपेक्षाओं के पूरा होने के पश्चात् ही करेगी। अन्य बातों के साथ-साथ इस कंपनी का उद्देश्य संपत्ति के क्रय और विक्रय सहित, इस संपत्ति का निर्माण, अधिग्रहण, धारिता, प्रबंधन, विकास, प्रशासन, संरक्षण, सुरक्षा और इससे संबंधित किसी अन्य मामले को देखना है।

— ★ ★ ★ ★ ★ —



9. सांख्यिकी परिशिष्ट

पृष्ठ

सारणी 1	प्रति सौ व्यक्ति टेलीफोन- शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व)	145
सारणी 2	टेलीफोनों की संख्या	146



दिनांक 31 मार्च और दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार प्रति 100 व्यक्ति टेलीफोन-शहरी/ग्रामीण (टेलीघनत्व)

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	टेली-घनत्व						टेलीफोन						समग्र टेलीफोनों में ग्रामीण टेलीफोनों का प्रतिशत	
		समग्र		शहरी		ग्रामीण		समग्र		शहरी		ग्रामीण		मार्च '14	दिसंबर '14
		मार्च '14	दिसंबर '14	मार्च '14	दिसंबर '14	मार्च '14	दिसंबर '14	मार्च '14	दिसंबर '14	मार्च '14	दिसंबर '14	मार्च '14	दिसंबर '14	मार्च '14	दिसंबर '14
1	आंध्र प्रदेश	79.52	82.78	167.60	172.12	45.53	48.25	69194450	72472956	40610155	42006604	28584295	30466352	41.31%	42.04%
2	असम	48.74	51.90	126.27	129.05	34.36	37.41	15462192	16611629	6265741	6531472	9196451	10080157	59.48%	60.68%
3	बिहार	46.10	48.28	150.96	160.14	29.41	30.43	61966991	65494147	27863955	29885850	34103036	35608297	55.03%	54.37%
4	गुजरात	90.54	93.11	137.63	142.00	57.44	58.41	56227514	58364961	33279750	36951498	20947764	21413463	37.26%	36.69%
5	हरियाणा	81.44	82.11	121.40	124.60	59.77	58.68	21751303	22179334	11400273	11961997	10351030	10217337	47.59%	46.07%
6	हिमाचल प्रदेश	105.59	111.78	326.01	338.64	77.07	82.14	7373458	7854886	2608116	2749732	4765342	5105134	64.63%	64.99%
7	जम्मू एवं कश्मीर	66.80	73.67	130.70	131.22	42.61	51.71	8125041	9037026	4365465	4445579	3759576	4591447	46.27%	50.81%
8	कर्नाटक	92.45	96.35	167.19	174.86	46.24	47.30	56637842	59446367	39131321	41484705	17506521	17961662	30.91%	30.21%
9	केरल	96.19	95.21	189.66	178.54	64.34	66.86	34006214	33815838	17040735	16095574	16965479	17720264	49.89%	52.40%
10	मध्य प्रदेश	56.04	58.77	116.34	123.01	33.67	34.77	56584457	59977024	31792710	34146062	24791747	25630962	43.81%	43.07%
11	महाराष्ट्र	77.32	78.88	116.26	114.43	55.82	59.01	74903431	77024917	40065662	40057662	34837769	36967255	46.51%	47.99%
12	पूर्वोत्तर ³	69.97	75.47	153.01	154.92	42.68	49.13	9551079	10391562	5165564	5310711	4385515	5080851	45.92%	48.89%
13	ओडिशा	60.90	65.24	161.16	171.17	39.87	42.78	25473028	27452805	11690415	12597875	13782613	14854930	54.11%	54.11%
14	पंजाब	107.22	105.13	154.34	150.01	71.96	70.98	32433318	32073434	19982848	19774618	12450470	12298816	38.39%	38.35%
15	राजस्थान	75.39	75.18	160.01	152.70	48.58	50.56	53569781	53984633	27361586	26432529	26208195	27552104	48.92%	51.04%
16	तमिलनाडु ⁴	111.14	116.96	138.16	143.00	74.02	80.08	78087652	82559159	56176488	59173175	21911164	23385984	28.06%	28.33%
17	उत्तर प्रदेश-(पूर्व)	57.27	58.65	131.52	131.59	35.55	37.19	77783016	80663741	39461026	40177886	38321990	40485855	49.27%	50.19%
18	उत्तर प्रदेश-(पश्चिम) ⁵							49297455	51048110	26601057	27001257	22696398	24046853	46.04%	47.11%
19	पश्चिम बंगाल ⁶	55.13	58.84	135.28	137.66	41.71	45.62	42797168	45970360	15056367	15449946	27740801	30520414	64.82%	66.39%
20	कोलकाता	142.67	146.86	#	#	#	#	22147379	22979456	20382016	21298296	1765363	1681160	7.97%	7.32%
21	दिल्ली	226.84	235.62	#	#	#	#	45688835	46489180	43323453	46155054	2365382	2334126	5.18%	4.81%
22	मुंबई	151.90	145.86	#	#	#	#	33953534	33117257	33608889	32586412	346645	530845	1.02%	1.60%
	अखिल-भारत	75.23	77.59	145.46	147.75	44.01	46.14	933015138	971008782	55231592	57274514	37785546	398734268	40.49%	41.06%

टिप्पणी: उत्तर प्रदेश (पूर्व एवं पश्चिम) की जनसंख्या के अलग आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, इनका टेलीघनत्व संयुक्त रूप परिकल्पित किया गया है। 1. झारखण्ड सम्मिलित, 2. छत्तीसगढ़ सम्मिलित, 3. पूर्वोत्तर-1 व II सम्मिलित, 4. चेन्नई सम्मिलित, 5. उत्तराखण्ड सम्मिलित और 6. अंडमान व निकोबार सम्मिलित। # कोलकाता, दिल्ली और मुंबई सेवा क्षेत्रों के लिए जनसंख्या के ग्रामीण-शहरी अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्त्रोत: वर्ष 2001-26 तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय से भारत के राज्यों की अनुमानित जनसंख्या और बीएसएनएल, एमटीएनएल (सरकारी क्षेत्र के उपक्रम), एयूरसपीआई (निजी क्षेत्र-वायरलाइन, डब्ल्यूएलएल व जीएसएम) और सीओएआई (निजी क्षेत्र-जीएसएम) उपमोक्तियों के आंकड़े हेतु।

सारणी-2


दिनांक 31 मार्च और दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार टेलीफोनो की संख्या

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	वायरलाइन फोन						वायरलेस फोन						कुल	
		कुल		निजी प्रचालक		सार्वजनिक प्रचालक		कुल		निजी प्रचालक		सार्वजनिक प्रचालक		निजी प्रचालक	कुल
		मार्च '14	दिसंबर '14	मार्च '14	दिसंबर '14	मार्च '14	दिसंबर '14	मार्च '14	दिसंबर '14	मार्च '14	दिसंबर '14	मार्च '14	दिसंबर '14	मार्च '14	दिसंबर '14
1	आंध्र प्रदेश	2044305	1915427	1657496	1543551	386809	371876	67150145	70557529	9919531	9931560	57230614	60625969	69194450	72472956
2	असम	183984	178191	182904	178841	1080	1350	15278208	16433438	1280869	1278828	13997339	15156610	15462192	16611629
3	बिहार	381591	373747	363665	354639	17926	19108	61585400	65120400	3246007	2939455	58339393	62180945	61966991	65494147
4	गुजरात	1690065	1568693	1459828	1342812	230237	225881	54537449	56796268	4137901	3173174	50399548	53623094	56227514	58364961
5	हरियाणा	499908	432283	452043	377796	47865	54487	21251395	21747051	3331626	3067868	17919769	18679183	21751303	22179334
6	हिमाचल प्रदेश	253744	229498	246362	221676	7392	7822	7119714	7625388	1433602	1437942	5686112	6187446	7373458	7854886
7	जम्मू एवं कश्मीर	186655	156472	186655	156472	0	0	7938386	8880554	1271143	1236863	6667243	7643691	8125041	9037026
8	कर्नाटक	2318079	2267201	1535931	1428963	782148	838238	54319763	57179166	7350172	6730017	46969591	50449149	56637842	59446367
9	केरल	2885942	2681841	2773148	2580135	112794	101706	31120272	31133997	7951150	6745205	23169122	24388792	34006214	33815838
10	मध्य प्रदेश	1103538	1100808	833717	829250	269821	271558	55480919	58876216	4948640	3833287	50532279	55042929	56584457	59977024
11	महाराष्ट्र	2309779	2158141	1882033	1730570	427746	427571	72593692	74866776	6583446	5291489	66010206	69575287	74903431	77024917
12	पूर्वोत्तर	139937	128830	139877	128710	60	120	9411142	10262732	1521837	1535990	7889305	8726742	9551079	10391562
13	ओडिशा	347455	335734	335875	324412	11580	11322	25125573	27117071	3333678	3451231	21791895	23665840	25473028	27452805
14	पंजाब	1222091	1150216	876585	794702	345506	355514	31211227	30923218	4629083	3188732	26682144	27734486	32433318	32073434
15	राजस्थान	924311	852582	798265	722587	126046	129995	52645470	53132051	6054920	3461435	46590550	49670616	53569781	53984633
16	तमिलनाडु ¹	2913185	2799642	2218136	2098991	695049	706651	75174467	79759517	9828051	9855057	65346416	69904460	78087652	82559159
17	उत्तर प्रदेश-(पूर्व)	801992	525853	693951	415224	108041	110629	76981024	80137888	10436240	8039027	66544784	72098861	77783016	80663741
18	उत्तर प्रदेश-(पश्चिम) ⁵	541216	505577	504292	469000	36924	36577	48756239	50542533	4480281	3433380	44275958	47104153	49297455	51048110
19	पश्चिम बंगाल ⁶	506151	456936	500140	451317	6011	5619	42291017	45513424	2050565	1948531	40240452	43564893	42797168	45970360
20	कोलकाता	1076955	1020077	847254	785053	229701	235024	21070424	21959379	860703	802446	20209721	21156933	22147379	22979456
21	दिल्ली	3103986	3123066	1601739	1605117	1502247	1517949	42584849	45366114	2307731	2337387	40277118	43028727	45688835	46489180
22	मुंबई	3063976	3039290	1940336	1916447	1123640	1122843	30889558	30077967	1064605	1148804	29824953	28929163	33953534	33117257
	अखिल-भारत	28498845	27000105	22030222	20454265	6468623	6545840	904516293	944008677	98021781	84870708	806494512	859137969	933015138	971008782

टिप्पणी: 1. झारखण्ड सम्मिलित, 2. छत्तीसगढ़ सम्मिलित, 3. पूर्वोत्तर-1 व II सम्मिलित, 4. चेन्नई सम्मिलित, 5. उत्तराखण्ड सम्मिलित और 6. अंडमान व निकोबार सम्मिलित।

स्रोत: वर्ष 2001-26 तक भारत के रजिस्टार जनरल के कार्यालय से भारत के राज्यों की अनुमानित जनसंख्या और बीएसएनएल, एमटीएनएल (सरकारी क्षेत्र के उपक्रम), एयूरसपीआई (निजी क्षेत्र-वायरलाइन, डब्ल्यूएलएल व जीएसएम) और सीआरआई (निजी क्षेत्र-जीएसएम) उपभोक्ताओं के आंकड़े हेतु।

— ★ ★ ★ ★ —




10. सांख्यिकी परिशिष्ट

2जी	दूसरी पीढ़ी
3जी	तीसरी पीढ़ी
एसीसी	एकाउंट्स कॉलिंग कार्ड
एडीसी	अभिगम्य घाटा प्रभार (एक्सेस डेफिसिट चार्ज)
एडीएसएल	विषम डिजीटल उपभोक्ता लाइन (एसिमीट्रीकल डिजीटल सब्सक्राइबर लाइन)
एएलटीटीसी	प्रोन्नत स्तर दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र
एपीटी	एशिया प्रशांत दूरसंचार (एशिया पैसेफिक टेलिकम्युनिकेशंस)
एटीएम	अतुल्यकालिक अंतरण मोड (एसिंक्रोनल ट्रांसफर मोड)
एटीएन	की गई कार्रवाई संबंधी नोट
बीबीएनएल	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
बीआरबीआरएआईटीटी	भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीटीएस	बेस टर्मिनल स्टेशन
बीडब्ल्यूए	ब्रॉडबैंड बेतार अभिगम
सीएंडएजी	नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक
सीएसीटी	दूरसंचार संघटक अनुमोदन केंद्र
सीएडी	कंप्यूटर आधारित (एडिड) डिजाइन
सीसीईए	आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति
सीसीएस	सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
सीडीएमए	कोड प्रभाग बहु अभिगम (कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस)
सी-डॉट	टेलीमैटिक्स विकास केंद्र
सीआईडीए	कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण
सीएलआईपी	कालर्स लाइन आइडेन्टिफिकेशन प्रोटोकॉल
सीएमपी	सेलुलर मोबाइल फोन्स
सीओएमएसी	केंद्रीयकृत प्रचालन और अनुरक्षण केंद्र
सीएसएमएस	उपभोक्ता सेवा प्रबंधन प्रणाली
डीसीसी	विकास समन्वय समिति
डीसीएमई	डिजीटल सर्किट गुणन उपस्कर
डीईसीटी	डिजीटल वर्द्धित तार-रहित टेलीफोन (डिजीटल एन्हांस्ड कॉर्डलेस टेलीफोन)
डीईआईटीवाई	इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीआईएस	सीधी इंटरनेट अभिगम्य प्रणाली
डीएलसी	डिजीटल लूप संवाहक (कैरियर)
डीओई	व्यय विभाग
डीओपीटी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
डीओएस	अंतरिक्ष विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट



डीएसपीटी	डिजीटल उपग्रह फोन टर्मिनल
डीडब्ल्यूडीएम	डेन्स वेवलैंग्थ डिवीजन मल्टिप्लेक्सिंग
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईएमटीएस	तुरंत मुद्रा अंतरण सेवा
एफएस	फाइबर अभिगम प्रणाली
एफडीएमए	फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस
एफआरएस	दोष सुधार सेवा
जीएमपीसीएस	उपग्रह द्वारा सार्वभौमिक मोबाइल निजी संचार
जी-पीओएन	गीगाबाइट पॉस्चर ऑप्टिकल नेटवर्क
जीपीएसएस	गेटवे पैकेट स्विचिंग प्रणाली
जीआर	सामान्य (जिनेरिक) आवश्यकताएं
एचईसीएस	उच्च वर्द्धित क्षमता स्विच (हाई एर्लैंग कैपिसिटी स्विच)
एचएसडीएल	हाई बिट रेट डिजीटल सब्सक्राइबरलाइन
आईएंडबी	सूचना एवं प्रसारण
आईएपी	नवीकरण कार्य योजना
आईएफआरबी	अंतर्राष्ट्रीय आवृत्ति विनियामक बोर्ड
आईएलडी	अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी
आईएमईआई	अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान
आईएमआरबी	भारतीय विपणन अनुसंधान ब्यूरो
आईएन	इन्टेलिजेंट नेटवर्क
इनसैट	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह
आईपी एंड पी	औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन
आईपीवी6	इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6
आईआर	अंतराफलक आवश्यकताएं (इंटरफेस रिक्वायरमेंट)
आईएसडीएन	एकीकृत सेवा डिजीटल नेटवर्क (इंटिग्रेटेड सर्विस डिजीटल नेटवर्क)
आईएसपी	इंटरनेट सेवा प्रदाता
आईटीआई लिमिटेड	भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड
आईटीयू	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ
आईटीयू डी	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विकास क्षेत्रक
आईटीयू – आर	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ रेडियो संचार क्षेत्रक
आईटीयू टी	अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दूरसंचार क्षेत्रक
आईयूसी	अंतः संपर्क प्रयोग प्रभार (इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज)
आईवीआरएस	अंतर्क्रिया ध्वनि प्रतिक्रिया प्रणाली (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉंस सिस्टम)
लैब	प्रयोगशाला
एलएमडीएस	स्थानीय बहु-बिंदु वितरण प्रणाली
एलओआई	आशय-पत्र
एलडब्ल्यूई	वामपंथी उग्रवाद
एम टू एम	मशीन से मशीन
एमसीआईबीएस	सूक्ष्म संसाधित्र नियंत्रित इंटेलिजेंट भवन प्रणाली (माइक्रोप्रोसेस कंट्रोल्ड इंटेलिजेंट बिल्डिंग सिस्टम्स)




एमसीपीसी	बहु चैनल प्रतिसंवाहक (मल्टी चैनल पर कैरियर)
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमएलएलएन	मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क
एमएमएस	मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस
एमएनपी	मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एमएसएस	मोबाइल उपग्रह प्रणाली
एमटीएल	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
एमटीएनएल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एमयूएक्स	मल्टीप्लेक्सर
एनडीए	गैर प्रकटीकरण समझौता (नॉन-डिस्कलोज़र एग्रीमेंट)
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनआईबी	राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन
एनआईसीएफ	राष्ट्रीय वित्त संचार संस्थान
एनएलडीएस	राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा
एनओएफएन	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
एनटीआईपीआरआईटी	नीति अनुसंधान, नवीकरण एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान
एनटीपी	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति
एनटीपी	नई दूरसंचार नीति
एनवाईएसई	न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज
ओएफसी	ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
ओएलटीई	ऑप्टिक लाइन टर्मिनेटिंग उपस्कर
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीसीबी	मुद्रित सर्किट बोर्ड
पीसीआर	प्राथमिकता कॉल रूटिंग
पीआईए	फोटो पहचान पता
पीएमए	अधिमानात्मक बाजार अभिगम
पीएमआरटीएस	सार्वजनिक मोबाइल रेडिया ट्रंक सेवा
पीओआई	प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन
पीओटी	साधारण पुराना टेलीफोन
पीआरएस	प्रीमियम दर सेवा
पीएसटीएन	सार्वजनिक स्विचन दूरसंचार नेटवर्क
क्यूओएस	सेवा की गुणवत्ता
क्यूटीएस	टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आरएबीएमएन	दूरस्थ क्षेत्र व्यवसाय संदेश नेटवर्क
आरएएन	रेडियो अभिगम नेटवर्क



आरओडब्ल्यू
आरटीटीसी
एसएसीएफए
एसएसीएफए
एसएआर
एसएसएस
एसबीएम
एसडीसीए
एसडीएच
एसआईएम
एसएसए
एसटीएम
टीसीपी
टीडीएमए
टीडीएसएटी
टीओटी
टीआरआई
टीएसपी
टीएसपी
टीटीएल
टीटीओ
यूएचएफ
यूएमएस
यूएसएफ
यूएसएल
यूएसओ
यूएसओएफ
यूटीएल
यूटी
वीसीसी
वीएमएस
वीपीएन
वीपीटी
वीआरएलए
वीएसएटी
डब्ल्यूएलएल
डब्ल्यूपीसी
डब्ल्यूपीएचएस
डब्ल्यूएसएचएस

मार्गाधिकार
क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र
आवृत्ति आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति
रेडियो आवृत्ति आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति
विशिष्ट आमेलन अनुपात
लेखांकन पृथक्करण प्रणाली
सिग्नल बेस माड्यूल
अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र
सिन्क्रोनस डिजीटल हायरकी
उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल
गौण स्विच क्षेत्र
सिन्क्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल
ट्रान्समिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल
टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस
दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण
प्रौद्योगिकी का अंतरण
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
जनजातीय उपयोजना
दूरसंचार सेवा प्रदाता
दूरसंचार प्रशिक्षण प्रयोगशाला
दूरसंचार प्रशुल्क आदेश
अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी
एकीकृत संदेश सेवा
सार्वभौमिक सेवा निधि
एकीकृत सेवा उद्ग्रहण
सार्वभौमिक सेवा दायित्व
सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
यूनाईटेड टेलीकॉम लिमिटेड
संघ राज्य क्षेत्र
वर्चूअल कॉलिंग कोर्ड
वॉयस मेल सर्विस
वर्चूअल प्राइवेट नेटवर्क
सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन
वेल्यू रेगुलेटड लीड एसिड
वेरी स्मॉल अपचर्च टर्मिनल
वायरलैस इन लोकल लूप
बेतार आयोजना एवं समन्वय
वेब पेज होस्टिंग सर्विस
वेब सर्वर होस्टिंग सर्विस





दूरसंचार विभाग के परिणाम क्रमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) 2014-15

महत्वपूर्ण उद्देश्यों, सफलता संकेतकों एवं लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकता

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	भार	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						सर्वोत्तम	बहुत अच्छा	अच्छा	मध्यम	अपर्याप्त
						100%	90%	80%	70%	60%
1. ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए दूरसंचार सेवाओं के तेजी से विस्तार को सुविधाजनक बनाना	21	[1.1] टेलीघनत्व और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार को सुविधाजनक बनाना	(1.1.1) ग्रामीण टेलीघनत्व में वृद्धि	प्रतिशत	1.00	48	46	45	44.5	44
			(1.1.2) समग्र टेलीघनत्व में वृद्धि	कनेक्शनों की संख्या मिलियन में	1.00	1000	990	980	970	960
			(1.1.3) 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या	दिनांक 31.3.2014 की स्थिति अनुसार बुनियादी आंकड़ों पर प्रतिशत	2.00	10	9	8	7	6
			(1.1.4) अंतर-मंत्रालय परामर्श के लिए 'नई राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड पालिसी' से संबंधित मंत्रिमंडल टिप्पणी के प्रारूप का परिचालन	दिनांक	1.00	15/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
			(1.1.5) दूरस्थ क्षेत्रों, सामरिक महत्व के क्षेत्रों एवं राजमार्गों पर विशेष ध्यान देते हुए कनेक्टिविटी के अंतराल की पहचान करना और साथ ही उसके समाधान को भी निर्धारित करना।	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
			(1.1.6) ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की नीति और ग्रामीण टेलीघनत्व को बढ़ाना	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015

		(1.1.7) इस समय ब्राडबैंड की गति इतनी धीमी क्यों है इस संबंध में अध्ययन करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
	(1.2) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना	(1.2.1) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ 2 जी मोबाइल कवरेज प्रदान करने की स्कीम के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(1.2.2) पूर्वोत्तर में बाहुल्य और विश्वसनीयता के लिए मीडिया ट्रांसमिशन वृद्धि स्कीम के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन।	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(1.2.3) पूर्वोत्तर के कवर न किए गए ग्रामों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने की स्कीम को मंत्रिमंडल का अनुमोदन।	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(1.2.4) कवर न किए गए ग्रामों (2590 ग्राम) में डीएसपीटी प्रदान करना।	%	1.00	100	95	90	85	80
	(1.3) ग्राम पंचायतों तक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की स्थापना को सुविधाजनक बनाना।	(1.3.1) एनओएफएन द्वारा ग्राम पंचायतों में ब्राडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई गई।	संख्या	2.00	50000	45000	40000	35000	30000
		(1.3.2) बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की कि.मी संख्या	कि.मी.	1.00	100000	90000	80000	70000	60000



		(1.4) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों (एलडब्ल्यूई) में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना	(1.4.1) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल टॉवर स्थापित करना।	टावरों की संख्या	2.00	500	450	400	350	300
		(1.5) वृहद मार्गाधिकार को अंतिम रूप देना	(1.5.1) परामर्श के लिए नीति का प्रारूप तैयार किया गया।	दिनांक	2.00	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
		(1.6) सीमावर्ती क्षेत्रों, द्वीपों, हिमालयी राज्यों और कवर न किए गए अन्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर को छोड़कर) के लिए वृहद दूरसंचार विकास परियोजना।	(1.6.1) सीमावर्ती क्षेत्रों, द्वीपों, हिमालयी राज्यों के लिए वृहद दूरसंचार विकास परियोजना को मंत्रिमंडल का अनुमोदन।	दिनांक	1.00	10/03/2015	15/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
			(1.6.2) कवर न किए गए ग्रामों (9401 ग्रामों) में डीएसपीटी प्रदान करना।	%	1.00	100	95	90	85	80
(2) लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल बनाना और स्पेक्ट्रम प्रबंधन को प्रभावशाली बनाना।	15	(2.1) एकीकृत लाइसेंस प्रणाली के दूसरे फेज को तैयार करना और अनुमोदन प्राप्त करना।	(2.1.1) ड्राई को यथा-समय उल्लेख किया गया। (2.1.2) ड्राई की सिफारिशों पर विचार- विमर्श।	दिनांक	1.00	30/04/2014	31/05/2014	30/06/2014	31/07/2014	31/08/2014
		(2.2) स्पेक्ट्रम के आबंटन/ प्रदायगीकी नीति और बेतार उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए इसके मूल्य निर्धारण संबंधी अनुमोदन।	(2.2.1) नीति की अधिसूचना।	दिनांक	1.00	31/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(2.3) स्पेक्ट्रम साझेदारी के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देना।	(2.3.1) दिशा निर्देशों की अधिसूचना।	दिनांक	2.00	31/01/2015	28/02/2015	10/03/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(2.4) स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देना।	(2.4.1) दिशा निर्देशों के प्रारूप को दूरसंचार आयोग को प्रस्तुत करना।	दिनांक	2.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015



		(2.5) स्पैक्ट्रम की नीलामी।	(2.5.1) नीलामी सम्पन्न की गई।	दिनांक	2.00	10/03/2015	15/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
		(2.8) रक्षा बैंड स्पेक्ट्रम की अधिसूचना।	(2.8.1) रक्षा बैंड स्पेक्ट्रम की अधिसूचना।	दिनांक	1.00	28/02/2015	15/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
		(2.7) सीएसीएफए मंजूरी प्रक्रिया की समीक्षा।	(2.7.1) समीक्षा पूरी की गई।	दिनांक	1.00	31/10/2014	30/11/2014	31/12/2014	31/01/2015	31/03/2015
		(2.8) अतिरिक्त स्पैक्ट्रम की उपलब्धता के लिए रोड मैप तैयार करना।	(2.8.1) रोडमैप की अधिसूचना।	दिनांक	2.00	31/01/2015	20/02/2015	10/03/2015	20/03/2015	31/03/2015
		(2.9) प्राप्त की जाने वाली राशि को औचित्यपूर्ण बनाना: एजीआर की गणना करना।	(2.9.1) ट्राई की सिफारिशों की प्राप्ति और उनकी जांच करना।	दिनांक	1.00	10/03/2015	15/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
		(2.10) सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं को सुविधाजनक बनाना।	(2.10.1) सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए कार्यनीति को अंतिम रूप देना।	दिनांक	1.00	10/03/2015	15/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
(3) दूरसंचार सेवाओं, जन स्वास्थ्य एवं उपभोक्ताओं की सुरक्षा का सशक्तिकरण।	8	(3.1) अंतर-परिमंडलीय मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी शुरू करना।	(3.1.1) ट्राई की सुविचारित राय पर समय से विचार करना।	दिनांक	1.00	31/07/2014	31/08/2014	30/09/2014	31/10/2014	30/11/2014
			(3.1.2) अंतर-परिमंडलीय एमएनपी के कार्यान्वयन के निर्देशों को समय पर जारी किया गया।	दिनांक	1.00	30/11/2014	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015
		(3.2) विद्युतचुंबकीय विकिरण का सत्यापन।	(3.2.1) निर्धारित विकिरण मानदंडों के अनुसार बीटीएस का सत्यापन किया गया।	संख्या	1.00	32000	30400	27200	24000	19200
		(3.3) मुम्बई में एसएआर प्रयोगशाला की स्थापना।	(3.3.1) क्रय आदेश जारी करना।	दिनांक	1.00	02/03/2015	09/03/2015	16/03/2015	23/03/2015	31/03/2015



		(3.4) आपदा राहत अभिकरणों के लिए प्राथमिकता कॉल रूटिंग सेवाओं को शुरू करना।	(3.4.1) प्राथमिकता कॉल रूटिंग के कार्यान्वयन के लिए ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार करना।	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(3.5) आपदा के दौरान मोबाइल फोन के लिए चेतावनी तंत्र के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप तैयार करना।	(3.5.1) रोडमैप को तैयार करने और लाइसेंस करार में सुधार करने के लिए बनाई गई समिति की सिफारिशों का समय पर अनुमोदन।	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(3.6) संबद्ध राज्यों द्वारा एनओएफएन सहित ब्रॉडबैंड नेटवर्क के प्रभावी उपयोग के लिए व्यावसायिक मॉडलों का विकास।	(3.6.1) व्यावसायिक मॉडल को तैयार करना।	दिनांक	0.50	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(3.7) प्रभावी नेटवर्क प्रचालकों की शुरुआत।	(3.7.1) ट्राई की सिफारिशों की प्राप्ति और जांच करना।	दिनांक	1.00	10/03/2015	15/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
		(3.8) आपदा प्रबंधन के लिए बृहत संचार योजना।	(3.8.1) दूरसंचार आयोग को योजना का प्रारूप प्रस्तुत करना।	दिनांक	0.50	10/03/2015	15/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
(4) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों को दृढ़ करना।	8	(4.1) आईटीआई लि0 के लिए आरक्षण कोटे को बढ़ाना।	(4.1.1) सीसीईए का अनुमोदन।	दिनांक	1.00	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	28/03/2015	31/03/2015
		(4.2) बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के पुनरुद्धार के लिए योजना को अंतिम रूप देना।	(4.2.1) समय पर अंतिम रूप दिया गया।	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(4.3) बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के अभ्यर्पण के लिए एमटीएनएल को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	(4.3.1) समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	दिनांक	2.00	30/09/2014	31/10/2014	30/11/2014	31/12/2014	31/01/2015



		(4.4) बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के अभ्यर्षण के लिए बीएसएनएल वित्तीय सहायता प्रदान करना।	(4.4.1) बीएसएनएल को तिमाही आधार पर राशि प्रदान की गई।	संख्या	2.00	4	3	2	1	0
		(4.5) बीएसएनएल की टॉवर परिसंपत्तियों के लिए सहायक कंपनी का सृजन	(4.5.1) मंत्रिमंडल को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(4.6) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की का पुनः निर्धारण।	(4.6.1) दूरसंचार आयोग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	दिनांक	1.00	10/03/2015	15/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
(5) दूरसंचार क्षेत्र में कौशल और मानव संसाधनों का विकास करना।	7	(5.1) दूरसंचार क्षेत्र के लिए कौशल अंतराल अध्ययन पूरा किया गया।	(5.1.1) अध्ययन को समय पर पूरा किया गया।	दिनांक	2.00	30/11/2014	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015
		(5.2) एनटीआईपीआर आईटी में दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित ज्ञान भंडार की स्थापना करना।	(5.2.1) इसकी समय पर स्थापना की गई।	दिनांक	2.00	28/02/2015	15/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
		(5.3) एनटीपी के अधिदेश के अनुसार एनटीआईपीआरआईटी को सुसज्जित करना।	(5.3.1) दूरसंचार आयोग को डीपीआर समय पर प्रस्तुत की गई।	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(5.4) कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए वृहद प्रशिक्षण योजना तैयार करना।	(5.4.1) वृहद प्रशिक्षण योजना को समय पर तैयार करना।	दिनांक	1.00	31/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(5.5) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिदेश के एनआईसीएफ को उपयुक्त अवसरचना प्रदान करना।	(5.5.1) परियोजना के लिए ईएफसी का अनुमोदन।	दिनांक	1.00	30/06/2014	31/07/2014	31/08/2014	30/09/2014	31/10/2014
(6) अवसरचना विकास और हरित दूरसंचार प्रणाली को प्रोत्साहन देना।	7	(6.1) दूरसंचार टॉवरों और उपकरणों को चलाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देना।	(6.1.1) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल टॉवरों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से चलाने का प्रावधान।	संख्या	2.00	500	400	300	200	100



			(6.1.2) एनओएफएन फेज-1 की साईटों के लिए स्कीम का समय पर अनुमोदन।	दिनांक	1.00	15/02/2015	28/02/2015	10/03/2015	20/03/2015	31/03/2015
			(6.1.3) कई बेस टर्मिनल स्टेशन नवीकरणीय उर्जा से चलाए जा रहे हैं।	संख्या	1.00	20000	19000	18000	17000	16000
		(6.2) दूरसंचार वित्त निगम का गठन करना।	(6.2.1) दूरसंचार आयोग को डीपीआर प्रस्तुत करना	दिनांक	2.00	30/11/2014	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015
		(6.3) राज्यों में मोबाइल टावरों से संबंधित सलाह के बारे में जागरूकता फैलाना।	(6.3.1) इस प्रकार की सलाह को विभाग की वेबसाइट पर डालना और राज्यों में उसका प्रचार-प्रसार करना।	दिनांक	1.00	30/09/2014	31/10/2014	30/11/2014	31/12/2014	31/01/2015
(7) स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, मानकीकरण और विनिर्माण का संवर्धन।	6	(7.1) दूरसंचार उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण के लिए नीति को लागू करना।	(7.1.1) सरकारी प्रापण में दूरसंचार उत्पादों के लिए पीएमए की मौजूदा अधिसूचना का समय पर पुनर्विलोकन।	दिनांक	1.00	31/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
				(7.1.2) सरकारी प्रापण में घरेलू विनिर्मित उत्पादों में मूल्य परिवर्धन की बढ़ोतरी।	%	2.00	35	30	25	20
		(7.2) अनुसंधान एवं विकास, उद्यमिता और विनिर्माण के संवर्धन के लिए निधि का सृजन।	(7.2.1) सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए डीपीआर को योजना आयोग को प्रस्तुत करना।	दिनांक	1.00	30/11/2014	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015
		(7.3) दूरसंचार उपकरणों के लिए भारतीय मानक शुरू करना।	(7.3.1) अनुमोदित मानकों की संख्या।	संख्या	2.00	13	11	9	8	7



(8) नई पीढ़ी की तकनीकों को प्रोत्साहन देना।	6	(8.1) मशीन से मशीन (एम2एम) संचार के लिए रोडमैप तैयार करना	(8.1.1) रोडमैप जारी किया गया।	दिनांक	2.00	28/02/2015	10/03/2015	15/03/2015	20/03/2015	31/03/2015
			(8.1.2) सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी आधारित दस्तावेज के रूप में क्षेत्र-विनिर्दिष्ट लक्ष्य दस्तावेजों का प्रचार-प्रसार	संख्या	2.00	4	3	2	1	0
		(8.2) राष्ट्रीय आईपीवी 6 तैनाती रोडमैप रूपान्तर भाग- II से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में संगोष्ठियों / कार्यशालाओं को आयोजित करना।	(8.2.1) बारह संगोष्ठियों सफलापूर्वक संचालित की गईं।	दिनांक	2.00	28/02/2015	10/03/2015	15/03/2015	20/03/2015	31/03/2015
(9) दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना।	5	(9.1) सीसीएस को भेजने के लिए दूरसंचार आयोग द्वारा दूरसंचार सुरक्षा नीति का अनुमोदन	(9.1.1) समय पर अनुमोदन दिया गया।	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(9.2) नकली आईएमईआई के मामले से निपटने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	(9.2.1) समय पर प्रस्तुत किया गया।	दिनांक	1.00	31/10/2014	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015
		(9.3) चोरी/गुम हुए हैंडसेटों को ब्लॉक करने के समाधान को लागू करने के लिए निर्देशों को जारी करना।	(9.3.1) निर्देशों को समय पर जारी किया गया।	दिनांक	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(9.4) उपभोक्ता सत्यापन।	(9.4.1) पीआईए आधार पर उपभोक्ताओं के नम्बर सत्यापित किए गए।	%	1.00	0.1	0.095	0.085	0.075	0.060
		(9.5) सुरक्षा दिशा-निर्देशों का अनुपालन।	(9.5.1) ऐसे टीएसपी का प्रतिशत जिनकी सुरक्षा अनुपालना लेखा परीक्षा और अन्य कार्यकलापों के माध्यम से सुनिश्चित की गई है।	%	1.00	100	99	98	97	96





(10) दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित नीति और अभिशासन के लिए विधायी प्रस्ताव।	2	(10.1) संचार बिल।	(10.1.1) बिल प्रारूप का सृजन।	दिनांक	2.00	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
*आरएफडी प्रणाली का दक्षतापूर्ण कार्य।	3	आरएफडी 2015-16 प्रारूप को समय पर प्रस्तुत करना।	समय पर प्रस्तुत किया गया।	दिनांक	2.00	05/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015
		2013-14 के परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना।	समय पर प्रस्तुत किया गया।	दिनांक	1.00	01/05/2014	02/05/2014	03/05/2014	06/05/2014	07/05/2014
*मंत्रालय/विभाग में अधिक पारदर्शी/उन्नत सेवा प्रदायगी।	3	नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन का स्वतंत्र लेखा परीक्षा द्वारा मूल्यांकन कराना।	सीसीसी में प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की स्थिति।	%	2.00	100	95	90	85	80
		शिकायत निवारण प्रबंधन (जीआरएम) प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा कराना।	जीआरएम के परिपालन में सफलता की स्थिति।	%	1.00	100	95	90	85	80
*प्रशासन में सुधार करना।	8	संशोधित प्राथमिकताओं के अनुरूप अद्यतन विभागीय कार्यनीति	दिनांक	दिनांक	2.00	01/11/2014	02/11/2014	03/11/2014	04/11/2014	05/11/2014
		प्रशासन के संभाव्य खतरे को कम से कम करने संबंधी अनुमोदित महत्वपूर्ण सहमत कार्यनीति (एमएससी) का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	1.00	100	90	80	70	60
		आईएसओ 9001 के कार्यान्वयन के लिए सहमत महत्वपूर्ण उपलब्धि को लागू करना।	कार्यान्वयन का प्रतिशत।	%	2.00	100	95	90	85	80
		आरएफएमएस में आरएफडी के साथ उत्तरदायी केंद्रों का प्रतिशत	उत्तरदायी केंद्र कवर किए गए।	%	1.00	100	95	90	85	80
		नवीकरण कार्य परियोजना (आईएपी) के लिए स्वीकृत उपलब्धियों को लागू करना।	अनुपालन का प्रतिशत।	%	2.00	100	90	80	70	60



*सुन्त विलीय जावाबदेही ढांचे का अनुपालन।	1	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा पैरा पर एटीएन को समय पर प्रस्तुत करना।	वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तुति की तिथि से निश्चित तिथि (4 महीने) के भीतर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत।	%	0.25	100	90	80	70	60
		पीएसी रिपोर्ट पर एटीआर को पीएसी सचिवालय को समय पर प्रस्तुतीकरण।	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तुति की तिथि से निश्चित तिथि (6 महीने) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत।	%	0.25	100	90	80	70	60
		दिनांक 31.3.2014 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई कैग रिपोर्ट के लेखापरीक्षा पैरों पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान करना।	वर्ष के दौरान निपटाई गई शेष एटीएन का प्रतिशत।	%	0.25	100	90	80	70	60
		दिनांक 31.03.2014 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई पीएसी रिपोर्ट पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान करना।	वर्ष के दौरान निपटाई गई शेष एटीआर का प्रतिशत।	%	0.25	100	90	80	70	60

दूरसंचार विभाग का परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (एएफडी) 2014-15

विभाग/मंत्रालय के कार्यकलापों के परिणाम/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय के परिणाम/प्रभाव।	इस परिणाम/प्रभाव को निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों के सम्मिलित उत्तरदायित्व के साथ सम्पन्न किया गया।	सफलता संकेतक	इकाई	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
1 पूरे राष्ट्र में टेलीघनत्व की वृद्धि को सुविधाजनक बनाना।	सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें	ग्रामीण टेलीघनत्व में वृद्धि	%	41	43	48	60	70
		सम्पूर्ण टेलीघनत्व में वृद्धि	%	73.32	74.50	80	85	90
		पूरे राष्ट्र में कनेक्शनों की संख्या	मिलियन	898	922	1000	1100	1200
2 ब्रॉडबैंड का विस्तार	इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, व्यय विभाग, योजना आयोग, राज्य सरकारें	प्रदान किए गए ब्रॉडबैंडों की संख्या	मिलियन	15.05	14.5	90	120	175
3 दूरसंचार में प्रयोग होने वाली ऊर्जा के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि करना	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राज्य विद्युत बोर्ड, योजना आयोग, व्यय विभाग	नवीकरणीय ऊर्जा पर चलाए जा रहे बेस टर्मिनल स्टेशनों की संख्या	संख्यायें	4000	0000	20000	40000	60000
4 दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा में बढ़ोतरी।	गृह मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।	ऐसे टीएसपी का प्रतिशत जिनकी सुरक्षा अनुपालना लेखा परीक्षा और अन्य कार्यकलापों के माध्यम से सुनिश्चित की गई है।	%	100	100	100	100	100
5 दूरसंचार उपकरणों का स्वदेशी विनिर्माण करना।	औद्योगिक संवर्धन एवं नीति विभाग, वित्त मंत्रालय।	घरेलू विनिर्मित उत्पादों के मूल्य परिवर्धन में वृद्धि।	%	25	30	35	40	45
6 स्पैक्ट्रम का कार्य कुशल उपयोग।	रक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग	स्पेक्ट्रम की नीलामी।	दिनांक	20/11/2012	20/02/2014	10/03/2015	15/03/2016	15/03/2017



दूरसंचार विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली